



# fo | k Hkj rh i nhfi dk

vk' ou l sekxZkiZ foØeh l or~2077] ; xkn 5122

vDVvj l sfnl xj 2020

o"Z41 val 1

eW; %r35@&



राष्ट्रीय शिक्षा नीति : दिशा और दृष्टि | शिशु से माध्यमिक तक की शिक्षा | भारत में शिक्षा नीतियाँ | राष्ट्रीय शिक्षा नीति “सा विद्या या....

NATIONAL EDUCATION POLICY – 2020: STRATEGY FOR IMPLEMENTATION | Understanding Hindutva with 'Right' perspective!!



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की अखिल भारतीय विषय संयोजकों की बैठक-गाजियाबाद में मंचासीन अधिकारी-वृन्द



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की अखिल भारतीय साधारण सभा की बैठक-गाजियाबाद में मंचासीन अधिकारी-वृन्द



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की अखिल भारतीय साधारण सभा की बैठक-गाजियाबाद में भाग लेते प्रतिभागी-वृन्द

# विद्या भारती प्रदीपिका

1/2 | k Hkj rh vf [ky Hkj rh, f' k k l 1.Fku dh =&kl d if=dk/2

अक्टूबर से दिसंबर 2020

आश्विन से मार्गशीर्ष, विक्रम संवत् -2077, युगाब्द - 5122

मूल्य 35/-रु.

## मार्गदर्शक

डॉ. गोविन्द प्रसाद शर्मा  
श्री डी. रामकृष्ण राव  
श्री दिलीप बेतकेकर  
डॉ. रमा मिश्रा  
डॉ. रवीन्द्र कान्हेरे

## सम्पादक

डॉ. ललित बिहारी गोस्वामी

## सम्पादक मण्डल

श्री राजेन्द्र सिंह बघेल  
डॉ. अरुण मिश्र  
श्री वासुदेव प्रजापति  
डॉ. पवन शर्मा

## संपादन सहायक

कौशलेश कुमार उपाध्याय

## आवरण सज्जा

मारिय्याप्पा मार्टिन

## प्रकाशन कार्यालय

प्रज्ञा सदन, गो. ला. त्रे. सरस्वती बाल  
मंदिर परिसर, महात्मा गांधी मार्ग,  
नेहरू नगर, नई दिल्ली -110065  
फोन नं. 011-29840126, 29840013  
ईमेल-vbpradeepika@gmail.com

## सदस्यता शुल्क

वार्षिक शुल्क- 120/-रु.  
दस वर्षीय शुल्क- 800/-रु.

शुल्क राशि 'विद्या भारती प्रदीपिका' के बचत  
खाता क्र. 1130307980 सेन्ट्रल बैंक ऑफ  
इण्डिया, IFSC-CBIN0283940 ब्रांच नेहरू  
नगर, नई दिल्ली में जमा कर, पत्र द्वारा  
कार्यालय को सूचित करें।

मुद्रण- जेनिसिस प्रिंटर,  
सी 74, ओखला इस्ट्रीयल एरिया,  
फेस-1, नई दिल्ली-110020

vuDef. kdk

सम्पादकीय	डॉ. ललित बिहारी गोस्वामी	4
राष्ट्रीय शिक्षा नीति : दिशा और दृष्टि	प्रो. गोविन्द प्रसाद शर्मा	5
विश्वगुरु भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति	श्री मुकुल कानिटकर	8
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020		
एवम् भारतीय भाषाएँ	श्री अतुल कोठारी	11
राष्ट्रीय शिक्षा नीति "सा विद्या या..."	डॉ. पिकेंशलता रघुवंशी	14
मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में		
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	श्री लक्ष्मीनारायण भाला	17
शिशु से माध्यमिक तक की शिक्षा	श्री केशव कुमार शर्मा	20
राष्ट्रीय शिक्षा नीति : तकनीकी शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता	प्रो. वीरेन्द्र विजय	23
राष्ट्रीय शिक्षा नीति : शिक्षक शिक्षा	डॉ. इन्द्रपाल शर्मा व डॉ. सुबोध कुमार	26
मेरा भारत, मेरी शिक्षा: अखिल भारतीय कार्यक्रम	श्री रवि कुमार	29
भारत में शिक्षा नीतियाँ व आयोगों का गठन	श्री तपन कुमार	32
हार की जीत	श्री सुदर्शन	36
श्री राम जन्मभूमि : अयोध्या	श्री मिलिन्द पराण्डे	38
श्री राम जन्मभूमि आन्दोलन : एक दृष्टि	श्री मनोज वर्मा	40
कोरोना और भारतीय जीवनशैली	श्री वासुदेव प्रजापति	42
राष्ट्रीय एकता व समाजिक समरसता के पुरोधः श्री मोरोपंत पिंगले	श्री कौशलेश कुमार उपाध्याय	46
National Education Policy – 2020 : Strategy for Implementation	Shri D. Ramakrishna Rao	47
Parental Engagement in Learning & School Education	Shri Narshingh Saharawat	51
Covid 19 – Challenges to Leadership	Dr. Umamaheswara Rao	53
China Communist or Expansionist	Shri Rajender Kumar Shastri	56
ECO-Brick – Combating Plastic Waste	Shri Niyati Sharma	59
Understanding Hindutva with 'Right' perspective!!	Shri Prashant Barthwal	61
अखिल भारतीय साधारण सभा बैठक सम्पन्न	संक्षिप्त प्रतिवेदन	64

आवरण : गैरिकवसना भारतमाता, सुप्रसिद्ध चित्रकार अवनीन्द्र नाथ ठाकुर द्वारा स्वदेशी भावना से सन् 1905 ई. में बनाया गया चित्र। चार भुजाओं में पुस्तक, धान की बाली, वस्त्र एवं जपमाला।

प्रदीपिका में प्रकाशित विचार रचनाकारों के हैं, पत्रिका की सहमति आवश्यक नहीं है।

## सम्पादकीय

बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा अत्यंत सुखद एवं आश्वस्तिकर है, इसलिए नहीं कि लगभग चौथाई सदी के बाद इस महत्त्वपूर्ण विषय पर नीति-निर्णय लेने की सुध नीति-नियंताओं को आई अपितु इसलिए कि नीति-निर्धारण में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। 2015 में शिक्षा में परिवर्तन की आकांक्षा हुई तब पूरे देश में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले आचार्यों से लेकर विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, कुलपतियों तक के, इसके विभिन्न स्तरों और आयामों पर अगणित गोष्ठियों में गहन और व्यापक विचार-मंथन से निष्पन्न निष्कर्षों को इसकी आधारभूमि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। न केवल आचार्यों, पण्डितों के व्यावहारिक सुझाव अपितु विद्यार्थियों, अभिभावकों सहित समाज के चिंतनशील बुद्धिजीवी वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं से इसके भित्तियों को तैयार किया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री के. कस्तूरीरंगन सरीखे अनुभवसिद्ध मूर्धन्य महानुभावों ने इसका कलश रखा, इसके रूप को सँवारा। राष्ट्र एवं मानवता के प्रति अतिशय आगाध श्रद्धा रखने वाले राजपुरुषों ने अपनी सहर्ष स्वीकृति दे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कम से कम पाँच वर्ष के सब प्रकार के परिश्रम का परिणाम है और इसलिए सुखद और आश्वस्तिकर है। यह बिल्कुल भी बड़बोलापन नहीं है कि इसमें विद्या भारती और समविचारी संगठनों को बहुत बड़ा श्रेय जाता है।

किसी भी राष्ट्रीय नीति के पीछे उसका लम्बा इतिहास, इतिहास बोध, पूर्वजों का श्रेयस्कर गहन चिंतन, मनन, मंथन, उससे उद्भूत सिद्धांत, कठोर तपश्चर्या द्वारा उन सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया जीवन-व्यवहार होता है। एक शब्द में कहें तो यह 'राष्ट्रीय चिति' है। ऐसी राष्ट्रीय नीति का संधान राष्ट्र के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले महामना ही कर पाते हैं और इसके क्रियान्वयन की सामर्थ्य भी सिद्धांतों पर अडिग महानुभावों में ही होती है। सौभाग्य से आज अपने देश में सत्ता के शीर्ष से लेकर विविध संस्थाओं के हर सोपान पर ऐसे मनीषी विद्यमान हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारम्भ से लेकर उच्चतर स्तर तक बालक की शिक्षा के समग्र, समेकित रूप को ध्यान में रखकर चलती है। 5+3+3+4 गणित के ये अंक बालक के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक किंवा अनिवार्य हैं। बालक के अलग-अलग आयुवर्ग में बनती, विकसित होती शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर किए गए विभाग हैं। कक्षा-कक्षा में की गई पढ़ाई (Class-room teaching) के अतिरिक्त खेल, क्रियात्मक गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा के महत्त्व की स्वीकृति और क्रियान्वयन से बालक में निहित सम्पूर्ण योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के सही अर्थों में प्रस्फुटन का मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है।

इसी प्रकार उच्चतर शिक्षा में समाज के लिए उपयोगी और सुखकर अनुसंधान पर पर्याप्त बल दिया गया है। इसके लिए अंतर-विषयक अनुसंधान, नवाचार, रचनात्मकता और ज्ञान-सृजन की संस्कृति के विकास की बात की गई है। यह अनुसंधान भारत की कृषि, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक अवदान को ध्यान में रखते हुए हो, इस देश की माटी से जुड़ा हुआ हो, इस देश और सम्पूर्ण मानवता के सुख का विधान करने वाला हो।

मानक स्कूली शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भविष्योन्मुखी शिक्षा व्यवस्था हेतु तत्परता से प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी पक्षों और आयामों को अपने दृष्टिपथ पर बड़ी स्पष्टता से रखती है वह चाहे शिक्षक शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल, ऑनलाइन शिक्षा हो या कौशल विकास के लिए हो और चाहे भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति के संवर्धन के लिए ही क्यों न हो।

इसके लिए नियामक संस्थाओं के आज के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन और नए रूप में, नए दायित्वों का वहन कर सकने वाली नई नियामक संस्थाओं के गठन पर भी सुस्पष्ट विचार और नीति इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वैशिष्ट्य बन जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में समर्पित भाव से विविध प्रयोग करते हुए प्रामाणिकता से अनवरत काम करने वाली, भारतकेन्द्रित दृष्टि को प्रमुखता देने वाली 'विद्या भारती' की पत्रिका 'विद्या भारती प्रदीपिका' का यह अंक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध पक्षों और आयामों को शिक्षा क्षेत्र में सतत कार्य करने वाले ज्येष्ठ, श्रेष्ठ विचारवान् लेखकों की कलम के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। आगामी अंक में भी इससे संबंधित कतिपय सामग्री रहेगी।

आज के ज्वलंत अन्य विषय यथा अयोध्या, चीन, कोरोनावाइरस, पर्यावरण आदि भी आनुषंगिक रूप से इस अंक में हैं।

आ परितोषाद् विदुषां.....

डॉ. ललित बिहारी गोस्वामी

## ज॒क॒व॒ह॒ f' k'k ulfr %fn' k'k v'k' nf"V

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति



#### प्रो. गोविन्द प्रसाद शर्मा

अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली  
सुप्रसिद्ध चिंतक व विचारक,  
शिक्षाविद्, भारतीय शिक्षा के विशेषज्ञ  
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी ग्रंथ अकादमी,  
पूर्व अध्यक्ष, विद्या भारती  
अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान

#### संपर्क

मो. 9425430172

वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक काल की देन है। जब हम पराधीन थे तब आक्रान्ताओं ने अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए इस शिक्षा प्रणाली को प्रारम्भ किया था। उस समय शिक्षा के लक्ष्य और विज्ञान (दृष्टि) सीमित क्षेत्र के लिए ही था।

अब हम एक स्वतंत्र देश हैं, परन्तु स्वतंत्रता के बाद लगभग 74 वर्ष तक भी हम अपने देश की शिक्षा प्रणाली को स्वतंत्र देश की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ नहीं सके। शिक्षा को सामाजिक उद्देश्यों, भारतीय परिवेश और राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ने की हमारी पहल अकादमिक और राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी बहस का विषय तो रही पर वह प्रभावी परिणाम नहीं दे सकी।

वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद एक वर्ग ऐसा था जो औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली को बनाए रखना चाहता था। उस वर्ग के दिमाग में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड इतनी गहराई से बैठे थे कि वे लोग शैक्षिक क्षेत्र में किसी नई संकल्पना का विचार ही नहीं कर सकते थे। एक अन्य तरीके से इसका साथ दिया वामपंथी वैचारिक सोच ने...

शिक्षा को लेकर स्वतंत्रता के बाद भी वस्तुतः भारतीय शिक्षा वैश्विक और आन्तरिक दबावों में रही। वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन के अलावा अमेरिका भी नहीं चाहता था कि भारत अपनी स्वयं की ऐसी शिक्षा नीति बनाए जो राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव को बढ़ाने वाली हो। 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने ब्रिटेन के राजदूत को यह सलाह दी कि ब्रिटेन भारत के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करे जिससे भारत भविष्य में 'पश्चिम की छत्रछाया' में बना रहे। यह तभी सम्भव था जब भारत औपनिवेशिक काल की शिक्षा प्रणाली को चालू रखे। स्वतंत्रता के बाद देश के अन्दर भी एक ऐसा वर्ग था जो औपनिवेशिक शिक्षा में किसी

नई संकल्पना का विचार ही नहीं कर सकता था। एक अन्य तरीके से इस वर्ग का साथ दिया वामपंथी वैचारिक सोच ने जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित किया। शिक्षा क्षेत्र में वामपंथी चिन्तन से सर्वाधिक प्रभावित वह विचार हुआ जो शिक्षा को राष्ट्रीय आकांक्षाओं और सांस्कृतिक सरोकारों के साथ जोड़ना चाहता था।

वामपंथी विचारों ने भारतीय इतिहास लेखन को विकृत किया, हिन्दू शासकों उनके पराक्रम तथा संघर्ष को सही और वास्तविक अर्थों में सामने ही नहीं आने दिया। पूर्वाग्रहों से युक्त शोध को प्रोत्साहित किया। पाठ्यक्रमों में उन संदर्भों और ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की गई जो राष्ट्रीय मनोबल को प्रोत्साहित करने वाले थे। वामपंथी लेखन भारतीय जीवन, परम्पराओं व मूल्यों तथा आस्थाओं के प्रति पूर्ण उपहास व्यवहार रहा। यूरोपियन सोच और वामपंथी विचारों का परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के बाद गठित आयोगों और दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1) 1964 से 1966 के प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार द्वारा घोषित 24 जुलाई 1968 की देश की शिक्षा नीति तथा (2) देश की शिक्षा नीति 1986 - शिक्षा की चुनौतियाँ व संशोधित नीति 1992 की अनुशंसाओं के बाद भी इस देश में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में आंतरिक संशोधन ही किया जाता रहा पर व्यापक स्तर पर शिक्षा में किसी आमूलचूल परिवर्तन की पहल नहीं कर सके।

शिक्षा का मूल स्वरूप राष्ट्रीय होता है यह देश की संस्कृति से जुड़ी रहती है। डेलर्स का प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षा की जड़ें संस्कृति में तथा प्रतिबद्धता विकास में होना चाहिए। यदि शिक्षा में राष्ट्रभाव नहीं है, उसका सामाजिक सरोकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वह सांस्कृतिक चेतना की संवाहक नहीं है तब शिक्षा की कोई उपादेयता भी नहीं है। इस आधार पर यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विचार

करें तब हम पाएँगे कि यह नीति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने वाली है।

जो दृष्टि शिक्षा की प्रेरक शक्ति होती है वही दृष्टि राष्ट्र के भविष्य के स्वरूप का भी निर्धारण करती है। अतः हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन आधारभूत सिद्धांतों और प्रेरक शक्तियों को जानना चाहिए जो भविष्य के भारत के स्वरूप का निर्धारण करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उन मूलभूत पथप्रदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर यह नीति बनाई गई है। यह सही है कि शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अच्छे व्यक्ति का विकास करना है पर उसके लिए व्यापक, गतिशील और समावेशी शिक्षा प्रणाली ने कुछ आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किए हैं जो शिक्षा नीति के निर्माण में मार्गदर्शक का काम करेंगे। कुछ प्रमुख आधार व सिद्धांत निम्न लिखित हैं -

प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, लचीलापन, बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास। अवधारणात्मक समझ पर जोर, रचनात्मक व तार्किक सोच को प्रोत्साहन, नैतिक मानवीय और सैवैधानिक मूल्य, बहुभाषिकता, सतत मूल्यांकन पर जोर, स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द्र मानना, भारतीय जड़ों और गौरव से लगाव, हम मजबूत और जीवन्त सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश आदि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विज़न जिसे हम शिक्षा की दृष्टि कह सकते हैं, बहुत स्पष्ट है वह अपने को पश्चिम के मंडल आभा से निकालकर अपनी स्वयं की स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए प्रयत्नशील है। उसकी प्रेरणा पश्चिम नहीं, अपितु प्राचीन भारतीय सनातन मूल्य और ज्ञान परम्परा है, इस रूप में वह भारतीय सनातन मूल्यों से जुड़ी है। पश्चिम के ज्ञान का विरोध नहीं है, ज्ञान वैश्विक है, परन्तु अपनी पहचान स्थापित करने का आग्रह अवश्य है। यह इस बात से स्पष्ट है, शिक्षा नीति में कहा गया है कि “प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परम्परा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा को सात्विक और पवित्र माना है जिसका अंतिम लक्ष्य ‘सा विद्या या विमुक्तये’ है अर्थात् विद्या (शिक्षा) है जो हमें सभी बन्धनों से मुक्त करे। इस कथन की दार्शनिक व्याख्या तो यह है कि शिक्षा हमें अज्ञान, अभाव, विषाद और भय से मुक्त करे अर्थात् हम ज्ञानमय जीवन जिए। शिक्षा ज्ञान का स्रोत है, वह व्यक्ति के कौशल का विकास का आधार है। हम अपने जीवन को सुखमय बना सकें, शिक्षा की यह दृष्टि विज़न है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माना गया है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देगी। शिक्षा नीति का

यह विचार हमें विवेकानन्द के प्रसिद्ध कथन का स्मरण कराता है “शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के अन्तर्निहित शक्ति के पूर्णता को अभिव्यक्त करता है।” अर्थात् शिक्षा एक माध्यम है जो व्यक्ति के अन्दर की पूर्णता को व्यक्त करने में सहायक होती है। जब हम भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा की बात करते हैं तब हम भारत केन्द्रित शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (वह प्रारूप जो 2018 में तैयार हुआ था) में कहा गया है कि The National Education Policy 2018 envisions an Indian centred education system, that contributes directly to transformming our nation sustainably in its on equitable and vibrant knowledge in society by providuing high quality education to all.

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018 ऐसी केन्द्रित भारत शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो प्रत्यक्ष रूप से अपने देश को ग्रहणीय, जीवन्त ज्ञान एवं संगत न्याय समाज के रूप में रूपान्तरित करेगी।)

आज शिक्षा की समस्या यह है कि इसमें पाश्चात्य चिंतन, मान्यताएँ, अवधारणाएँ तो हैं पर भारतीय चिंतन परम्पराएँ और अवधारणाएँ नहीं हैं। इसका परिणाम यह है कि छात्र कोई भी विषय पढ़े, वह यही पढ़ता है कि इस विषय के मूल सिद्धांत पश्चिम के विचारकों ने दिए हैं, भारत के विचारकों ने कोई सिद्धांत नहीं दिए हैं। हम पश्चिम के विचारकों के लेखन के आधार पर विषय को पढ़ते और पढ़ाते हैं। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि छात्र भारत की विशाल ज्ञान परम्परा से अनजान रहा उसे मालूम ही नहीं कि प्राचीन भारत ज्ञान का खजाना है। भारत केन्द्रित शिक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में विचारक प्रायः डॉ. दौलत सिंह कोठारी के इस कथन को उद्धृत करते हैं “भारतीय बुद्धिजीवियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका गुरुत्व केन्द्र यूरोप है, जिसे शीघ्रतः शीघ्र भारत केन्द्रित करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है कि हम जिस गुरुत्व केन्द्र में रहेंगे उसके प्रभाव में हमारा चिंतन, मनन और लेखन होगा। यदि हमारा गुरुत्व केन्द्र पश्चिम है तो इस पश्चिम की चिंतन धारा के अनुरूप सोचेंगे यदि हमारा गुरुत्व केन्द्र भारत है, तब हम भारत की दृष्टि से विचार करेंगे। हम प्राचीन चिंतन परम्परा और ज्ञान-विज्ञान की धारा से परिचित होंगे, उससे प्रभावित होंगे और उस पर गर्व भी करेंगे। हमारा सोच बदलेगा, वर्तमान शिक्षा नीति इस दिशा में एक प्रयास है।

शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति बनना है। आज का युग ज्ञान का युग है, यदि हम ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ जाएँगे तथा ज्ञान में निपुण नहीं हुए तो हम दूसरों की ओर देखते रहेंगे। ज्ञान शक्ति है जो हमें पहचान और ऊर्जा देता है। ज्ञान के परिणामस्वरूप हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और गौरव आत्म का विकास होता है। ज्ञान में विश्व को बदलने की शक्ति है, विचारक मानते हैं कि भविष्य में युद्ध ज्ञान द्वारा, ज्ञान के

लिए, ज्ञान क्षेत्र में होगा। अमेरिकन पत्रकार फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक 'द वर्ल्ड इज फ्लेट' में वर्तमान में दुनिया के तेजी से बदलने के जिन दस कारणों की चर्चा की है उनमें से नौ कारण तकनीक और सूचना क्रान्ति से जुड़े हैं केवल एक कारण राजनीतिक है। यह ज्ञान क्षेत्र की सच्चाई है। शिक्षानीति इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त करती है। इसके लिए वह शोध और नवाचार पर जोर देती है। शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन' जो स्वायत्त संस्था होगी इसकी स्थापना की संस्तुति की गई है। शिक्षा नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी योजना है। आज स्थिति यह है कि अनुसंधान क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। शोध के लिए जहाँ इज़रायल में जी.डी.पी. का 4.3 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 4.2 प्रतिशत व अमेरिका में 2.8 प्रतिशत तथा चीन में 2.1 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है। वहाँ भारत में 0.69 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वर्ल्ड इंटेलिक्चुअल प्रोपर्टी आर्गनाइज़ेशन के आँकड़ों के अनुसार जहाँ चीन ने पेटेन्ट के लिए 13,38,503 व अमेरिका ने 6,05, 571 प्रार्थना पत्र दिए हैं वहीं भारत ने केवल 45,057 ही प्रार्थना पत्र दिए हैं।

शिक्षा नीति भारतीय होने पर गर्व अनुभव करने के लिए है। यह गर्व केवल विचारों में नहीं अपितु हमारे व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी व्यक्त होना चाहिए। सामान्यतः हम सेमिनारों, संगोष्ठियों, भाषणों और आलेखों में भारत की महानता और उसकी दीर्घ सांस्कृतिक उपस्थितियों एवं उच्चतम आदर्शों की चर्चा बहुत उत्साह से करते हैं पर हमारे व्यवहार, सोच और कार्य में कहीं न कहीं अपने को तुलनात्मक रूप से कमतर आँकने की ग्रंथि बैठी हुई है। शिक्षा नीति इस ग्रंथि को समूल नष्ट करने का प्रयत्न है। जैसे-जैसे हम ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बहुत जायेंगे, यह ग्रंथि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। शिक्षा नीति में एक ऐसा भारतीय होने की सोच है जो मानव अधिकारों की चिन्ता करेगा, वैश्विक कल्याण के सम्बन्ध में सोचेगा और सही अर्थों में एक वैश्विक नागरिक बनेगा। शिक्षा नीति में यह भाव छिपा हुआ है कि एक अच्छा नागरिक ही अच्छा वैश्विक नागरिक बन सकता है, जिसकी आस्था स्वयं की संस्कृति और परम्पराओं में है; वही दूसरों की संस्कृति और परम्पराओं का सम्मान कर सकता है।

ज्ञान की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध देश रहा है। शिक्षा पर्यावरण, स्वास्थ्य, ऋतुओं के अनुसार जीवन आदि के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ज्ञान आज भी उपयोगी है। यह ज्ञान किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में भी यह ज्ञान फैला हुआ है, इसके अतिरिक्त गणित, खगोल, दर्शन, योग, कला वास्तु, चित्रकला, चिकित्सा, कृषि, अभियांत्रिकी, विज्ञान भाषा, राजव्यवस्था आदि क्षेत्रों तक विस्तृत है। मानव सभ्यता का इतिहास यह बतलाता है कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय विश्व के

प्राचीनतम सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने जिन्होंने समय-समय पर भारत की यात्रा की, अपने संस्मरणों में लिखा है कि भारत में ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध परम्परा रही है। कई विदेशी यात्रियों ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया है। हेनसांग (चीन) ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्धधर्म के साथ ही चिकित्सा शास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष और व्याकरण का भी अध्ययन किया। अलबरुनी ने भी भारत में संस्कृत, प्राकृत, विज्ञान, साहित्य, दर्शन और धर्म का अध्ययन किया।

शिक्षा नीति में यह सम्मिलित है कि इस पूरे पारम्परिक और अन्य ज्ञान को स्कूल पाठ्यक्रम में जहाँ भी प्रासंगिक हो वहाँ वैज्ञानिक और सटीक तरीके से जोड़ा जाए। शिक्षा नीति में यह भी सुझाव है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जो वैकल्पिक हो।

भारतीय शिक्षा नीति की दिशा और दृष्टि पर विचार करते समय वश प्रसंग एक संदर्भ का उल्लेख प्रासंगिक होगा। हमें ध्यान होगा कि लार्ड मेकोले (टॉमस बेबिंगटन मैकोले) ने एक सौ पच्चासी वर्ष पूर्व सन् 1835 में बहुत उपहासपूर्ण ढंग से कहा था कि "मेरे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तकों की ऐतिहासिक जानकारी एकत्र करने पर वह इंग्लैंड की एक प्राथमिक पाठशाला के लिए तैयार की गई संक्षिप्त जानकारी का समावेश करने वाली पुस्तक से भी कम होगी।"

शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को लेकर जो उल्लेख है मुझे, लगता है कि वह मैकाले के कथन का समुचित उत्तर है। यह बात अलग है कि उत्तर देने में हमें एक सौ पच्चासी वर्ष लगे, शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि "संस्कृत आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्त्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लेटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दिशा और दृष्टि स्पष्ट है। वह नए भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए है। नया भारत ज्ञानयुक्त, समृद्ध, समृद्ध और समर्थ भारत होगा जो आत्मविश्वास और गौरव आत्म की भावना से पूर्ण होगा। शिक्षा नीति की यह विशेषता है कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा उपलब्ध हो। तभी तो ज्ञानयुक्त समाज बन सकेगा। यह सही है कि नीतियाँ मार्गदर्शक सिद्धांतों की पूँजी होती हैं, उसमें बाध्यता नहीं होती, पर इस शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक बदलाव के लिए सरकार की तत्परता यह विश्वास दिलाती है कि हम, निश्चित ही शिक्षा नीति में जिन लक्ष्यों का निर्धारण किया है, उन्हें प्राप्त कर सकेंगे।

## fo'ox# Hkj r dsfy, jk'Vfr f'kfk ulfr

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति



श्री मुकुल कानिटकर  
शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयों  
के गहन अध्येता-चिंतक  
अखिल भारतीय संगठन मंत्री  
भारतीय शिक्षण मंडल

संपर्क

मो. 9405774820

प्रत्येक राष्ट्र का एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार ही उसे विश्व को संदेश देना होता है और उसकी नियति भी उसी के अनुसार तय होती है। भारत सदा से विश्वगुरु के रूप में जाना जाता है। जब-जब भारत शक्तिशाली, सामर्थ्यवान तथा आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हुआ, तब-तब भारत ने विश्व का मार्गदर्शन किया। यह छोटा मोटा कालखंड नहीं है। अमेरिकी अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन को ईस्वी सन् शून्य से लेकर 2000 तक का आर्थिक इतिहास लिखने का दायित्व दिया गया था। “विश्व का आर्थिक इतिहास सहस्राब्दी का दृष्टिकोण” (Economic History of the World-Millennial Perspective) 2004 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वे बताते हैं कि ईसवी सन् के प्रारम्भ से 15 वीं शताब्दी प्रारम्भ तक अर्थात् पूरे 1500 वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्र था। अनुमान के अनुसार विश्व की 46 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक सम्पदा भारत में उत्पादित होती थी। 15 वीं शताब्दी के बाद चीन के उदय के कारण भारत का योगदान प्रतिशत में कम हुआ। उत्पादन नहीं केवल निर्यात प्रतिशत में कम हुआ। अंग्रेजों द्वारा 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था की स्थापना तक भारत का विश्व सम्पदा में योगदान 23 प्रतिशत से अधिक था। सर्वसम्पन्न, समृद्ध भारत विश्व में व्यापार करता था। सारे जगत् में भारत के व्यापारी पानी के जहाज और भूमार्ग से आज जिसे मध्य एशिया कहते हैं, वहाँ से अर्थात् रेशम मार्ग से पूरे विश्व में व्यापार करते थे। विश्व व्यापार और सामर्थ्यवान होते हुए भी भारत ने सेनाएँ भेजकर किसी दूसरे भूभाग को राजनीतिक अथवा आर्थिक रूप से अधीन नहीं किया। भारत सदा से ही विश्व को ज्ञान, प्रेम और अध्यात्म का संदेश देता रहा है। इसलिए जब-जब भारत विश्व का सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थ्यवान, सर्वसमृद्ध देश बना, तब-तब

उसे विश्वगुरु की उपाधि दी गई। यही भारत का लक्ष्य है। ऋषियों ने राष्ट्र की उत्पत्ति का यही कारण बताया है। जगत् के कल्याण के लिए ऋषियों की तपस्या से इस राष्ट्र को बल और ओज प्राप्त हुआ। इस अर्थ का मंत्र हमको वेदों में मिलता है। “भद्रमिच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषदुरग्रे। ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मैदेवा उपसंनमन्तु।” (अथर्व 19-41-1) यही भारत का चिरकालिक उद्देश्य है। भारत की इस आर्थिक समृद्धि, सामर्थ्य और संपदा को यदि हम भारत के शैक्षिक इतिहास के साथ जोड़कर देखते हैं तो आश्चर्यजनक तत्त्व सामने आते हैं। अनादिकाल से गुरुकुल व्यवस्था में न केवल भारत के अपितु विश्व के भी अनेक नागरिकों को सभी प्रकार का लौकिक व अध्यात्मिक ज्ञान देने का कार्य भारत के विश्वविद्यालयों ने किया। विश्वविद्यालय यह शब्द भारत की विश्व को देन है। इसका अर्थ यही है कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशीला आदि सभी स्थानों में जो शिक्षा संस्थान थे, वे केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। किसी भी एक वर्ण अथवा जाति तक सीमित होने की बात तो दूर, यह समस्त विश्व को ज्ञान देने का कार्य करते थे। इसीलिए उन्हें विश्वविद्यालय कहा गया।

12 वीं और 13 वीं शताब्दी में इन विश्वविद्यालयों पर आक्रमण हुए। नालंदा का विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने जला दिया। इसके पश्चात् बाकी विश्वविद्यालयों ने इसी आक्रमण के भय से स्वयं को समेट लिया। भारत की प्रचुर ज्ञानराशि ग्रंथ सम्पदा के रूप में त्रिविष्टप (तिब्बत) की गुफाओं में भेजी गई। इस प्रकार हमने इन बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों को विकेंद्रित कर दिया और ग्राम-ग्राम में शिक्षा की व्यवस्था की। यही वह समय है जिस समय एंगस मेडिसन कह रहे थे कि भारत का जो विश्व में आर्थिक योगदान है वह घटता गया। शिक्षा के साथ समृद्धि का सीधा संबंध है। फिर



**“भारत को पुनः एक बार विश्वगुरु बनाने वाली शिक्षा नीति है। इसमें वैश्विक संस्थाओं के लिए भारत के लिए द्वार तो खोले ही हैं साथ ही साथ विदेशी विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश देने के लिए विशेष प्रवधान करने की बात की गई है। समग्र पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाने की योजना है, जिससे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, सांस्कृतिक चेतना से समृद्ध, संवेदनशील, वैश्विक नागरिक हम तैयार कर सकें।”**

भी 19 वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में भारत विश्व के आर्थिक उत्पादन में 23 प्रतिशत जीडीपी का योगदान करता रहा। 1835 में ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू होती है और भारत का आर्थिक उत्पादन घटता जाता है। भारत के लोग विपन्नावस्था को प्राप्त होते हैं। अंग्रेजों के शासन से पूर्व भारत में कभी गरीबी, भुखमरी देखी ही नहीं थी। 1823 के ब्रिटिश सर्वेक्षण में जो देश 98 तक साक्षर था, वह 1947 में केवल 12 प्रतिशत साक्षर रह गया और भारत का आर्थिक योगदान भी 2 प्रतिशत रह गया इस वास्तविकता से स्पष्ट होता है कि शिक्षा जगत् में समृद्धि का साधन रही है। ‘समृद्धि और संस्कृति साथ-साथ’ यह भारत का मंत्र रहा है। अम्युदय तथा निःश्रेयस दोनों ही साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बढ़ेगी तो विकास होगा, भारत पुनः विश्व में विजयी होगा।

अतः भारत के विश्व बनाने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण वाली, भारत की सांस्कृतिक जड़ों से पोषित तथा भारत केन्द्रित शिक्षा पद्धति आवश्यक है। 29 जुलाई 2020 को भारत की केन्द्रिय मंत्री परिषद् द्वारा पारित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में एक सुयोग्य चरण है। भारत को पुनः एक बार विश्वगुरु बनाने वाली शिक्षा नीति है। इसमें वैश्विक संस्थाओं के लिए भारत के लिए द्वार तो खोले ही हैं साथ ही साथ विदेशी विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश देने के लिए विशेष प्रवधान करने की बात की गई है। समग्र पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाने की योजना है, जिससे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, सांस्कृतिक चेतना से समृद्ध, संवेदनशील, वैश्विक नागरिक हम तैयार कर सकें। 15 अगस्त 2020 को लाल किले से दिए गए अपने वक्तव्य में भी प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति के इसी उद्देश्य को सबके सामने स्पष्ट किया। पहली बार भारत की शिक्षा नीति में वैश्वीकरण की बात हुई है। उसमें अंग्रेजी में विश्वगुरु शब्द का प्रयोग किया है। इस शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इस वैश्विक दृष्टि से देखा जाना आवश्यक है।

1. वैश्विकता - भारत में ज्ञान के क्षेत्र में कभी सीमाओं का निर्धारण

नहीं किया गया। हमारे शिक्षक सारे विश्व में शिक्षा प्रदान करते रहे हैं और सारे विश्व के जिज्ञासु भारतीय विश्वविद्यालयों में आकर ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। विदेशी शासन के बाद इस स्थिति में परिवर्तन हुआ और हम अपनी राजनैतिक सीमाओं में सिमट गए। भारत के विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के प्रवेश की भी अत्यंत सीमित संभावना अभी तक थी। शिक्षा नीति में इसे प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। (12 +7) भारतीय शिक्षण मंडल इसका स्वागत करता है। नीति में विश्व के सर्वोत्तम 100 विश्वविद्यालयों के प्रांगण भारत अपने यहाँ खोलने की अनुमति प्रदान करने की बात इस शिक्षा नीति में करता है, इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएँगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने पर कोई आपत्ति नहीं है। अधिनियमों में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि उन्हें कोई विशेष सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाएँगी। जो विधि अथवा कानून भारतीय विश्वविद्यालयों वे ही उन पर लागू होने चाहिए। खास बात यह है कि उन्हीं के द्वारा ये विदेशी विश्वविद्यालय संचालित किए जाएँ। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में स्वागत करने के साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में अपना प्रांगण खोलने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है। (12 +8)

2. भारतकेन्द्रित - इस शिक्षा नीति की विशेषता है कि इसमें सभी स्तरों पर भारत को केन्द्र में रखा गया है। पृष्ठ संख्या 8 पर नीति का विजन, भारत की परिस्थितियों के अनुसार नीतियों का प्रावधान किया गया है। वैश्विक स्तर पर तथा प्रतिस्पर्धा की चर्चा तो है किन्तु विश्व में स्थान प्राप्त करने के लिए अंधानुकरण की बात नहीं है। वैश्विक बातों को देशानुकूल बनाकर स्वीकार करने की सम्भावना नीति में है। क्रियान्वयन के समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी विद्या की शाखाओं के संदर्भीकरण की आज नितांत आवश्यकता है। इसमें चिकित्सा शिक्षा के बारे में विस्तृत योजना दी है जो भारत की परिस्थिति के अनुरूप है। (20 +5) जैसे जिला स्तर के प्रत्येक चिकित्सालय को

**“जब अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया, उस समय 193 देशों ने अपने-अपने देश की भूमि पर योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार करते हुए अपना मस्तक नवाया था; वे भारत भूमि की ही वंदना कर रहे थे। उस अर्थ में 21 जून 2015 को भारत एक बार पुनः विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भारत माँ को यह प्रतिष्ठा दिलाने के लिए संयुक्तराष्ट्र संघ में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया उस पर 171 देशों ने हस्ताक्षर पक्ष में किए थे।”**

शिक्षा का केन्द्र बनाने की बात है जिससे पर्याप्त संख्या में आवश्यक चिकित्सकों का निर्माण किया जा सके। योग, आयुर्वेद आदि भारत की पारम्परिक चिकित्सा विधियों का भी चिकित्सा शिक्षा में सभी स्तरों पर विकास किया जाएगा। ग्रामीण शिक्षकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उस हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। (5+2) भारत की विशिष्ट परिस्थिति को देखते हुए समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के अवसर प्रदान कर सामाजिक समरसता हेतु अनेक क्रान्तिकारी व व्यवहारिक उपाय इस नीति में दिए गए हैं। (14+1 से 14+4)

जब अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया, उस समय 193 देशों ने अपने-अपने देश की भूमि पर योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार करते हुए अपना मस्तक नवाया था; वे भारत भूमि की ही वंदना कर रहे थे। उस अर्थ में 21 जून 2015 को भारत एक बार पुनः विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भारत माँ को यह प्रतिष्ठा दिलाने के लिए संयुक्तराष्ट्र संघ में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया उस पर 171 देशों ने हस्ताक्षर पक्ष में किए थे।

अभी महीना भर पूर्व कोविड महामारी के मध्य में संयुक्तराष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में अस्थाई सदस्य के लिए चुनाव हुए, उस चुनाव में संयुक्तराष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों में से केवल 8 को छोड़कर सभी ने भारत के पक्ष में मतदान किया। यह भारत के नेतृत्व की स्वीकार्यता आज एक अवसर प्रदान कर रही है।

अवसर का गवाक्ष खुला है। इस शिक्षा नीति में उस अवसर को वास्तव में परिवर्तित करने का बीज विद्यमान हैं। आवश्यकता है कि शासन के साथ समाज और सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा जगत् अर्थात् शिक्षक भारत के इस वैश्विक दायित्वों को समझें और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए अपने कमर कस लें। हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाएँ, वैश्विक मापदंडों पर खरा उतरने वाला पाठ्यक्रम तैयार करें और विश्व के सभी देशों के विद्यार्थियों को यहाँ आमंत्रित करें। वैश्विक संस्थानों का आगमन होने से बाहर जाने वाली प्रतिभा इसी देश में वैश्विक गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकेगी और भारत को पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन होगा।

## हजार वर्ष पूर्व ही मानव सभ्यता को नमस्कार मुद्रा प्रदान की है। राखीगढ़ी से प्राप्त नमस्कार मुद्रा वाली दुर्लभ मूर्ति विश्व के सामने उत्खनन के बाद पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में सामने आया है। आज समस्त विश्व इस कोरोना काल में हाथ मिलाने की परम्परा को छोड़कर नमस्कार की मुद्रा में अभिवादन करने लगा है। हरियाणा प्रांत के हिसार में स्थित राखीगढ़ी गांव में टीले के नीचे से आठ हजार साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग कुछ चरणों में उत्खनन कर चुका है, जबकि कुछ चरणों का होना शेष है। यहाँ से अब तक मिले विविध अवशेषों में विविध साक्ष्य में सबसे महत्त्वपूर्ण साक्ष्य नमस्कार मुद्रा वाली मूर्ति, साधन में रत योगी की है। महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि सभ्यता के विकास क्रम में अभिवादन का यह साक्ष्य प्राचीनतम और दुर्लभ है। दूसरा भारतीय योग परम्परा में वर्णित एक प्रमुख पद्मासन योगासन की मुद्रा में बैठे योगी को इस प्रतिमा में अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में दर्शाया गया है। पश्चिम के विद्वानों का आर्यों को विदेशी बताने का दावा औंधे मुँह गिर जाता है। यद्यपि सभ्यता और इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण को भारत विश्व के सम्मुख उस प्रकार नहीं रख सका है जिसकी आज आवश्यकता है। इस ओर हमारा ध्यान दिनांक 01 नवम्बर 2020 को तब गया जब राखीगढ़ी में पुरातात्विक साक्ष्य को विश्व के सामने लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने विवरण जुटाया। जाँच की गई कि नमस्कार या अभिवादन की मुद्रा का इतना प्राचीन साक्ष्य कहीं विश्व के किसी देश में मिली है तो पता चला कि नहीं। इससे स्पष्ट हो गया है कि हमारे गौरवशाली अतीत की एक अद्भुत उपलब्धि है यह। इससे यह भी ज्ञात होता है कि हड़प्पा और वैदिक संस्कृति में आपस में समन्वय था। बताया जाता है कि विगत चरण में हुए उत्खनन के दौरान यहाँ 10 सेंटीमीटर ऊँची यह टेराकोटा की मूर्ति मिली है। इतिहासकारों ने कहा यह भी कहा कि हमें यह बताया जाता रहा है कि नमस्कार मुद्रा वैदिक सभ्यता का ही अंग है, जो कि विकसित सभ्यता है राखीगढ़ी में मिला यह साक्ष्य वैदिक अवधारणाओं को प्रमाणित करता है।



## ज॒क'व॒ह॒ f' k'k' ufr 2020 % Hk' r h, Hk'k' j

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति



श्री अतुल कोठारी

राष्ट्रीय सचिव,

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

पूर्व महामंत्री,

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्

सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक,

शैक्षिक चिंतक व

शैक्षिक विचार प्रवाह के मार्गदर्शक

संपर्क

मो. 9971899773

विश्व में कहीं भी शिक्षा एवं शिक्षा नीति की जब भी बात होती है तब भाषा की चर्चा होना अनिवार्य है। भाषा के बिना औपचारिक शिक्षा संभव ही नहीं है। भारत में भाषा का विषय अधिक महत्वपूर्ण एवं जटिल है। स्वतंत्र भारत में भाषा को कई लोगों ने राजनीति करने का एक साधन बना लिया। इस कारण से भारत में भाषा अधिक भावनात्मक विषय भी बन गयी है।

हमारे देश में अनेक भाषाएँ हैं जिनको विद्वान् भाषा और बोलियों इन दो वर्गों में बाँटते हैं। संविधान की 8 वीं अनुसूची में स्वतंत्रता के समय 14 भाषाएँ थीं वह बढ़कर वर्तमान में 22 भाषाएँ हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त अनेक बोलियों को मिलाकर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1369 भाषाएँ व बोलियाँ हैं, जिसमें 121 भाषाएँ व बोलियाँ 10 हजार से अधिक बोलने वाले व्यक्तियों की हैं। यूनेस्को के अनुसार विगत 50 वर्षों में 197 भारतीय भाषाएँ लुप्तप्राय हो चुकी हैं व अनेक भाषाएँ लुप्तप्राय होने की कगार पर हैं। ऐसी परिस्थिति में भाषा का महत्त्व और बढ़ जाता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भली-भाँति स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से नीति में लिखा है “संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयीन शिक्षा के स्तर पर कम से कम कक्षा 5 तक तथा जहाँ संभव है वहाँ कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम द्विभाषा में उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। आज पूर्व प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ अंग्रेजी माध्यम की दौड़ में यह बात जल्दी से पचना मुश्किल है, परन्तु जो बात तार्किक एवं वैज्ञानिक है उसको स्वीकार करके ही सही दिशा में हमारे छात्र आगे बढ़ सकते

हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि “हमारा बालक स्नातक, परास्नातक तक की पढ़ाई में छः वर्ष अंग्रेजी के पीछे बरबाद करता है, अगर यह समय उसके विषय पर लगा होता तो वह अपने विषय में अधिक अग्रसर हो सकता है।” वैश्विक स्तर पर भाषा संबंधी जितने भी अध्ययन हुए हैं, सबका एक ही निष्कर्ष है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए।

इस शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, क्योंकि देश के कुछ राज्य अभी तक इसका अमल नहीं कर रहे हैं। साथ ही त्रिभाषा नीति की जो भावना थी कि उत्तर के राज्य अर्थात् हिन्दी भाषी राज्य के छात्र दक्षिण या अन्य राज्यों की एक भाषा सीखेंगे और अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्र हिन्दी सीखेंगे परन्तु व्यावहारिक रूप से ऐसा किया नहीं गया। इस हेतु इस नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य परस्पर अनुबंध कर भाषा शिक्षकों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, इस प्रकार का सुझाव भी दिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को “एक भारत श्रेष्ठ भारत” गतिविधि में भाग लेना होगा। कुछ वर्ष से केन्द्रीय विद्यालय संगठन यह गतिविधि चला रहा है उनका परिणाम काफी अच्छा है। इस बात में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन को लेकर और एक प्रावधान है कि छात्र को तीन में से दो भारतीय भाषाएँ चुनना अनिवार्य होगा।

हमारे देश में भाषा को लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं जैसे कि अनेक राज्यों में मातृभाषा के विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं विख्यात वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम से नागपुर के धरमपेट महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में व्याख्यान के बाद एक छात्रा ने प्रश्न किया कि आप इतने अच्छे वैज्ञानिक कैसे बने ?, तब डॉ. कलाम का उत्तर था कि “मैंने 12वीं तक विज्ञान, गणित

“भारत में भाषाओं की विविधता को ध्यान में लेकर एक अत्यंत व्यावहारिक समस्या के समाधान पर भी नीति में ध्यान दिया गया है। हमारे देश के अधिकतर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है परन्तु जिसको आज प्रचलित भाषा में बोली कहा जाता है वह एक राज्यों में अनेक होती हैं। कई बार अनुभव आता है, विशेषकर जनजातीय, पहाड़ी क्षेत्र के छात्र उस राज्य की राजभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं जानते, ऐसे समय उनको वहाँ की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तब वह सही ढंग से सीख पायेंगे।”

सहित सम्पूर्ण शिक्षा अपनी मातृभाषा (तमिल) में ली है।” इस नीति में भी गणित, विज्ञान के पाठ्यक्रम भी अब द्विभाषा में उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

इस शिक्षा नीति में ई-लर्निंग, ऑन-लाइन शिक्षण को बढ़ावा देने की बात कही है। वर्तमान में हमारी धारणा यह बनी है कि इस प्रकार का शिक्षण अंग्रेजी में ही हो सकता है। इस गलत धारणा के विरुद्ध इस नीति में ई-लर्निंग को भी स्थानीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गयी है। सम्बन्धित लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय स्तर पर आठ भाषाओं में साफ्टवेयर तैयार करने का कार्य काफी हो चुका है। विद्यालयीन शिक्षा के लिए शिक्षण अधिगम, ई-सामग्री आदि सभी राज्यों के साथ-साथ एन.सी.ई.आर.टी., सी.आई.ई.टी., सी.बी.एस.ई., एन.आई.ओ.एस. और अन्य निकायों/संस्थानों द्वारा भी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की प्रतिबद्धता दर्शायी गई है।

इस नीति में भाषा शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। इस हेतु विकिपीडिया जैसे माध्यम के द्वारा भारतीय भाषाओं और उससे सम्बन्धित कला, संस्कृति का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही बालक भाषा का शिक्षण आनन्द से सीख सके इस हेतु ऐप्स एवं गेम्स(खेल) आदि विकसित करने की बात भी कही गई है।

भारत में भाषाओं की विविधता को ध्यान में लेकर एक अत्यंत व्यावहारिक समस्या के समाधान पर भी नीति में ध्यान दिया गया है। हमारे देश के अधिकतर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है परन्तु जिसको आज प्रचलित भाषा में बोली कहा जाता है वह एक राज्यों में अनेक होती हैं। कई बार अनुभव आता है, विशेषकर जनजातीय, पहाड़ी क्षेत्र के छात्र उस राज्य की राजभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं जानते, ऐसे समय उनको वहाँ की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तब वह सही ढंग से सीख पायेंगे। इस हेतु इस नीति में शिक्षकों की

नियुक्ति हेतु लिए जाने वाले साक्षात्कार में स्थानीय भाषा की सुगमता का भी परीक्षण किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण भारत के उत्कृष्ट छात्रों, विशेषकर के कन्याओं हेतु बी.एड.पाठ्यक्रम के लिए विशेष छात्रावृत्ति की व्यवस्था की जाएगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा में निपुण शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। इसी प्रकार अनुसूचित, जाति, जनजाति वर्ग के छात्रों हेतु विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं एवं द्विभाषी माध्यम में उपलब्ध करवाया जाएगा।

समग्र भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत का स्थान भाषाओं की दृष्टि से “माँ” के समान है। हमारी सभी भारतीय भाषाओं की विशेषता का आधार संस्कृत है। इस तथ्य को वैश्विक स्तर पर भी स्वीकार किया जा रहा है कि संस्कृत वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पूर्ण भाषा है। परन्तु हमारे देश में कुछ लोगों ने संस्कृत को मृतभाषा तक कह दिया है। इस नीति में कहा गया है कि संस्कृत को पाठशालाओं तक सीमित न रखते हुए विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प के रूप में स्थान दिया जाएगा। इसे पृथक् नहीं परन्तु रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से पढ़ाया जाएगा तथा अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विद्या, योग आदि से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहुविषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

इस नीति में एकल विश्वविद्यालयों की संकल्पना को खारिज किया है। इस दृष्टि से संस्कृत विश्वविद्यालय भी बहुविषयक विश्वविद्यालय बनेंगे जिससे सभी विषयों के साथ संस्कृत का जुड़ाव सहज हो सकता है।

हमारे देश में अनुवाद कभी प्राथमिकता का विषय नहीं बना है। कई बार अनुभव आते हैं कि अनुवाद कोई गलत कार्य है। उदाहरण के लिए आप दक्षिण के किसी राज्य में व्याख्यान के लिए गए हैं तब अंग्रेजी में बोलने का आग्रह रहता है, हममें से अधिकतर लोगों ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। दक्षिण के राज्यों में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो हिन्दी या अंग्रेजी दोनों भाषा नहीं जानते हैं उस समय देश की राजभाषा हिन्दी में व्याख्यान दें और आवश्यकतानुसार उसका स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाए, यह प्रयास बहुत कम जगह किया जाता

“विभिन्न विषयों का उत्कृष्ट ज्ञान अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए विज्ञान का अधिक ज्ञान रूसी भाषा में है, दर्शन का ज्ञान जर्मन भाषा में इसी प्रकार पुरातत्व, साहित्य का अधिक अच्छा ज्ञान फ्रांसीसी भाषा में है। इन सब प्रकार का ज्ञान हमको चाहिये तो इसका अनुवाद ही विकल्प है।”

है। अनुवाद स्वाभाविक भाषा का विकल्प नहीं है परन्तु हमारा देश बहुत विशाल है, भाषाओं की विविधता है, ऐसे समय में अनुवाद आवश्यक कार्य हो जाता है, परन्तु यह न होने से हम अपने ही देश के विभिन्न राज्यों के अच्छे साहित्य से वंचित रहते हैं। इसी प्रकार धारणा बन गई है कि ज्ञान की भाषा अर्थात् अंग्रेजी यह अर्धसत्य तो हो सकता है परन्तु पूर्ण नहीं। विभिन्न विषयों का उत्कृष्ट ज्ञान अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए विज्ञान का अधिक ज्ञान रूसी भाषा में है, दर्शन का ज्ञान जर्मन भाषा में इसी प्रकार पुरातत्व, साहित्य का अधिक अच्छा ज्ञान फ्रांसीसी भाषा में है। इन सब प्रकार का ज्ञान हमको चाहिये तो इसका अनुवाद ही विकल्प है। ऐसा कहा जाता है कि जापान में वैश्विक स्तर पर अच्छे ज्ञान की पुस्तक किसी भी भाषा में छपती है तब वहाँ एक मास के भीतर उसका जापानी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता है। हमें भारत को ज्ञानवान् समाज बनाना है तो अपनी भाषाओं में ज्ञान उपलब्ध कराने से ही यह संभव हो पायेगा।

इस शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों के संस्कृत सहित भारतीय भाषा के विभागों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विस्तार की बात कही गई है और देशभर में बिखरी हुई लाखों पांडुलिपियों को एकत्रित और संरक्षित करके उनके अनुवाद तथा अध्ययन करने के प्रयास की प्रतिबद्धता दर्शायी गई है।

यह वैज्ञानिक तथ्य है कि रचनात्मकता, सृजनात्मकता, नवाचार एवं शोध-अनुसंधान मातृभाषा में ही संभव है। भारतीय वैज्ञानिक सी. वी. श्रीनाथ शास्त्री ने कहा है कि मेरे अनुभव के अनुसार अंग्रेजी के माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में भारतीय भाषाओं में पढ़े छात्र, अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। इस नीति ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित “भारतीय शोध संस्थान” भारतीय भाषाओं में शोध हेतु आवश्यक निधि की व्यवस्था करेगा। इस बात को स्वीकार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पालि, प्राकृत, एवं फारसी भाषा हेतु राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात कही गई है (फारसी को इसमें समावेश का क्या औचित्य है, वह समझ से परे है)। साथ ही आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं की अकादमी स्थापित करने का आश्वासन दिया गया है। भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला के अध्ययन हेतु किसी भी उम्र के व्यक्ति हेतु छात्रावृत्ति की व्यवस्था करने का प्रावधान भी किया जाएगा। साथ ही नीति में वर्तमान में भारतीय भाषाओं की वास्तविक स्थिति की स्वीकारोक्ति भी की है। देश में गुणवत्ता वाले शिक्षकों की नितांत कमी है एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, पाठ्यक्रम आदि का अभाव है। भारतीय भाषाएँ विश्व में सबसे समृद्ध, अधिक वैज्ञानिक एवं

भाववाहक हैं, इस सत्य को रेखांकित किया गया है।

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास विस्तार के संदर्भ में आवश्यक अतिरिक्त बातों का समावेश किया गया है। परन्तु सबसे बड़ा प्रश्न इसके क्रियान्वयन का है। इस दृष्टि से केन्द्र, राज्य तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थानों एवं सामाजिक स्तर पर इसके क्रियान्वयन की उचित दिशा एवं व्यवस्था खड़ी करनी होगी। इसी प्रकार समाज के मानस को परिवर्तित करने की भी ठोस योजना आवश्यक है। इस हेतु :-

1. केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पाठ्यक्रम आदि स्तर पर कक्षा 8 तक की पढ़ाई अनिवार्य रूप से मातृभाषा में होनी चाहिए।
2. राज्य सरकारों को भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने की योजना पर कार्य करना होगा।
3. सभी शैक्षिक संस्थानों, विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रमों को द्विभाषा में करने की तैयारी अतिशीघ्रता से प्रारंभ करनी चाहिए।
4. सरकारी विद्यालयों में जहाँ भी प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम है, वहाँ परिवर्तन करके मातृभाषा का माध्यम लागू करना चाहिए।
5. शिक्षा के सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषा का विकल्प एक निश्चित समय मर्यादा में देने हेतु योजना पर शीघ्रता से कार्य होना चाहिए।

इस प्रकार की और अनेक बातें क्रियान्वयन हेतु सुनिश्चित करनी होंगी।

इस नीति में अनेक विषयों के लक्ष्य रखे गये हैं या क्रियान्वयन हेतु समय मर्यादा सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार भारतीय भाषाओं के संदर्भ में क्रियान्वयन की सुनिश्चित योजना नहीं दिखाई दे रही है। इस हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं शैक्षिक संस्थानों में इस नीति में भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जो प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है उसका क्रमबद्ध समय-पत्रक सुनिश्चित करने से ही वास्तविक क्रियान्वयन संभव हो पायेगा। अन्यथा नीति की बातें कागजों में सिमट कर ही रह जाएँगी।

जिस देश के नागरिकों में अपनी भाषा का स्वाभिमान नहीं होता है उनको विश्व में कहीं सम्मान नहीं मिल सकता। इस हेतु सामाजिक संस्थाओं, संगठनों एवं विशेष करके शिक्षा जगत के लोगों का प्रमुख दायित्व बनता है कि इस दिशा में देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाकर अपनी भाषाओं की वैज्ञानिकता एवं स्वाभिमान जगाने हेतु संकल्पबद्ध हों।

# ज॒क॒व॒त्त॒ f' क॒क॒ उ॒त्त॒ म॒ क॒ fo | k ; k..

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति



डॉ. पिकेशलता रघुवंशी,

शैक्षिक चिंतक, लेखिका

कार्यकारी सदस्य

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संपर्क

मो. 9926706177

तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या  
या विमुक्तये ।

आयासायापरं कर्म विद्यअन्या  
शिल्पनैणम् ॥

विष्णु पुराण के प्रथम स्कंध के उन्नीसवें अध्याय के 41 वें श्लोक के अनुसार कर्म वह है जो बंधन में डाले, विद्या वह है जो मुक्त कर दे। अन्य कर्म केवल श्रम मात्र हैं और अन्य विद्यायें केवल यांत्रिक निपुणता है। अर्थात् वास्तव में कहा जाये तो विद्या वही है जो मुक्त करती है, मुक्ति की ओर ले जाती है किन्तु क्या स्वतंत्रता से लेकर अभी तक की हमारी शिक्षा नीति और हमें प्राप्त होने वाली विद्या/शिक्षा हमें मुक्ति की ओर ले जा रही थी या हमें और अधिक बंधन युक्त कर रही थी।

उदाहरण के लिए एक और श्लोक विद्या ददाति विनयम् अर्थात् विद्या विनय प्रदान करती है किंतु यदि हम अत्यधिक सुशिक्षित व्यक्ति और एक निरक्षर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को देखेंगे तो परिणाम विपरीत ही प्राप्त होंगे। जितनी बड़ी डिग्री उतना ही अधिक समाज और सामान्य जन से दूरी तो क्या ये विद्या गुणकारी है या अनेक प्रकार के बंधनों से युक्तकरी।

भारत वर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक शिक्षा आयोगों का गठन और उनकी अनुशंसायें आईं। यथा राधाकृष्णन् आयोग, मुरलीधरन् आयोग, राममूर्ति आयोग, कोठारी आयोग आदि। 1968 में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाम से अनेक अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गईं और इस नीति की प्रस्तावना में उन्होंने स्वयं लिखा कि दुर्भाग्य है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत केन्द्रित न होकर यूरोप केन्द्रित है और हम आज भी मानसिक गुलाम ही अपने देश में बने रहे। नीतियाँ तो और भी आईं पर शिक्षा राष्ट्रीय न हो सकी।

सन् 1836 तक शिक्षा के क्षेत्र में

शत-प्रतिशत साक्षर रहने वाला और शासन मुक्त व्यवस्था से संचालित शिक्षानीति पर चलने वाला भारत अपनी ही शिक्षा पद्धति को भूल गया? यह आश्चर्य का विषय है।

अंतोगत्वा 2015 से लेकर 2020 तक पाँच वर्ष के सतत् परिश्रम, ढाई लाख से अधिक लोगों के सुझाव और अंतरिक्ष की सीमाएँ नापने वाले दूरदर्शी के कस्तुरीरंगन जी और उनकी टोली के अद्वितीय परिश्रम के उपरांत बहुप्रतिक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के सम्मुख रखी गई है। जिसका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। 36 वर्ष के पश्चात् कुछ ठोस निर्णय और 70 वर्ष के पश्चात् भारत केन्द्रित शिक्षा नीति अब वास्तव में “सा विद्या या विमुक्तये” को चरितार्थ कर रही है। कुछ विशेष बिंदु जो मेरे इस कथन को पुष्ट करते हैं।

**नाम परिवर्तन-मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

भारतीय शिक्षा का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि शिक्षा जैसे सर्वप्रमुख विषय को देखने वाले विभाग और मंत्रालय का नाम ही विरोधाभासी और अप्रिय रखा गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्या मानव की संसाधनों से तुलना संभव है? मानव के लिए संसाधन उपकरण हो सकते हैं किन्तु करण के रूप में केन्द्र तो मानव ही होगा और उसके यानि मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा ऐसे अव्यवहारिक नाम वाले मंत्रालय के अन्तर्गत आ रही थी। अतः इस विभाग को शिक्षा मंत्रालय और संभालने वाले मंत्री को शिक्षा मंत्री नाम परिवर्तित कर पूर्व की गलतियों से मुक्ति प्रदान कर भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा और संस्कृति मंत्री रहे मौलाना अब्दुल कलाम की तरह ही अब वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक हैं।

शिक्षा शासन मुक्त हो

“तक्षशिला, नालंदा जैसे गुरुकुल सदैव शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्वगुरु बनाये रहे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् भी 1822 में उनके द्वारा ही किए गए सर्वे जिसका उल्लेख धर्मपाल जी द्वारा लिखित शोधग्रंथ “द ब्युटीफुल ट्री” में किया गया है कि बंगाल प्रेसीडेंसी के ही एक लाख गांव विद्यालय से युक्त थे। मद्रास और बाम्बे के एक भी गांव विद्यालय विहीन नहीं थे अर्थात् भारत शत-प्रतिशत साक्षरता वाला देश था जहाँ शिक्षा की व्यवस्था शासन के बजाए समाज के हाथों में थी।”

वैदिक कालीन समय से ही शिक्षा राज शासन के मुक्त रही है और इसलिए भारतवर्ष पर भले ही अनेक आक्रमण हुए हों और उसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया हो किन्तु तक्षशिला, नालंदा जैसे गुरुकुल सदैव शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्वगुरु बनाये रहे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् भी 1822 में उनके द्वारा ही किए गए सर्वे जिसका उल्लेख धर्मपाल जी द्वारा लिखित शोधग्रंथ “द ब्युटीफुल ट्री” में किया गया है कि बंगाल प्रेसीडेंसी के ही एक लाख गांव विद्यालय से युक्त थे। मद्रास और बाम्बे के एक भी गांव विद्यालय विहीन नहीं थे अर्थात् भारत शत-प्रतिशत साक्षरता वाला देश था जहाँ शिक्षा की व्यवस्था शासन के बजाए समाज के हाथों में थी। वर्तमान समय में ही उसी को ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का सुझाव हो जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री के अतिरिक्त सभी सदस्य केवल शिक्षाविद् होंगे और शिक्षा से सम्बन्धित विषयों का निर्णय शिक्षा से संबंधित लोग ही ले सकें क्योंकि इससे बेहतर कौन ले सकता है?

### राष्ट्रीयता और भारत बोध

केवल पाश्चात्य ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ इस अवधारणा से मुक्त करते हुए इस शिक्षा नीति में भारतीय सांस्कृतिक जड़ों को स्वीकार कर भारत बोध विषय को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर स्थानीय जिले से लेकर प्रांत और राष्ट्र की सम्पूर्ण भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है।

### भारतीय भाषाओं को महत्त्व

अंग्रेजी की महत्ता के मिथक से मुक्ति दिलाते हुए भारतीय भाषाओं के महत्त्व पर बल दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा और अन्य कक्षाओं में भी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध हो, साथ ही संस्कृत और त्रिभाषा व्यवस्था द्वारा कोई भी

विदेशी भाषा के अध्ययन की सुविधा रहेगी।

### संरचनात्मक बदलाव

एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव 10 व 2 व 3 को बदलकर 5 व 3 व 3 व 4 एक क्रांतिकारी बदलाव है जिसमें शिशु शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए पहले तीन वर्ष को पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी में और फिर कक्षा एक और दो तक पूर्व प्राथमिक के लिए क्रियात्मक रूप में पढ़ेंगे जिसमें करके सिखना है। जहाँ आधारभूत विषयों रंगों, कला, अक्षर एवं अंक ज्ञान बस्ताविहीन एवं गतिविधि आधारित शिक्षा दिया जाएगा। कक्षा तीन से पाँच में विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई होगी। कक्षा 6 ठी से आठ तक विषयों के साथ कौशल आधारित शिक्षा मिलेगी और कक्षा 9 से 12 तक विषयों का चयन की स्वतंत्रता होगी, जहाँ वह विज्ञान के साथ साहित्य या संगीत का अध्ययन कर सकेगा। कौशल विकास के विषय उसे व्यवसाय की खोज करने वाली शिक्षा नहीं अपितु व्यवसायी बनने वाली शिक्षा प्रदान करेंगे।

### जीवनोपयोगी शिक्षा

स्वामी विवेकानंद बार-बार यही कहते थे कि हमें मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा चाहिए अर्थात् मनुष्य को मनुष्य बनाये, मशीन नहीं, जहाँ संवेदनाओं और भावनाओं का अभाव न हो। एक अच्छे चिकित्सक, इंजीनियर, अधिवक्ता या बैंक अधिकारी के साथ उसमें अच्छे नागरिक के गुण आए। इसलिए उच्च शिक्षा में स्पेशलाइजेशन विषय तज्ज्ञता के साथ 50 प्रतिशत उसे साहित्य, इतिहास, सांस्कृतिक बातें पढ़नी होगी जिससे उसमें नागरिकता के प्रथम कर्तव्य सिखाये जा सकें अन्यथा अभी हम देखते हैं कि बी.कॉम. डिग्री धारक युवा को बैंक की स्लिप भरने में कठिनाई आती है।

### अनुसंधान को महत्त्व

राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग (एनआरएफ) के गठन से शोध और अनुसंधान को बल मिलेगा और शोध की महत्ता बढ़ेगी। वर्तमान समय में प्रतिवर्ष भारत में 30000 पी.एच.डी. अवार्ड होती है किन्तु क्या वे वास्तव में समाजोपयोगी या राष्ट्रोपयोगी हैं? इसलिए ऐसे प्रयोगों और शोध संकल्पों को जो सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु होंगे उन पर सम्पूर्ण व्यय राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग

एक अच्छे चिकित्सक, इंजीनियर, अधिवक्ता या बैंक अधिकारी के साथ उसमें अच्छे नागरिक के गुण आए। इसलिए उच्च शिक्षा में विषयतज्ज्ञता (स्पेशलाइजेशन) के साथ 50 प्रतिशत उसे साहित्य, इतिहास, सांस्कृतिक बातें पढ़नी होगी जिससे उसमें नागरिकता के प्रथम कर्तव्य सिखाये जा सकें

करेगा जिसके लिए पृथक से 22 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाएगा।

### वैश्विक पहुँच

हम सदैव हार्वर्ड, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों की उत्कृष्टता और उनको भारत में लाने की बात करते हैं पर एक क्रान्तिकारी पहल करते हुए इस शिक्षा नीति में भारत के विश्वविद्यालयों को विदेशों में खोलने की बात की गई है। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैम्पस भारत में होंगे जिससे विदेशों जाने वाली प्रतिभा यही इस देश में रह कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगी जिसे हमारी पूँजी बाहर नहीं जाएगी। हम भारतीय चिंतन को भारत की सीमाओं से मुक्त करते हुए वैश्विक जगत की ओर ले जा पाएँगे।

### शिक्षकों का सम्मान

किसी भी शिक्षा का मेरुदंड शिक्षक ही होता है। उसका स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। अतः उसका प्रशिक्षण भी उसी अनुरूप हो इस हेतु चार से पाँच वर्ष के बी.एड. कोर्स की बात की जा रही है। शिक्षण प्राथमिकता बनें और विश्वविद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट छात्र शिक्षण कार्य

को अपनाएँ। बाईचांस नहीं बल्कि बाईच्वाइस शिक्षक का पद ग्रहण किया जाए और उसकी गुणवत्ता और महत्त्व को स्थायी रखने का गौरव बनाए रखने का जिम्मा भी शिक्षक स्वयं बनाए रखे ऐसी व्यवस्था की इसका उल्लेख किया गया है।

ऐसे अनेकानेक क्रान्तिकारी और भारत को विश्वगुरु बनाने वाले निर्णय इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिए गए हैं। जो सुप्त पड़ी शिक्षा व्यवस्था को पुर्नजीवित ही नहीं ऊर्जान्वित करने का समर्थ भी रखते हैं।

कोठारी आयोग की अनुशंसाएँ भी अभूतपूर्व थी पर सफल नहीं हो पाई इससिलए इस शिक्षा नीति की समस्त अभिनव सुझावों को लागू करने में शासन की इच्छा शक्ति, शिक्षकों की तत्परता, अकादमिक नेतृत्व का दायित्व लेने की मंशा, शोधकर्ताओं, अभिभावकों और छात्रों के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज के सहयोग पर निर्भर है।

अंत में एक आग्रह कि शासन अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति के बल पर इस नयी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति को सफलता उसके यश का दायित्व हम सब पर है की हम तभी विश्वास पूर्वक कह मनेंगे हैं “सा विद्या या विमुक्तये”।

शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रयोग तथा साधना है, और साधना ऐसी जो अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने में व उसकी वृद्धि करने में सहायक हो। इसी कारण इतने आक्रमणों को सहने के बाद भी हम और हठी बने हैं तथा हमारा मनोबल भी ऊँचा हुआ है। ऐसी भावों की परिपुष्टि करने पर ही शिक्षा की सार्थकता है। आज भारत की वर्तमान शिक्षा में आवश्यकता उसका विकल्प देने की है। अनेक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार 1835 तक इस देश की शिक्षा उच्च कोटि की थी। उस समय भारत के गाँवों में जो विषय पढ़ाए जाते थे, आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी उसका प्रतिपादन उस समय नहीं हुआ था। समाज में एक और भ्रान्ति उत्पन्न की गई कि शिक्षा पाने, देने का हक केवल ब्राह्मण वर्ग के लोगों का था। यह सर्वथा निराधार है। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। उस समय की शिक्षा सरकार द्वारा पोषित न होकर समाज द्वारा पोषित थी। समाज में आचार्य का सम्मान था, उसकी जीविका की चिंता समाज करता था। शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि वह जीवन के कार्य व्यवहार में उपयोगी थी। दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, की शिक्षा ऐसे उदाहरणों के सहित दी जाती थी कि वह आसानी से समझ में आ जाती थी। सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही शिक्षा दी जाती थी। आचार्य लोकाधारित शिक्षा देता था। उदाहरण स्वरूप वैद्य धन्वंतरि अपने शिष्य की परीक्षा लेते हुए ऐसी जड़ी-बूटी की खोज करने को कहा जिसका औषध के रूप में कोई उपयोग न हो। वह असफल रहा पर परीक्षा में उत्तीर्ण माना गया क्योंकि ऐसी कोई जड़ी-बूटी थी नहीं जिसका कोई औषध उपयोग न हो। अध्यापन केवल पुस्तकों का ही पढ़ना नहीं अपितु एक कला है।

पश्चिम के लोगों ने उपनिवेशवाद के समर्थन में के लिए 300-400 वर्षों में पुनर्जागरण के नाम से कुछ असत्यताओं की, जो विज्ञान के रूप में असह्य थी, की स्थापना की। हमारे समाज में मनुष्य एक शक्ति है, एक चैतन्य प्राणी है। यह उस जीवन्त वृक्ष के समान है जो खाद व पानी के अभाव में सूख तो जाता है परन्तु यह उसे प्राप्त करते ही पुनः हराभरा हो जाता है। अमेरिका के अन्तरिक्ष कार्य के आधे से अधिक भाग भारतीयों के बलबूते चलता है। आज विदेशों में अनेक क्षेत्रों में भारतीयों का वर्चस्व है। आज भारत में विपुल मात्रा में भूगर्भ सम्पदा, प्रकृति की संपदा रूप में प्रचुर औषधियाँ, इतना सामर्थ्य, गंगा घाटी से बढ़कर उर्वरता कहीं नहीं है, फिर हम हीनता से ग्रस्त क्यों हैं? आज आवश्यकता है कि हीनता से समाज को मुक्ति दिलाई जाए।

प्रसिद्ध चिंतक व विचारक श्री विद्यानिवास मिश्र  
पूर्व कुलपति सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय -वाराणसी



# eufoKku dsifjix; eajK'Vfr f' kfk ulfr

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति



श्री लक्ष्मीनारायण भाला

वरिष्ठ चिंतक, लेखक,

सामाजिक कार्यकर्ता,

शिक्षाविद्, कवि व साहित्यकार

पूर्व संगठन मंत्री, विद्यार्थी परिषद्

पूर्व सह मंत्री, विद्या भारती

संपर्क

मो. 9818400713

“सार्वभौमिक उच्चस्तरीय शिक्षा देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास तथा संवर्धन करने वाला वह उचित माध्यम है जिसका उपयोग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है।” इन शब्दों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपनी शिक्षा नीति को देश के सामने प्रस्तुत किया है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संपूर्ण नीति को जिस मनोविज्ञान का आधार चाहिए वह इसे मिला या नहीं तथा इसके माध्यम से जिस परिपूर्ण मानव के लिए जिन संस्कारों से संस्कारित होने की व्यवस्था चाहिए वह इस दस्तावेज में उपलब्ध है या नहीं यह देखना होगा।

कुल चार भागों में विभाजित किए गए इस दस्तावेज का पहला भाग विद्यालयीन शिक्षा पर केन्द्रित है। दूसरे भाग में उच्चतर शिक्षा, तीसरे भाग में अन्य केन्द्रिय विद्यालयीय मुद्दे तथा चौथे भाग में क्रियान्वयन की रणनीति को स्पष्ट किया गया है। पहले भाग के 8 विभाग, दूसरे के 11, तीसरे के 5 एवं चौथे के 3 विभाग मिलाकर कुल 27 विभागों में लिपिबद्ध किया गया है। इन 27 विभागों में शिक्षा से जुड़े कुल 308 बिन्दुओं की व्याख्या करते हुए इस शिक्षा नीति को विस्तार से समझने के लिए यह एक प्राणामिक प्रयास है। इस दस्तावेज के 25 वें विभाग के दूसरे बिन्दु को एक ही वाक्य में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अधिगम और शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए वांछनीय होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित किया जाए।

मन में प्रश्न यह उठता है कि नाम बदलना इतना महत्त्वपूर्ण है, सन् 1952 से 1986 तक कुल 34 वर्षों तक यह शिक्षा मंत्रालय ही था। 1986 में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री,

शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा क्षेत्र के महानुभावों ने जब देखा कि शिक्षित होकर अपने आप को नौकरी करने योग्य बनाना ही जब इस शिक्षा का अंतिम परिणाम दिखाई दे रहा है तो क्यों न मानव को संसाधन के रूप में ही देखा जाए और उसी परिधि में उसे विकसित करने की शिक्षा दी जाए। इसी सोच से मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था।

शिक्षा को परिपूर्ण मानव बनाने के लक्ष्य से हटा कर परिपूर्ण नौकर बनाने के लक्ष्य तक सीमित कर दिया गया। मानव, जो कि संसाधनों का निर्माता एवं उपयोग कर्ता है उसे ही एक संसाधन मान लिया गया। परिणामतः शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात उठने लगी। शिक्षा आयोगों का समय-समय पर गठन हुआ। उनके कुछ सुझाव माने गए, क्रियान्वित भी किए गए परन्तु जब लक्ष्य ही सीमित कर दिया गया हो तो भला मौलिक सुझाव भी कहाँ से आते। यह एक संयोग ही कहा जाएगा कि पुनः एक बार ठीक 34 वर्षों के बाद ही शिक्षा का नया प्रारूप आया है। इस प्रारूप की संरचना करते हुए जब कलम एवं बुद्धि प्रायः अंतिम छोर तक आई तो रचनाकारों को अपने आप पर विश्वास हुआ कि यह शिक्षा नीति अब मानव को परिपूर्ण बनाने में सक्षम हो सकती है। अतः अब उसे संसाधन के दायरे से मुक्त करने की घोषणा की जाए। यही सोचकर 25 वें विभाग में दृढ़ता के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुनः एक बार शिक्षा मंत्रालय का नाम देकर शिक्षा एवं उसके लक्ष्य का दायरा बढ़ा दिया गया। मनुष्य को परिपूर्ण बनाना ही शिक्षा का ध्येय है। Education is man making mission. इस बात की स्वीकृति का ही प्रतीक है नाम परिवर्तन।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मंत्रालय के नाम परिवर्तन से होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के आधार पर शिक्षा को उस माध्यम

**“इस शिक्षा नीति में ‘विद्यार्थी’ को लाभान्वित होने वाला या पूरी व्यवस्था के केन्द्र बिन्दु के नाते ही देखा गया है। विद्यार्थी केन्द्रित इस चिंतन में शिक्षक या आचार्य की भूमिका भी इसी रूप में रेखांकित की गई है।”**

के रूप में देखा गया है जिसका उपयोग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए हो। स्पष्ट है कि इस माध्यम से प्रभावित होने वाला पहला तत्त्व व्यक्ति है। हर व्यक्ति गर्भावस्था से लेकर मृतावस्था तक अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता रहता है, शिक्षा ग्रहण करने का औपचारिक स्वरूप को ही आयु की सीमा में बाँधा जा सकता है। भाग 1 में वही दर्शाया गया है। गर्भावस्था से लेकर जन्म होने बाद 3 वर्ष की आयु तक शिक्षा का प्रारूप पूर्णतः घरेलू हो। मातृ दुग्ध, मातृ स्नेह एवं मातृभाषा उस शिशु को यथा समय, यथोचित स्वरूप में प्राप्त हो। यही उसके भविष्य के आधार बनेंगे। शैशव काल के इन तीन वर्षों के बाद उसे औपचारिक शिक्षा के सामूहिक परिवेश में भेजा जाए। सामूहिक शिक्षा के लिए अबतक अपनाये गए सूत्र को इस शिक्षा नीति में पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब तक अपनाए गए 10, 2, 3 में 10 व 2 ही विद्यालय शिक्षा के हैं, बाद वाले तीन वर्ष महाविद्यालयीन शिक्षा के होने के कारण उसे यहाँ से हटा कर विद्यालयीन शिक्षा में शिशु वाटिका या आंगनवाड़ी को महत्त्व देते हुए उसे जोड़ा गया है। इस प्रकार 3 वर्षों को प्राथमिक शिक्षा के 2 वर्ष के साथ जोड़कर पहला पड़ाव 5 वर्ष का बनाया गया है। बाद के 10 वर्ष को तीन भागों में बाँटा गया है 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। इस प्रकार महाविद्यालयीन शिक्षा के परिवेश को विद्यालयीन शिक्षा से अलग करते हुए 5, 3, 3, 4 इन चार पड़ावों के अनुकूल परिवेश की विशेषता को महत्त्व दिया गया है। प्रथम 5 वर्ष शैशव से बाल्यकाल में प्रवेश का कालखंड है। यहाँ उस अवस्था का विचार करते हुए स्नेहाधारित परिवेश एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार देने वाले शिक्षक, शिक्षिकाओं की नियुक्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया है। यद्यपि इन पाँच वर्षों के विभाजन पर शिक्षाविदों एवं सरकारी तंत्र को एक बार समीक्षा करते हुए सोचने की आवश्यकता है। ऐसा मुझे लगता है। इन 5 वर्षों को 3 व 2 ना करते हुए 2 व 3 किया जाए तो मनोविज्ञान की दृष्टि से अधिक उपयोगी होगा ऐसा मैं मानता हूँ। ‘लालयेत् पंचवर्षाणि’ का सूत्र भी यही संकेत देता है। अतः 3 वर्ष घर एवं 2 वर्ष घर के समान विद्यालय का परिवेश रहे। शिक्षकों का अनुभव भी उन्हें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाएगा। इसका मुझे विश्वास है।

अब हम बाद में दिए गए 3 वर्ष के कालखंड का विचार करें तो उस बालक की आयु सीमा 8 से 11 वर्ष तक होगी यह मनुष्य की उस आयु वर्ग के बीच का एक काल खंड है जो सर्वाधिक ग्रहणशीलता

का कालखंड माना जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि 6 से 13 वर्ष तक की आयु मनुष्य की ही सर्वाधिक ग्रहणशीलता का कालखंड है। अतः 8 से 11 का यह काल खंड क्रिया आधारित परिवेश वाला हो। यही उस आयु की आवश्यकता है। शिक्षा नीति में पहले 5 वर्ष को फाउण्डेशन या बुनियाद अथवा नींव मजबूत करने का है तो बाद के 3 वर्ष प्रिपरेटरी अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा का दर्जा दिया है। इस आयु सीमा को जीवन का सर्वाधिक संवेदनशील आयु वर्ग कहा जाना चाहिए। यह किशोरावस्था का वह काल खंड है जब स्त्री-पुरुष भेद की स्पष्टता शारीरिक, क्रियाकलाप एवं गठन प्रक्रिया से उजागर होने लगती है। शिशु या बालक अवस्था में जो स्पर्श एक दूसरे को आनंद या उल्लास देता था वहीं स्पर्श इस आयु वर्ग उत्तेजना एवं विकार निर्माण करने लगता है। इस कालखंड के विद्यार्थी को इस उत्तेजना एवं विकार से मुक्त करना या उबारना हो तो योग का सहारा अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि सम्पूर्ण जीवन ही योग आधारित होना उपयोगी होता है परन्तु 11 से 14 की किशोरावस्था सकारात्मक दिशा में सक्रिय रहे ऐसा चाहते हैं तो इसे योग आधारित बनाए रखना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसी आयु वर्ग की सीमा में बालिका युवती के रूप में परिवर्तित होना उसकी स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है। उसका रजस्वला होना, उसकी बौद्धिक एवं मानसिक स्थिति पर एवं आचरण पर भी प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति में उसे योग्य मार्गदर्शन करने वालों एवं सावधानियों का ध्यान दिलाने वाले मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इस पड़ाव की इस नीति प्रारूप में मिडिल अर्थात् उच्च प्राथमिक शिक्षा का स्तर दिया है। विद्यालयीन शिक्षा का अंतिम पड़ाव 4 वर्ष का रखा गया है। आयुवर्ग 14 से 18 वर्ष इस किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने वाले कालखंड को सेकेण्डरी अर्थात् माध्यमिक शिक्षा का कालखंड माना गया है। इस आयु वर्ग में व्यक्ति को अपने भविष्य की योजना, भविष्य के सपने तथा भविष्य का मार्ग निश्चित करने की चिंता सताने लगती है। यही वह काल खंड है जब उसे सही सलाह देने वाले मित्र की आवश्यकता होती है। ‘लालयेत् पंचवर्षाणि, दशवर्षाणि ताडयेत् अर्थात् ताड़ना यानि ध्यान रखना, सावधानी बरतना आदि के बारे में कहा गया है। इसके बाद ‘प्राप्तेतु षोडशे वर्षे, पुत्रं मित्रवदाचरेत्’ अर्थात् सोलहवें वर्ष में प्रवेश करने के बाद माता-पिता को अपनी संतान के प्रति मित्रवत् आचरण करना चाहिए। माता-पिता अथवा गुरु या शिक्षक का मित्रवत् आचरण इस आयु वर्ग की महती आवश्यकता है। यह सौभाग्य प्राप्त होने वाले युवक-युवतियों को भाग्यवान ही मानना होगा। इस अवस्था में कर्म आधारित परिवेश आवश्यक है। उसे जॉब बेस्ड परिवेश कहा जा सकता है। इस शिक्षा नीति के 3 व 2 व 3 व 4 को यद्यपि 2 व 3 व 3 व 4 इस रूप में अधिक सार्थक मानता हूँ। परन्तु 10 व 2 व 3 की तुलना में कई गुना योग्य एवं फलदाई होने कारण यह स्वागत योग्य है। इसलिए इसे आमूल परिवर्तन करने का साहस

दिखाने वाली नीति के रूप में हम देखते हैं।

इस शिक्षा नीति में 'विद्यार्थी' को लाभान्वित होने वाला या पूरी व्यवस्था के केन्द्र बिन्दु के नाते ही देखा गया है। विद्यार्थी केन्द्रित इस चिंतन में शिक्षक या आचार्य की भूमिका भी इसी रूप में रेखांकित की गई है। विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए ही विद्यालयीन प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं की चिंता करे इस प्रकार की बातों का बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण इस दस्तावेज में किया गया है। विद्यार्थी के लिए जिन पाँच बातों की नितांत आवश्यकता है उन पाँचों बातों का भी इस नीति निर्धारक दस्तावेज में विस्तृत विवेचन किया गया है।

विद्या भारती में कार्यरत रह कर 26 वर्ष तक शिक्षा क्षेत्र के सकारात्मक एवं वैकल्पिक व्यवस्था पर सोचने, समझने, लिखने एवं करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उसी के बलवृत्ते मैंने शिक्षा मंत्रालय को अपने सुझाव प्रेषित किए थे। 'शिक्षा पंचामृत' नामक मेरी पुस्तक भी मंत्रालय को दी थी। यद्यपि मैं इस दावे के साथ नहीं कह सकता कि 10 व 2 व 3 की पद्धति को समाप्त कर केवल पूर्व प्राथमिक एवं विद्यालयीन शिक्षा को अलग से विचार होना चाहिए, यह बात केवल मैंने ही लिखी हो। जबकि यह तो कह ही सकता हूँ कि ऐसा सुझाव देने वाले सैकड़ों लोगों में से मैं भी एक रहा हूँ। इस दस्तावेज में विद्यार्थी केन्द्रित चिंतन के आधार पर ही विद्यार्थी जिन पाँच घटकों के सहारे विद्यार्जन करता है उसका भी विस्तृत विवेचन किया गया है। उन पाँच घटकों का स्वरूप कैसा हो यह अब सोचा जाना चाहिए, वहीं इस नीति के क्रियान्वयन का प्रमुख आधार होगा। अतः उन पाँच घटकों का हम विचार करें।

विद्यार्थी के लिए जिन पाँच घटकों की आवश्यकता है वे हैं पाठ्यक्रम, पठन-पाठन, परीक्षण, प्रबंधन एवं प्रशिक्षण। पाठ्यक्रम निर्धारण एवं निर्माण का कार्य केवल विद्यालयीन शिक्षा ही नहीं वरन् उच्च एवं उच्चतर शिक्षा के लिए भी अनिवार्य है। अतः पाठ्यक्रम विद्यार्थी के हर आयु वर्ग का एवं स्तर का विचार करते हुए लचीला, सहज, सरल, तरल, सुगम एवं सुलभ हो; जिसे सहेज कर रखना, सीखना, आत्मसात करना किसी भी विद्यार्थी के लिए आसान हो। संक्षेप में कहे तो वह जलधर्मी हो। इसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए शिक्षक और छात्र का अनुपात 1-25 का हो, ऐसा इस नीति दस्तावेज में दिया गया है। यह निश्चित ही आदर्श स्थिति होगी। पठन-पाठन चाहे कक्षा-कक्ष में हो, घर में हो या किसी पाठदान केन्द्र पर हो वह हृदय स्पर्शी होगा, रोचक होगा, ज्ञान-पिपासा को बढ़ाने वाला होगा, शैक्षिक वातावरण को प्रफुल्लित करने वाला व सुरम्य शांत वातावरण वाला होगा। पाठदान या पठन-पाठन प्रक्रिया विद्यार्थी के मन में विद्यमान पूर्णता, जो कि बीज रूप में है, उसे स्पर्श कर सकें तो निश्चित ही बीज के अंकुरण में सहायक होगा। बीज को मिट्टी का स्पर्श और

पानी मिले तो उसका अंकुरित होना निश्चित है। अतः पठन-पाठन को मिट्टीधर्मी होना चाहिए।

तीसरी बात है परीक्षण। साधारणतः परीक्षा का नाम सुनते ही एक भय चिंता और कभी-कभी तो एक आतंक विद्यार्थी के मन-मस्तिष्क में छा जाता है। परीक्षा का समय उसके लिए कष्टदायी बन जाता है, जबकि वह आनन्ददाई होना चाहिए। वही उसकी प्रगति का एक द्वार है या पड़ाव है। परीक्षा का समय निर्धारित कर उसका तनाव बढ़ाने के बजाय सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया से उसका निरीक्षण-परीक्षण आदि निरंतर होता रहे ऐसी कोई विधा अपनाई जानी चाहिए। यह विद्यार्थी को तनावग्रस्त ना करते हुए आनंद की अनुभूति देगा। ऐसा ही होना सुखकर है। बहती हुई हवा हमें सुख देती है अतः अगर यह कहा जाए कि परीक्षण वायुधर्मी हो तो निश्चित ही विद्यार्थी के लिए मंगलकारी ही होगा।

उपर्युक्त तीन बातों का अर्थात् पाठ्यक्रम का चयन, पठन-पाठन की प्रक्रिया एवं परीक्षण व्यवस्था का सुचारु प्रबंधन होना विद्यार्थी के विकास क्रम का चौथा पड़ाव है। प्रबंधन में समय का प्रबंधन सबसे महत्त्वपूर्ण है। संसाधनों का प्रबंधन, प्रयोगशाला, वाचनालय, खेलकूद, खान-पान, भवन, वाहन आदि सभी बातों का प्रबंधन विद्यार्थी के पाठ्यक्रम, पठन-पाठन एवं परीक्षण के लिए अनुकूलता निर्माण करे, यह जरूरी है। यह तभी क्रियान्वित हो पाएगा जब आयोजक योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर नियुक्त करे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक अग्निधर्मी हो। अग्नि सबको तपा कर गुणों को निखारती है एवं दुर्गुणों को भस्मसात करती है। यह कार्य दुर्लभ होने के कारण ही कहा गया है कि 'योजकस्तत्र दुर्लभ'। अतः योजक अग्निधर्मी हो यह जरूरी है।

इस दुर्लभ योजक को पाँचवें तत्त्व की भी चिंता एवं व्यवस्था करनी चाहिए। वह तत्त्व है प्रशिक्षण। स्वयं विद्यार्थी से लेकर अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, प्रबंधक आदि सभी का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण कर्मशाला के स्वरूप का हो, आवासीय हो या नियमित अंतराल से होने वाली सतत् प्रक्रिया का हो, परन्तु उसे कोई अछूता न रहे यह आवश्यक है। अर्थात् वह आकाशधर्मी हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उपरोक्त पाँचों तत्त्वों को विषयानुसार लिखा होने के कारण बिखरी हुई स्थिति में यत्र-तत्र रेखांकित किया गया है। भाषा या प्रस्तुति की भले ही भिन्नता हो परन्तु इस शिक्षा नीति में यही संकेत दिए गए हैं कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की भलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम शिक्षा ही है। अतः शिक्षा के पाँचों तत्त्व प्रकृति के पाँचों तत्वों से तालमेल रखकर ही बनाने चाहिए। पाठ्यक्रम जलधर्मी, पठन-पाठन मिट्टीधर्मी, प्रशिक्षण वायुधर्मी, प्रबंधन अग्निधर्मी तथा प्रशिक्षण-आकाशधर्मी हो। आइए ! 34 वर्ष के अंतराल के बाद उठाए गए इस क्रान्तिकारी कदम का स्वागत करते हुए हम इसे अपनाएँ।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति



श्री केशव कुमार शर्मा

शैक्षिक चिंतक,  
सामाजिक विषयों पर लेखन  
प्रधानाचार्य  
भाऊराव देवरस  
सरस्वती विद्या मन्दिर, नोएडा

संपर्क

मो. 9313542880

भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दासता से तो मुक्त हुआ लेकिन अंग्रेजों की उस विचारधारा से नहीं जिसका उद्देश्य भारत को निज गौरव के स्वाभिमान से दूर कर देना था। इसका दूसरा कारण शायद तत्कालीन नेतृत्व भी था जिसने स्वतन्त्र भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को महत्त्वहीन समझकर शिक्षा व्यवस्था (शिक्षा मन्त्रालय) ऐसे हाथों में सौंपी जिनकी इच्छाशक्ति शायद इस क्षेत्र में बड़े सुधार की नहीं थी। यही कारण है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आयोग तो बनते रहे, आयोगों द्वारा अपेक्षित सुधारों की अनुशंसाएँ भी आती रही परन्तु अनुशंसाओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके उन्हें लागू करने की पहल का अभाव रहा।

कहते हैं जब दिन निकले तभी सवेरा मानना चाहिए। इतने लम्बे अन्तराल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। इस नीति को लाने से पूर्व सरकार ने भी ईमानदारी का परिचय दिया, हजारों शिक्षाविदों, शिक्षकों, शिक्षा समूहों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से सादर सुझाव लिये गए, बड़ी मात्रा में उन सुझावों को नीति में जोड़ा और भारत के लिए उपयोगी शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। सैद्धांतिक रूप में चहुँओर से प्रशंसा प्राप्त नीति का मूर्त रूप अब परीक्षा की घड़ी के लिए तैयार है। उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण होने की कसौटी पर तो हमें ही खरा उतरना है क्योंकि हम सबकी सहभागिता से निर्मित यह नीति सफल हो इसका दायित्व भी हम सबका है। परन्तु इसके सभी पहलुओं पर बार - बार विचार मंथन की आवश्यकता सतत् रहेगी, उसी से तो सुखद परिणाम मिलेंगे।

इस नई शिक्षा नीति को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर विकास के रास्ते खोजे गये हैं -

- स्कूल शिक्षा
- उच्चतर शिक्षा

- अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे
- क्रियान्वयन की रणनीति

इसका प्रथम भाग “स्कूल शिक्षा” ही एक प्रकार से नींव का पत्थर है जिस पर हम बुलन्द इमारत खड़ी करना चाहते हैं। यह नीति वर्तमान की 10 + 2 वाली स्कूली व्यवस्था को बदलकर उसे 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय आधार पर 5 + 3 + 3 + 4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है।

इस व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें 10 + 2 के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश की व्यवस्था थी। उससे पूर्व की शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई बहुत गम्भीरता नहीं थी परन्तु नई नीति के अनुसार 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। इसमें 5 + 3 + 3 + 4 के नये रूप में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र को पुनर्गठित करने की बात कही गई है जिसके तहत क्रमशः -

- **फाउंडेशनल स्टेज** (दो भागों में अर्थात् आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 वर्ष व प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 -2 में तथा 2 वर्ष अर्थात् कुल 5 वर्ष, 3 वर्ष की आयु से 8 वर्ष की आयु के बच्चों सहित) इस स्टेज में उसे 6 वर्ष आयु के बच्चों खेल-खेल में सीखेंगे, औपचारिक शिक्षा के स्थान पर अनौपचारिक तरीके से अर्थात् खेल आधारित, रंग, आकार, पहेलियाँ, तार्किक सोच, समस्या समाधान, चित्रकला, अन्य दृश्य कला, शिल्पकला, नाटक, कठपुतली, संगीत, सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छा व्यवहार, शिष्टचार, नैतिकता, स्वच्छता, आपसी सहयोग, समूह में कार्य करना सिखना मुख्य उद्देश्य होगा। यही

**“इस प्रकार औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिये अध्ययन-अध्यापन की ओर बढ़ेंगे। जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित विषय भी सम्मिलित होंगे। इसी स्टेज में बालक प्रथम बार परीक्षा से भी परिचित होगा। यहाँ भी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को वरीयता प्राप्त होगी परन्तु स्कूलों पर दबाव नहीं होगा।”**

इस आयु में बच्चों मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में सीखेंगे।

प्राथमिक स्कूल अर्थात् कक्षा 1 व 2 - बालक खेल में प्री स्कूल के 3 वर्ष में सहज स्वाभाविक रूप से सुनना, बोलना, पहचानना, शिष्टचार, उचित व्यवहार सीखने के साथ-साथ अपना निर्धारित पाठ्यक्रम बिना परीक्षा बिना दबाव के कक्षा 1 में जायेगा और थोड़ी-थोड़ी औपचारिक पढ़ाई की तैयारी की ओर बढ़ते हुए ही साक्षरता और गणना अर्थात् सीखने की मूलभूत अवस्था को प्राप्त करते हुए बिना परीक्षा और दबाव के दूसरे आयु वर्ग (8 से 11) में प्रवेश प्राप्त होगा। यहाँ तक बालक को पता ही नहीं चल पायेगा कि कब प्रवेश हुआ और कब कक्षा 2 तक सभी स्टेज पार करके कक्षा 3 में प्रवेश हो गया। वास्तव में एक तरह से औपचारिक शिक्षा कक्षा 3 से प्रारम्भ होगी।

- **प्रीपेरेटरी स्टेज** (कक्षा 3 - 5 और 8 से 11 वर्ष आयु) - यह स्टेज (अर्थात् प्रीपेरेटरी) तीन वर्ष की होगी जो फाऊन्डेशन स्टेज की खेल-खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण-शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के-फुल्के पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जायेगा और इस प्रकार औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिये अध्ययन-अध्यापन की ओर बढ़ेंगे। जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित विषय भी सम्मिलित होंगे। इसी स्टेज में बालक प्रथम बार परीक्षा से भी परिचित होगा। यहाँ भी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को वरीयता प्राप्त होगी परन्तु स्कूलों पर दबाव नहीं होगा। यदि विद्यालय राज्य भाषा या विदेशी भाषा को भी पढ़ाना प्रारम्भ करना चाहते हैं तो उसमें भी छूट मिल सकती है परन्तु वरीयता भारतीय भाषाओं को ही रहेगी। इस स्टेज में भी पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार करने की बात कही गई है कि बालक/बालिकाओं पर पढ़ाई का बोझ न पड़े बल्कि यहाँ भी खेल, सहपाठ्य क्रियाओं और नई-नई खोज, तकनीक और तर्क-वितर्क, क्षमताओं के विकास के साथ-साथ ही विषयानुसार वे गहराई में प्रवेश करें, विषयों के महत्त्व को समझें

तथा जीवन में उनके उपयोग का कारण जाने।

- **मिडिल स्कूल स्टेज** (कक्षा 6-8 एवं 11 से 14 वर्ष आयु) - 3 वर्ष मिडिल स्टेज में भी तीन वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा। इसमें आने से पहले विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। इसमें कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषयों में होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर सम्बन्ध देखने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

इस स्टेज में महत्त्वपूर्ण यह है कि एक तो विषय का ज्ञान “अनुभव आधारित” पर अधिक बल रहेगा। विषयों को पढ़ लिया, रट लिया, परीक्षा दे दी और उत्तीर्ण हो गये। इससे काम नहीं चलने वाला, यहाँ विद्यार्थियों को विषयों के साथ व्यावसायिक ढंग से जोड़ने का प्रयास होगा। जीवन में वह विषय किस प्रकार उपयोगी बने साथ ही हमारे कुछ परम्परागत व्यवसाय जिनके द्वारा देश में कुटीर उद्योगों के माध्यम से इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती थी और धीरे-धीरे उस कौशलतात्मक विकास से दूर कर दिया गया। इन्हें पुनः इस वर्ग में जोड़ने की भी बात कही गई जिसमें विद्यार्थियों के औपचारिक विषय ज्ञान के साथ-साथ कुशलता बढ़ाने वाली कलाओं को भी जोड़ने की बात कही गई। यह आनन्ददायक कोर्स के रूप में होंगे जैसे - बड़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी बर्तन बनाना आदि। इसके लिए वर्ष में दस दिन बच्चे बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे एवं स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षु के रूप में कार्य करेंगे तथा श्रम व हस्तकला में निपुण होंगे जो भविष्य में विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे।

- **सेकेण्डरी स्टेज** (कक्षा 9-12 एवं 14 से 18 वर्ष आयु)- 4 वर्ष यह स्टेज हाई स्कूल या सेकेण्डरी कहलायेगी। इस स्टेज में 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे। इस स्टेज हेतु विषय उन्मुख शिक्षाक्रमीय व शिक्षण-शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे। अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। विद्यार्थियों को विज्ञान,

**“इसके लिए वर्ष में दस दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे एवं स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षु के रूप में कार्य करेंगे तथा श्रम व हस्तकला में निपुण होंगे जो भविष्य में विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे।”**

**“सबसे बड़ी समस्या जो आज समाज में चिन्ता का विषय है, वह है उन कारणों को खोजकर निदान करना जिनके कारण हर प्रतिभावान व्यक्ति अपने बच्चों के लिए योग्य व प्रतिभावान अध्यापक तो चाहते हैं परन्तु अपने बच्चों को शिक्षक नहीं बनाना चाहते। विद्यार्थी भी पढ़ते समय “शिक्षक बनना है” ऐसा सोचकर विद्याध्ययन करने वाले कम हैं बल्कि शिक्षक बनना उनकी मजबूरी या अन्तिम विकल्प होता है।”**

वाणिज्य और कला स्ट्रीम के विषयों में बँधने की आवश्यकता नहीं है बल्कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि अनुसार विषय चुनकर पढ़ने की सुविधा की बात भी इस शिक्षा नीति में कही गई है।

साथ ही गर्मी की या अन्य छुट्टियों में विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। ऑन लाइन भी व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराए जायेंगे। विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कलाओं, क्विज, खेल और व्यावसायिक हस्तकलाओं को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा।

विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक महत्त्व के स्थानों/स्मारकों का दौरा करने, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और अपने गाँव/तहसील/जिला/राज्य में उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए अधिक एकपोजर देने की बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई है।

इस प्रकार नई शिक्षा नीति को शिशु से माध्यमिक अर्थात् स्कूली शिक्षा की नजरों से देखते हैं तो वास्तव में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। इस शिक्षा व्यवस्था में जहाँ विकास भी, कुशलता भी है, आनन्द भी है और व्यावहारिकता भी है। राजनैतिक इच्छाशक्ति भी है परन्तु निसन्देह कुछ चुनौतियाँ भी हैं। यथा -

- यथा आँगनवाडी के जिन शिक्षकों के हाथों में विद्यार्थियों की फाउन्डेशनल स्टेज जाने वाली है उनके स्तर, प्रशिक्षण और वेतनमान तथा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान और शैक्षणिक स्तर में बड़ा अन्तर है। इस अन्तर का पाटना सरकारों के सामने चुनौती से कम नहीं होगा।
- स्कूल शिक्षा राज्य सरकारों के अधीन है तथा उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था केन्द्र सरकार करती है। अतः राजनैतिक कारणों से दोनों के समन्वय में भी कठिनाई अवश्य आने की सम्भावना रहेगी।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे०एस०वर्मा आयोग (2012) के अनुसार-“स्टेण्ड आलोन टी०ई०टी० जिनकी संख्या

10000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र भी गम्भीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके स्थान पर ऊँचे दामों पर डिग्रियों को बेच रहे हैं। इस दिशा में अब तक किए गये विनियामक प्रयास न तो इस सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाये हैं और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए हैं बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो।”

बरसों से जड़ें जमाए इस प्रकार की समस्याओं से निपटना भी सरकार के सामने चुनौती है।

सबसे बड़ी समस्या जो आज समाज में चिन्ता का विषय है, वह है उन कारणों को खोजकर निदान करना जिनके कारण हर प्रतिभावान व्यक्ति अपने बच्चों के लिए योग्य व प्रतिभावान अध्यापक तो चाहते हैं परन्तु अपने बच्चों को शिक्षक नहीं बनाना चाहते। विद्यार्थी भी पढ़ते समय “शिक्षक बनना है” ऐसा सोचकर विद्याध्ययन करने वाले कम हैं बल्कि शिक्षक बनना उनकी मजबूरी या अन्तिम विकल्प होता है। ऐसी अनेक समस्याएँ विद्यार्थियों से सम्बन्धित, शिक्षकों से सम्बन्धित तथा अभिभावकों व समाज से सम्बन्धित हैं जो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के प्रयास में सामने आनी ही है परन्तु कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह होती है।

वर्तमान भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु नई शिक्षा नीति का सृजन किया है तो इस सब बाधाओं को भी पार कर सफलता अवश्य मिलेगी। वास्तव में शिक्षा केवल सरकारों का ही विषय नहीं है इसका प्रभाव देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि देश व समाज हित को सर्वोपरी मानकर इसको ध्यान में रखते हुए इस नीति का स्वागत करें व क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठकर राजनेता भी सहयोगी बनें।

भविष्य में कठिनाई आने पर सुधार सम्भव है परन्तु आज के परिदृश्य में सरकार व समाज के संयुक्त प्रयास से ही इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

**“वर्तमान भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु नई शिक्षा नीति का सृजन किया है तो इस सब बाधाओं को भी पार कर सफलता अवश्य मिलेगी। वास्तव में शिक्षा केवल सरकारों का ही विषय नहीं है इसका प्रभाव देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ना स्वाभाविक है।”**

# जकवीर फ'कक उहर %रदुहध फ'कक ea cnyko dh vko'; drk

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति



**प्रोफेसर वीरेन्द्र कुमार विजय,**  
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली,  
समाजोपयोगी विज्ञान हेतु अनेक शोध  
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं  
में प्रकाशित, राष्ट्रीय संयोजक,  
आत्मनिर्भर भारत अभियान

संपर्क

मो. 9871366611

आधुनिक भारत में तकनीकी शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। देश-विदेश में भारत की ख्याति बढ़ रही है। देश में एक बड़ा मूलभूत ढाँचा विकसित किया गया है। एक तरफ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि शीर्ष पर हैं तो दूसरी ओर मूल आधार में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान आदि हैं, मध्य स्तर पर पॉलिटेक्निक तथा नीचे आई.टी.आई. आदि हैं। इस सब प्रगति के बाद यह देखकर दुःख होता है कि इस ढाँचे की पहुँच बहुत सीमित है, समाज का एक छोटा सा वर्ग ही इन सब से जुड़ा है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इनसे अछूता है। इसका एक मूल कारण यह है कि यह आधुनिक व्यवस्था मुख्यतः विदेश की नकल है इसमें भारतीयता का योगदान बहुत ही कम रहा है। वास्तव में भारतवर्ष पारम्परिक ढंग से एक तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र ही था परन्तु आधुनिक व्यवस्था में न केवल इसको नकारा गया बल्कि तोड़ा, टुकराया एवं उपेक्षित किया गया। यह इस कारण से हुआ कि भारत एक लम्बे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, विशेषकर अंग्रेजों ने पिछली कुछ शताब्दियों से भारत में अपने राज्य के दौरान पारम्परिक ज्ञान-विज्ञान एवं विधाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। सौभाग्य से फिर भी काफ़ी कुछ बच गया। कुछ उदाहरण लेते हैं वस्त्र उद्योग में भारत ज्ञान-विज्ञान एवं क्षमता विश्व में अतुलनीय रहा।

अखंड भारत में ढाका की मलमल तो इतनी महीन और सुन्दर होती थी कि दुनिया की रानियाँ और राजकुमारियाँ उसके एक रूमाल के लिए तरसती थीं। उस प्रकार की गुणवत्ता का वस्त्र तो आज भी शायद उच्च से उच्च मशीन भी नहीं बना पाएगी। लाखों कारीगर इस देश में इस विधा के साथ जुड़े हुए थे और पूर्वक सम्मान अपना जीवनयापन करते थे और इस

देश की उन्नति में बड़ा योगदान देते थे। दूसरा उदाहरण हम लोहा और इस्पात का ले सकते हैं, भारत में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोहा एवं इस्पात बनाया जाता था, कहा जाता था कि भारत का निम्नस्तर का उत्पाद भी बाकी विश्व के सर्वोत्तम उत्पादों से बेहतर था। ऐसे अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं, विचारणीय विषय है कि ये सब उद्योग जो पारम्परिक रूप में यहाँ विकसित थे, उन्नत थे, उन सब का क्या हुआ ?

आज हम देखते हैं कि ये सब पारम्परिक ज्ञान-विज्ञान एवं विधाएँ प्रायः विलुप्त हो गई हैं। इसका एक बड़ा कारण अंग्रेजों द्वारा अपने शासन के माध्यम से सुनियोजित ढंग से इन सब पर प्रहार किया जाना, इनका विरोध करना, इनको नष्ट करने का प्रयास करना था। वह इसलिए हुआ कि ये सब उत्पाद अंग्रेजों को उनके द्वारा आधुनिक तकनीकी द्वारा उत्पादित वस्तुओं को एक बड़ा प्रतिद्वंद्वता उपस्थित करते थे। अगर हमारे पारम्परिक उत्पाद चलते रहते तो अंग्रेज विश्व में कहीं भी अपने उत्पाद नहीं बेच पाते, इसलिए उन्होंने हमारे पारम्परिक उद्योगों को तहस-नहस किया। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पारम्परिक उद्योग चलते रहते तो हमारे देश का आधुनिकरण नहीं हो पाता। होना यह चाहिए था कि आधुनिक ज्ञान और पारम्परिक ज्ञान का एक संतुलित समन्वय होता।

जापान इसका एक अच्छा उदाहरण है। यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति 18 वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी जबकि जापान में औद्योगिक क्रान्ति 19 वीं सदी के मध्य में शुरू हुई। औद्योगिकरण करने के लिए जापान ने अपने पारम्परिक ज्ञान-विज्ञान एवं विधाओं को नष्ट नहीं किया बल्कि आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए अपने पारम्परिक उद्योगों को और विकसित और उन्नत बनाया।

**“एक बड़ा ही सुनियोजित एवं कर्मठता पूर्वक किया गया प्रयास Indian Association for cultivation of Science का था जो डॉक्टर महेन्द्र लाल सरकार द्वारा 19 वीं सदी के आखिर में कुछ दशकों में किया गया। इस प्रयास की एक बड़ी उपलब्धि सी. वी. रमन के रूप में सामने आई जो इस प्रयास से जुड़े और भौतिकी में 1930 में नोबुल पुरस्कार प्राप्त किए। अनेक विभूतियाँ भी इस प्रयास में जुड़ी जैसे जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र रे आदि जिन्होंने भी अपने-अपने क्षेत्र में अत्याधिक सफलताएँ प्राप्त कीं।”**

भारत में ऐसा करने का अँग्रेजों द्वारा प्रयास नहीं हुआ, बल्कि भारतीय समाज द्वारा ऐसे अनेक प्रयास किए गए और उसमें कुछ सफल भी हुए। विशेषकर 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस प्रकार के प्रयास भारत में हुए, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए और कुछ आंशिक रूप से ही सफल हुए।

पुनः हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, एक बड़ा ही सुनियोजित एवं कर्मठता पूर्वक किया गया प्रयास Indian Association for cultivation of Science का था जो डॉक्टर महेन्द्र लाल सरकार द्वारा 19 वीं सदी के आखिर में कुछ दशकों में किया गया। इस प्रयास की एक बड़ी उपलब्धि सी. वी. रमन के रूप में सामने आई जो इस प्रयास से जुड़े और भौतिकी में 1930 में नोबुल पुरस्कार प्राप्त किए। अनेक विभूतियाँ भी इस प्रयास में जुड़ी जैसे जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र रे आदि जिन्होंने भी अपने-अपने क्षेत्र में अत्याधिक सफलताएँ प्राप्त कीं। इस प्रभाव को हम उस समय का स्वदेशी ज्ञान-विज्ञान कह सकते हैं, जो कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को पारम्परिक ज्ञान-विज्ञान के साथ समन्वय करते हुए आगे बढ़ा। इसी कड़ी में हम कुछ और नाम जोड़ सकते हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक जिन्होंने एक अद्वितीय प्रयास किया जिसका नाम था एक पैसा से फैक्ट्री। तिलक जी ने आम जन से एक-एक पैसे के रूप में योगदान लिया और कुछ बड़े उद्योग स्थापित किए जिनमें से आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के साथ पारम्परिक ज्ञान-विज्ञान का सुन्दर समन्वय था।

वास्तव में देश में बंग-भंग विरोध में जो आन्दोलन उठा उसके मूल में यही स्वदेशी औद्योगीकरण की भावना काम कर रही थी। बंगाल के युवाओं का एक बड़ा वर्ग जापान जाता और वहाँ से इस नए ढंग के औद्योगीका प्रशिक्षण लेकर अपने देश वापस लौटता था। लेकिन उस तरह के औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भी अँग्रेज सरकार सहयोग नहीं करती थी, जिससे अँग्रेजों के प्रति एक भारी नाराजगी

बंगाल में व्याप्त थी, जो बंग-भंग के विरोध के रूप में प्रकट हुई और अँग्रेजों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा।

इसी कड़ी में एक और प्रयास महात्मा गांधी का है जिन्होंने All India Village Industry Association बनाई। इसकी गवर्निंग बॉडी में उन्होंने सी. वी. रमन, जगदीश चन्द्र बसु और प्रफुल्ल चन्द्र रे जैसे वैज्ञानिकों को जोड़ा। अनेक प्रयास इनके माध्यम से हजारों-हजार छोटे-छोटे उद्योगों को देश में प्रोत्साहन मिलता है। दुर्भाग्य यह रहा कि यह स्वदेशी विचारधारा स्वतंत्रता के बाद कुंठित होती चली गई और हम आधुनिकता की चकाचौंध में अंधाधुंध विदेश की नकल करने लगे। आज का तकनीकी शिक्षा का ढाँचा मुख्यतः इसी नकल का अंग है। हमने स्वदेशी का रास्ता छोड़कर पारम्परिक ज्ञान-विज्ञान एवं विधाओं को इस ढाँचे में कोई स्थान नहीं दिया। इसलिए इसका लाभ एक छोटे से वर्ग तक सीमित हो गया और समाज का बहुत बड़ा अंग इससे अछूता है इसको ठीक करना होगा।

वर्तमान ढाँचा अधिकतर डिग्री और सर्टिफिकेट आधारित है। इसमें प्रवेश के लिए भी डिग्री और सर्टिफिकेट आवश्यक है और इसमें से उपलब्धि भी सर्टिफिकेट ही होते हैं। यह ज्ञान क्षमता योग्यता को नहीं परखता है सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट को कागज के रूप में देखता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न प्राप्त किया गया हो। इसलिए भयंकर विकृतियाँ इस व्यवस्था में आ गई, इसको बदलना होगा। देश के किसान, कारीगर, मजदूर आदि को इन डिग्रियों से क्या लेना-देना है, उनके पास अपना ज्ञान है, क्षमता है, योग्यता है जिसको कोई भी नहीं पूछता इसलिए ये सब वर्तमान तकनीकी शिक्षा से बाहर हैं साथ ही यह देश का बहुसंख्यक समाज है जो वर्तमान शिक्षा से पूर्णतः अछूता है।

तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था में अभियांत्रिकी में प्रवेश के लिए जेईई परीक्षा होती है, अभियांत्रिकी करने वालों के लिए जेईई की परीक्षा की जगह व्यक्ति की तकनीकी योग्यता मापदंड होना चाहिए, जिसको हाथ से काम करने की सारी कुशलता मालूम है उसे अभियंता कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले कारीगर थे।

जिसको अभियंता बनना है उसे हाथ से काम करना जरूरी आना चाहिए। जिसको भी अभियांत्रिकी की पढ़ाई करना है उसको शुरुआत

**“इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए तकनीकी एप्टीट्यूड होना जरूरी है। जिनको परख हो, योग्यता हो मतलब इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव हो सिर्फ ऐसे लोगों को प्रवेश देना चाहिए जो अपने आप कुछ करके दिखाएँ, ना कि रट करके, कोचिंग करके पेपर देकर आगे पहुँच जाएं।”**



आई. टी. आई. से करना चाहिए और जो आई. टी. आई. का सर्वश्रेष्ठ छात्र हो उन्हें डिप्लोमा में नामांकन मिले और डिप्लोमा में अच्छे छात्र को बी. टेक. में नामांकन मिले और जो बी. टेक. से सबसे अच्छे छात्र हो उसे एम. टेक. में और पी. एच.डी. हेतु प्रवेश मिले। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए तकनीकी एप्टीट्यूड होना जरूरी है। जिनको परख हो, योग्यता हो मतलब इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव हो सिर्फ ऐसे लोगों को प्रवेश देना चाहिए जो अपने आप कुछ करके दिखाएँ, ना कि रट करके, कोचिंग करके पेपर देकर आगे पहुँच जाएँ। ऐसा भी नहीं है कि किसान और मजदूर इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान नहीं कर रहे हैं। वास्तव में तो आर्थिक व्यवस्था का ये देश में सबसे बड़ा उत्पादक वर्ग है और बाकी वर्ग तो इनके उत्पादकता के कारण ही उनपर पूर्ण आश्रित है। कृषि में तो सर्वविदित है कि किसान उत्पादन करता है और बाकी समाज अपने भोजन के लिए उनपर आश्रित है। यही सत्य अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार प्रतिपादित होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम वस्त्र उद्योग को ले तो वहाँ जो भी वस्त्र उत्पादित होता है, उसका छोटा सा भाग ही आधुनिक मिलों में बनता होगा जिनको भारी भरकम सरकारी मदद मिलती है परन्तु एक तरफ वस्त्र

उद्योग का बहुत बड़ा भाग जो हैंडलूम, पावरलूम में उत्पादित होता है जिसको अधिकतर कारीगर समुदाय ही चलाता है जिनको कोई तकनीकी सहयोग नहीं मिलता।

इसी प्रकार का अन्य उदाहरण आटोमोबाइल उद्योग का ले सकते हैं जिसका पूरा रखरखाव कारीगरों द्वारा किया जाता है कोई भी आधुनिक तकनीकी ढाँचा इसमें कोई योगदान नहीं करता है यही सत्य लगभग सभी उद्योगों का है। इतना सब योगदान होते हुए भी पारम्परिक ज्ञान-विज्ञान और विधाओं का वर्तमान तकनीकी शिक्षा से कोई संबंध नहीं बना यह विचारणीय है।

वर्तमान तकनीकी शिक्षा में बदलाव करना होगा। इसमें कारीगरों, किसानों, मजदूरों का योगदान बढ़ाना होगा, तकनीकी शिक्षा को इन्हीं वर्गों की दृष्टि से ढालना होगा और कागज (डिग्री/सर्टिफिकेट) आधार खत्म करना होगा। वास्तविक ज्ञान, क्षमता और योग्यता आधारित करना होगा। कारीगरों, मेकेनिकों एवं अन्य तकनीकी ज्ञान वालों को किस तरह कागजी डिग्री वालों के बराबर मान्यता मिले उसकी नई शिक्षा नीति में व्यवस्था करनी होगी।

## मानक परिषद् का 10 दिवसीय ऑनलाइन SPOKEN ENGLISH वर्ग सम्पन्न

देश के 20 राज्यों से 500 कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी में सीखा वार्तालाप की तकनीक

विद्या भारती ई पाठशाला (भोपाल) के द्वारा 10 दिवसीय ऑनलाइन SPOKEN ENGLISH वर्ग 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गोविन्द चन्द महन्त (अखिल भारतीय सह संगठनमंत्री विद्या भारती) की उपस्थिति में हुआ। मास्टर ट्रेनर श्री साम्बाशिवा राव (पूर्ण कालिक, विद्या भारती हैदराबाद) डॉ. आकाश शर्मा (प्राचार्य विदिशा म.प्र.) तथा श्री पी.एस.खिमटा (प्राचार्य, पंजाब) रहे। सभी मास्टर ट्रेनरों ने अंग्रेजी संभाषण कैसे कराएँ? भाषण में आने वाली परेशानियों एवं कैसे हम अपने विद्यालयों में छात्रों को अंग्रेजी संभाषण सिखा सकें? आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा में 10 दिवसीय पाठ्यक्रम बनाने व प्रशिक्षणार्थियों को सिखाने का प्रशिक्षण दिया।

वर्ग में प्रत्येक दिन तीन सत्र होते थे। वंदना, गीत व प्रशिक्षार्थियों द्वारा सुनाई गई कहानी तथा सत्र समाप्ति पर गूगल फार्म के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को प्रश्नोत्तरी दी जाती थी। गूगल फार्म के माध्यम से प्रत्येक दिन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति ली जाती थी। इन 10 दिनों के SPOKEN ENGLISH में निम्नलिखित 5 असाइनमेंट्स दिए गए। Story Telling, TLM Making, Lesson Plan Making, ABL Making Video, Feedback video आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया।

वर्ग में breakout rooms के माध्यम से समूह चर्चा 10 मिनट की कराई जाती थी तदुपरांत समूह प्रमुख के द्वारा समूह में हुई चर्चा के प्रतिवेदन का वाचन करते थे। प्रशिक्षार्थियों को गृह कार्य भी दिया जाता था। सभी प्रशिक्षार्थी पूर्ण मनोयोग से गृह कार्य पूर्ण करते थे।

इस 10 दिवसीय ENGLISH SPOKEN वर्ग में केन्द्रीय अधिकारियों में श्री श्रीराम आरावकर (अखिल भारतीय महामंत्री), श्री गोविन्द चन्द महन्त (अखिल भारतीय सह संगठनमंत्री), श्री अवनीश भटनागर (अखिल भारतीय मंत्री) एवं डॉ. रविन्द्र कान्हेरे (अखिल भारतीय उपाध्यक्ष) का मागदर्शन सभी को मिला।

कार्यक्रम का संचालन विद्या भारती ई-पाठशाला के निदेशक श्री राकेश शर्मा ने किया।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति



डॉ० इन्द्रपाल शर्मा

सचिव शिक्षा शोध संस्थान एवं  
पूर्व अपर शिक्षा निदेशक  
पूर्व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद  
उ०प्र० शासन  
संपर्क: 9415012657



डॉ० सुबोध कुमार

शोध निदेशक  
भारतीय शिक्षा शोध संस्थान  
पूर्व प्राध्यापक एवं  
संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय,  
लखनऊ विश्वविद्यालय  
संपर्क: 022-2788733

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा एवं मूल्यों को संरक्षित करते हुए 21वीं शदी की शिक्षा के सभी पक्षों में सुधार एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। इस नीति का आधारभूत सिद्धान्त है कि “शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का विकास करना है जो उच्च बौद्धिक ज्ञान के साथ ही साथ तर्कसंगत विचार एवं कार्य करने में सक्षम हों; जिनमें करुणा एवं सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति हो तथा जो वांछनीय, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हों।” अतः इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है ‘जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता-शिक्षा (Quality Education) उपलब्ध कराके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर इसे एक जीवत और न्यायसंगत ज्ञान-समाज में बदलने के लिये प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिये शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। शिक्षक ही भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण कार्य के क्षेत्र में ऐसे योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाय जो समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें तथा शिक्षक बनने के उपरान्त लगातार अपने व्यावसायिक विकास (Professional Development) के लिये तत्पर रहें। आज आवश्यकता ऐसे शिक्षकों की है जो नवीन ज्ञान से परिपूर्ण हों जिनमें सीखने की लगन एवं जिज्ञासा हो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हों तथा शिक्षण में नवीनतम शिक्षण विधियों तथा तकनीकी का प्रयोग कर सकते हों। इसके अतिरिक्त उनमें संस्कार एवं वांछनीय मूल्य भी हों। ऐसे शिक्षक ही देश की भावी पीढ़ी को

उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखा गया है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता की जाय, साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण एवं जवाब देही की बुनियादी प्रक्रियाएँ भी स्थापित की जाएँ।

### मुख्य संस्तुतियाँ-

- वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों (Multi-disciplinary Higher Educational Institutes) द्वारा प्रदान किये जाने वाला चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। इसके साथ ही अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कम्प्यूटर, विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में एक समग्र ड्यूअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारम्भिक बाह्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों/लोकाचार/कला/परम्परायें भी शामिल रहेंगी। उच्चतर शिक्षण संस्थान स्नातक की डिग्री प्राप्त किये हुये उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिये दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों के लिये 1 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी चलाया जा सकता है।
- सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षा एवं इससे सम्बन्धित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता

को सुनिश्चित करेंगे।

- प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिये सार्वजनिक और निजी स्कूलों एवं स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा जहाँ भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क एवं व्यावसायिक शिक्षा में सहभागिता के साथ शिक्षण कार्य करेंगे।
- शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा। विद्यालयी शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों (जैसे मनोविज्ञान, बाल विकास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान) के साथ ही साथ विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से सम्बन्धित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित एवं नियुक्त किया जायेगा।
- शिक्षक शिक्षा के लिये एक समान मानकों को बनाये रखने के लिये पूर्वशिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा।
- महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिये सेवारत सतत् व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों माध्यम से ही जारी रहेगा।
- शिक्षकों के आनलाइन प्रशिक्षण के लिये स्वयम/दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

#### क्रियान्वयन हेतु सुझाव-

- बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को तीन प्रकार के बी.एड. पाठ्यक्रम (चार वर्षीय एकीकृत, व 2 वर्षीय एवं 1 वर्षीय) संचालित करने का अधिकार होगा। इसके लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि प्रत्येक संस्था में आवश्यक एवं उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। इसके लिये उपयुक्त गाइड लाइन तैयार की जानी चाहिए।
- शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों में तीन प्रकार के बी.एड. पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये अनेक विषय विशेषज्ञों/टीचर एजुकेटर्स की नियुक्ति करनी होगी। प्रत्येक संस्था में वर्कलोड एवं विषय को ध्यान में रखकर सरकार को पदों का सृजन करना होगा। शिक्षक-शिक्षकों की नियुक्ति के लिये मानक तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि अन्य विषयों के साथ-साथ संगीत, फाइन आर्ट्स, साहित्य, खेलकूद आदि विषयों के शिक्षकों का भी प्रावधान हो।

- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) द्वारा सेवापूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश सराहनीय है। परीक्षण के विषयों में ज्ञान सम्बन्धी परीक्षण के अतिरिक्त भाषा दक्षता एवं अभिरुचि परीक्षण (Aptitude Test), जो Situational type के हों, सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार के लिए भी कुछ अंक निर्धारित किए जा सकते हैं जिससे अभ्यर्थी की Communication Skill/Teaching Skill को देखा जा सके।

#### पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव:

National Curriculum Framework For Teacher Education बनाते समय निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखकर सैद्धान्तिक, शिक्षण अभ्यास, इन्टर्नशिप, तथा प्रैक्टिकम सम्बन्धी पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है साथ ही इनके मूल्यांकन का Criteria भी तय करना आवश्यक होगा।

1. Core Subjects.
2. Teaching Subjects.
3. Pedagogy
4. Digital Proficiency.
5. Language Proficiency (English, Hindi)
6. Personality Development Programmes.
7. Entrepreneurship Training.
8. Stress Management, Yoga, Meditation.
9. Life Skills & Value Education.
10. Computer Literacy.
11. Study of world classics in Education and Text book Analysis.
12. Action Research.
13. Preparation and use of Teaching Aids.
14. Training in handling of Electronic equipments. like, Smart Board, LCD Projector etc.
15. First Aid Training.
16. Community Based Activities.
17. Educational Excursions.
18. Student and Teacher Exchange Programmes.
19. Invited Lectures by University/College Faculty and renowned persons from community.
20. Training in the use of Psychological Tests.
21. Rigorous Internship:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में सार्वजनिक एवं निजी स्कूलों

और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा। यह अत्यन्त सराहनीय है। इन्टरशिप के दौरान प्यूपिल टीचर्स द्वारा किये जाने वाले सभी क्रियाकलापों तथा इन्टरशिप की अवधि का स्पष्ट विवरण दिया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में कुछ क्रिया कलाप निम्नवत हैं:

- सभी विद्यार्थियों को स्कूल में पूरा समय व्यतीत करना।
- शिक्षण-अभ्यास कार्यक्रम
- शोध क्रिया
- स्कूल की सभी एकेडमिक गतिविधियों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना
- अच्छे शिक्षकों के शिक्षण का अवलोकन करना

### Inservice Teacher Education and Professional Development of Teachers-

- NPRC/CRC/DRC/SRC/IASE के क्रियाकलापों को activate किया जाय जिससे सभी Inservice के कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सकें।
- इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषयवस्तु शिक्षकों की कक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।
- शिक्षकों की भाषा दक्षता विशेष रूप से बनाए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल

द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए।

- शिक्षकों को प्रेरित करना चाहिये जिससे वे अपने Professional development के लिए Seminars, Conferences, Workshops, Symposia आदि में भाग लें।
- सभी स्तर पर Orientation Programme तथा Refresher Course में भाग लेना Mandatory होना चाहिए। इसके लिये शिक्षकों को अवकाश देना चाहिये।
- संस्थाओं को सेवारत शिक्षकों के लिये Short term theme specific courses भी आयोजित करना चाहिये।
- Online training course भी चलाये जाने चाहिये।
- उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के लिये गाइडलाइन्स बनानी चाहिये।

### अन्य सुझाव-

ऐसा अनुभव किया गया है कि अनेक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें NCTE द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती हैं। इसके लिये एक Monitoring Committee का गठन करना आवश्यक प्रतीत होता है जो समय-समय पर संस्थाओं में जाकर निर्धारित मानकों यथा इन्फ्रास्ट्रक्चर, भवन, कक्षायें तथा शिक्षकों की नियुक्ति आदि की जाँच कर सकें।

## हिन्दी भारत की सम्पर्क भाषा की ओर डिजिटली अग्रसर

हिन्दी विश्व के आर्थिक मंच पर अग्रसर है। विश्व के पावर लैंग्वेज इंडेक्स में कहा गया है कि 2050 तक हिन्दी विश्व की सबसे अधिक बोली व कार्य करने वाली भाषा बनेगी। ऐसा होना इसलिए तय है कि भारत के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी लगातार विस्तार की ओर अग्रसर है। साथ आर्थिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने मानवसंसाधन के क्षेत्र में अपने कार्य करने वालों को हिन्दी के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण दे रही हैं। बीते चार दशकों की बात करें तो 10 भाषाओं की तुलना में एक मात्र हिन्दी है, इसके बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। 1971 से आँकड़ों का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि 37 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते थे। 2011 में हिन्दी बोलने वालों की संख्या बढ़कर 44 प्रतिशत हो गई है। ये वृद्धि 7 प्रतिशत है जबकि अन्य भाषाओं के वृद्धि दर में गिरावट आई है।

प्रमुख बात यह है कि डिजिटल संसार में हिन्दी अँग्रेजी से 5 गुना अधिक बढ़ गई है। हिन्दी में बने सामग्री का उपयोग वर्ष में 94 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जबकि अँग्रेजी में मात्र 19 प्रतिशत। उत्तर प्रदेश और बिहार में हर 3 में एक व्यक्ति हिन्दी बोलता है चाहे वह क्षेत्रीय लहजे में क्यों न हो। जबकि मध्य प्रदेश व राजस्थान में हर 4 में दो व्यक्ति हिन्दी बोलता है।

2019 में विश्व में बोली जाने वाली 5 शीर्ष भाषाओं में हिन्दी तीसरे स्थान पर पहुँच गई है। सन् 2019 में 126 करोड़ के साथ पहले, मंदारिन 112 करोड़ के साथ दूसरे और हिन्दी 64 करोड़ के साथ हिन्दी तीसरे जबकि स्पैनीश 54 करोड़ के साथ चौथे स्थान फ्रेंच 28 करोड़ के साथ पाँचवे स्थान पर है।

विकीपिडिया पर एक लाख लेख हिन्दी में है। ओटीटी प्लेटफार्म यानि अमेजन प्राइम, नैटफ्लिक्स, हॉट स्टार पर भी हिन्दी छा गयी है। भारत में इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक जितने कंटेंट दिखे गए उनमें 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी व मार्च से जुलाई के बीच हिन्दी सामग्री देखने वाले पेड सब्सक्राइबर की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंटरनेट के प्रयोग करने वालों का अनुपात 21 प्रतिशत है यानि हर पाँच में से एक इंटरनेट हन्दी में प्रयोग करता है। यूट्यूब पर 93 प्रतिशत लोग वीडियो हिन्दी में देखते हैं।

## Ekj k Hkj r %ej h f' kkk

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति



श्री रवि कुमार

संगठन मंत्री,

विद्या भारती, हरियाणा  
सामाजिक, शैक्षिक विषयों  
का गहन अध्येता, चिंतक

संपर्क

मो. 9896982487

27 जुलाई 2020 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई। इस नीति में आए तथ्यों को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से विद्या भारती द्वारा 'मेरी शिक्षा, मेरा भारत (माय एनईपी) का अभियान लिया गया, जिसके अन्तर्गत अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग कार्यक्रम के माध्यम से जनजागृति किया गया। इस प्रतियोगिता में लाखों की संख्या में स्कूली छात्रों, महाविद्यालयीन छात्रों, प्राध्यापकों तथा नागरिकों ने भाग लिया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अपनी जानकारी में और अधिक विस्तार किया साथ ही इससे सम्बन्धित प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। माय एनईपी की वेबसाइट पर 5 करोड़ 30 लाख 86 हजार 482 लोगों ने देखा है। इससे इस व्यापक अभियान की पहुँच को स्पष्ट ही समझा जा सकता है।

लगभग 34 वर्षों के बाद आई बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव, शिक्षा को ज्ञान आधारित बनाने पर जोर, उच्च शिक्षा में मल्टी एक्जिट/एंट्री प्वाइंट, इस शिक्षा नीति के युगांतरकारी बदलाव की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी वर्गों से सराहनाएँ प्राप्त हुई हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी इस शिक्षा नीति के जमीनी धरातल पर क्रियान्वयन का आश्वासन दिया है।

विद्या भारती द्वारा 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर के मध्य अभियान लगभग 13 भाषाओं में स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों तथा आम नागरिकों के लिए चलाया गया। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा खास बात यह रही कि लोग शिक्षा क्षेत्र से सीधे तौर पर जो नहीं जुड़े

हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में रुचि ली जिससे आमजन को भारतीय शिक्षा क्षेत्र में सुधार की आकांक्षाओं को इस शिक्षा नीति के माध्यम से पंख मिलने का सपना पूरा होता दिखता है।

माय एनईपी कार्यक्रम की शुरुआत भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 11 सितम्बर को स्वामी विवेकानंद के शिकागो में भाषण देने के दिन किया गया। उन्होंने कहा शिक्षा नीति हमें भारतीय मूल्यों के केन्द्रित ज्ञान की ओर ले जाने वाली है। भारतीय विचारों के अनुरूप शिक्षा से ही हम भारतीय मूल्यों को केन्द्र में रखकर अपने सपनों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। यह शिक्षा नीति विश्व में सबसे व्यापक परामर्श से बनाई गई नीतियों में एक है।

बीते 25 सितम्बर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच 13 भाषाओं में चलाए गई माय एनईपी अभियान में कई तरह की जैसे पोस्टर मेकिंग, वीडियो, मीम, प्रधानमंत्री को पत्र आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बहुत ही उत्सुकता एवं रूचि के साथ भाग लिया जिससे आम जनमानस की ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता तथा रूचि स्पष्ट ही देखी जा सकती है।

माय एनईपी कार्यक्रम के अन्तर्गत एंबेस्डर बनाए गए जिन्होंने सोशल मीडिया आदि माध्यमों से इस कार्यक्रम को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूँकि इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप जोरों पर है इसलिए यह सारे प्रयास ऑनलाइन माध्यमों से ही किए गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न लोगों ने फेस बुक लाइव के माध्यम से 'शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार' किए जा सकते हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार मददगार है इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। फेस बुक

लाइव होते ही बड़ी संख्या में इनका लाइव देखा जाना तथा बाद में वीडियो देखने की रुचि से व्यूवरशिप व लोगों की इस कार्यक्रम के प्रति रुचि को स्पष्ट करती है।

माय एनईपी की वेबसाइट से लगभग 05 करोड़ 30 लाख लोगों ने माय एनईपी कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की व कार्यक्रम में सहभाग हेतु 12,56,019 लोगों ने पंजीकरण किया था। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। जिसमें 1,32,788 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने के लिए कुल 13,19,810 प्रमाण पत्र लोगों को दिए गए। यह प्रतियोगिता कुल 33 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में आयोजित की गई है। जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा ग्रहण करे छात्रों तथा अन्य नागरिकों ने सहभागिता की। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता इस

कार्यक्रम की सफलता दर्शाती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों सहित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय रखी साकारात्मक रूख दिखाते हुए लोगों के बीच शिक्षा नीति संबंधी तथ्यों का माय एनईपी द्वारा प्रसार किए जाने पर मुक्त कंठ से सराहना की। विद्या भारती ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह प्रयास शिक्षा क्षेत्र में जमीनी वास्तविकता को बदलकर व्यापक सुधार लाने वाले सिद्ध होंगे।

कुल पंजीकरण ऑन वेब साइट - 12,56,019, प्रतियोगिता के लिए प्रमाण लेने वालों की संख्या 13,19,810, कुल प्रमाण पत्र ऑन लाइन 13,19,810 वेबसाइट प्रयोगकर्ता 18,58,401 कुल वेब पृष्ठ को देखने वाले लोगों की संख्या 5,30,86,482 रही।

प्रान्तों से सहभाग करने वालों की संख्या इस प्रकार है -

उत्तर प्रदेश	3,23,933	पश्चिम बंगाल	42,392	पांडिचेरी	1057
ओडिसा	2,34,447	हरियाणा	33,752	मेघालय	473
मध्य प्रदेश	2,29,848	उत्तराखंड	29,324	नागालैंड	413
बिहार	127020	जम्मू-कश्मीर	23814	गोवा	318
गुजरात	118801	पंजाब	22429	त्रिपुरा	387
राजस्थान	91686	आन्ध्र प्रदेश	19455	अंदमान	
तमिलनाडू	71544	झारखंड	17160	निकोबार	86
केरल	63480	छत्तीसगढ़	17899	मिजोरम	292
तेलंगाना	63454	आसाम	14924	दादर नगर हवेली	86
महाराष्ट्र	60600	हिमाचल प्रदेश	10566	सिक्किम	69
दिल्ली	61391	चंडीगढ़	6345	दमन व दीव	17
कर्नाटक	41618	मणिपुर	5614		

भारतीय भाषाओं में अलग-अलग सहभागिता इस प्रकार है -

अंग्रेजी	100206	हिन्दी	23113	संस्कृत	275
मलयालम	272	ओड़िया	2996	बेंगाली	484
तेलगू	395	मराठी	1323	असमी	64
गुजराती	2502	कन्नड़	554	तमिल	489

फेसबुक लाइव के माध्यम से दिनांक 16/09/2020 से दिनांक 02/10/2020 तक के फेस बुक लाइव पर मार्गदर्शन करने वाले समाज के ज्येष्ठ-श्रेष्ठ महानुभावों की सूची :-

दिनांक	वक्ता	वक्ता का परिचय	विषय
16/9/2020	श्री मिलिंद	मराठे पूर्व अध्यक्ष, अखिल विद्यार्थी परिषद्	एनईपी की अवधारणा
17/9/2020	प्रो. एम. के. श्रीधर	प्रारूप समिति के सदस्य	एनईपी की समझ

18/9/2020	प्रो. आर. वैद्यनाथन	पूर्व प्रो. आईआई एम बेंगलुरु	एनईपी की समझ
19/9/2020	डॉ. पंकज जी जैन	संस्थापक सीडरसैपलिंग	एनईपी विद्यालयों हेतु
20/9/2020	प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे	अध्यक्ष, एआसीटीई	भारत में तकनीकी शिक्षा
21/9/2020	डॉ. चेतन सिंगई	समन्वयक उपसमिति एनईपी टास्क	नीति और प्रयोग एनईपी
22/9/2020	डॉ. शिव कुमार जी	अखिल भारतीय मंत्री विद्या भारती	भारत केन्द्रित शिक्षा बच्चों
23/9/2020	डॉ. एस. सी. शर्मा	निदेशक, नैक	सर्वांगीण विकास में एनईपी
24/9/2020	डॉ. स्वरूप रावल	अभिनेता और शिक्षाविद्	निर्धारण और प्रत्यापन
25/9/2020	डॉ. वी. के. सारस्वत	सदस्य नीति आयोग	क्रियात्मक तथा संवेदनात्मक
26/9/2020	डॉ. शकीला टी. शम्सु वाइसचांसलर	केन्द्रीय जनजाति एनईपी से उच्चतर शिक्षा में सुधार विश्वविद्यालय	चिंतन और पठन
27/9/2020	प्रो. टी. कट्टीमणि	आंध्र विश्व विद्यालय	एनईपी 2020 अनुसंधान
28/9/2020	श्री आनंद कुमार	सुपर 30, पटना, गणितज्ञ	और नवोन्मेष के लिए
28/9/2020	डॉ. श्रीधर श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक, एनसीईआरटी	सम्भावनाएँ
29/9/2020	डॉ. आर. एस. कुरील	सदस्य प्रारूप समिति एनईपी	आंध्र प्रदेश
01/10/2020	श्री प्रकाश जावडेकर	पर्यावरण मंत्रालय,	भारतीय ज्ञान परम्परा
02/10/2020	श्री डी. रामकृष्ण राव	अखिल भारतीय अध्यक्ष, विद्या भारती	परिचयात्मक व्याख्या
			एनईपी विद्यालयीन शिक्षा
			में सुधार
			शिक्षा में समानता हेतु
			प्रावधान
			मेरी शिक्षा, मेरा भारत
			अध्यक्षीय मार्गदर्शन

मेरा भारत मेरी शिक्षा के समाज तक पहुँचाने में सहयोगी बंधु-भगिनियों को मागदर्शन हेतु गणमान्य बंधु-भगिनियों की सूची इस प्रकार है :-

श्री इंदर सिंह परमार	मेरी शिक्षा के उत्प्रेरक समन्वयक	3299
डॉ. धन सिंह रावत	उत्तराखंड के उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	3141
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	उड़ीसा के उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	9214
डॉ. एन. पंचनाथन्	तमिलनाडू उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	1206
डॉ. अश्वस्थनारायन्	कर्नाटक प्रांत उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	2203
श्री भवेश कलिता	आसाम प्रांत उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	2509
डॉ. दिनेश शर्मा	उत्तर प्रदेश उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	131000
प्रो. ई. सुरेश कुमार	तेलंगाना प्रांत उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	1233
श्री भूपेन्द्र सिंह चुडासमा	गुजरात प्रांत उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	5488
श्री सुनील गुप्ता	हिमाचल प्रांत उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	1418
डॉ. के. एस. राधाकृष्णन्	केरल प्रांत उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	856
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती	पश्चिम बंगाल उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	7836
प्रो. एन. वी. रमन्नाराव	आंध्र प्रदेश उत्प्रेरक समन्वयकों हेतु	1328
श्री सुदर्शन शर्मा	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख	1128

## हिंदी भाषा शिक्षण प्रक्रिया का माध्यम के रूप में मातृभाषा को समर्थन दिया। (Patanayak, 1981: 138-139)

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति



श्री तपन कुमार

एल. एल. बी., एम.बी.ए.,  
संगठन मंत्री, विद्या भारती मेरठ प्रांत  
शैक्षिक व सामाजिक  
विषयों के अध्येता  
समाज कार्य का विशेष अनुभव

संपर्क

मो. 9711680001

किसी भी शिक्षा प्रक्रिया का भाषा एक महत्वपूर्ण भाग है। ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का माध्यम भाषा है। शिक्षा एवं ज्ञान दो अलग-अलग होते हुए भी परस्पर हुए गूँथे हैं, शिक्षा ही वास्तव में ज्ञान की ओर ले जाती है। ज्ञान स्व अर्जित भी हो सकता है परन्तु शिक्षा के लिए समुचित नीतियों एवं योजना की आवश्यकता होती है, जो शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न नियम उपनियमों, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम आदि में बाँधती हैं।

भारत में ज्ञानार्जन की शिक्षण प्रक्रिया का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में यहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। दो प्रकार की शिक्षण व्यवस्थाएँ थी, पाठशाला एवं गुरुकुल व्यवस्था। ये व्यवस्थाएँ समाज पोषित थीं तथा सत्ता प्रतिष्ठान का इनमें हस्तक्षेप नहीं था। बौद्धमत के व्यापक प्रचार-प्रसार के पश्चात् शिक्षा का माध्यम अनेक संस्थाओं में स्थानीय भाषा जैसे प्राकृत व पाली थी। इस कालखण्ड के पश्चात् अनेक विश्वप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि नामों से स्थापित हुए। मुसलमानों के आगमन के पश्चात् मध्यकाल में मुस्लिम समुदाय के लिए मकतब (प्राथमिक विद्यालय) व मदरसा (उच्च शिक्षा) शुरू हुए, जहाँ शिक्षा का माध्यम फारसी व अरबी था। विश्व भर में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा हो, इसकी स्वीकार्यता 1953 में UNESCO के Publication, Use of Vernaculars in Education के बाद हुई।

It is through his mother tongue that every human being first learns to formulate and express his ideas about himself and about the world in which he lives. (Chaklader, 1990-P-281)

आधुनिक भारत में मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व 19वीं सदी की शुरुआत से ही मिलने का साक्ष्य है-बान्बे एजुकेशन सोसाइटी

ने 1821 से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को समर्थन दिया। (Patanayak, 1981: 138-139)

अंग्रेजों के आने के समय भारत में अनेक पाठशालाएँ व गुरुकुल थे जहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी, ऊर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी, बंगाली आदि थे। प्रारम्भ में अंग्रेजों ने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया परन्तु बाद में मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना प्रारम्भ किया गया जिसे अंग्रेजी सत्ता ने भी प्रोत्साहित किया।

The missionaries used education as a means of evangelization. They propagated for the spread of Christian religion through English medium. (Nurullah and Nail, 1951)

1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात् भारत में शिक्षा नीति को लेकर एक संभ्रम बना हुआ था कि शिक्षा का माध्यम क्या हो ? कुछ लोग स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर महत्त्व देना चाहते थे एवं उच्चतर शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के हिमायती थे, तो कुछ लोग H.H.Wilson, H.T. Prince जैसे लोग थे जो शिक्षा का माध्यम भारत की स्थानीय भाषाओं में ही चाहते थे। 1823 में कर्नाटक के बेल्लरी जिले के जिला मजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 533 विद्यालय थे, जिनमें शिक्षा का माध्यम 235 विद्यालयों में कन्नड़, 226 में तेलगु, 23 में मराठी, 21 में फारसी, 4 में तमिल व 1 में अंग्रेजी थी।

1834 के जून मास में मैकॉले सुप्रीम काऊंसिल के सदस्य के रूप में भारत आया। 1835 के अपने प्रतिवेदन में जो कि मैकॉले मिनट्स कहलाया में 1813 के चार्टर एक्ट की आलोचना की तथा वह अरबी, संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का घोर विरोध किया, हालाँकि उसने अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया कि उसे संस्कृत व फारसी



**“हालाँकि Macaulay Minute का विरोध सुप्रीम काऊंसिल के दूसरे सदस्य H.T. Princep ने किया परन्तु 7 मार्च 1835 को तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियन बेंटिक ने मैकाले मिनट्स को स्वीकार कर भारत की शिक्षा नीति में एक आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की।”**

का ज्ञान नहीं है परन्तु उसने संस्कृत, फारसी आदि भारतीय भाषाओं की कटु आलोचना की। उसने कहा “यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमीरा भी सम्पूर्ण भारतीय भाषा के साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है।” अतः उसने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की। उसके प्रतिवेदन की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं -

- 1- संस्कृत अथवा अरबी से ज्यादा महत्त्वपूर्ण व मूल्यवान अंग्रेजी का ज्ञान है।
- 2- स्थानीय लोग भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षण चाहते हैं।
- 3- अंग्रेजी भाषा में शिक्षित भारतीय अंग्रेजों व भारतीय जनता के बीच सेतु का काम करेंगे।
- 4- पश्चिम के देशों में भी अंग्रेजी भाषा का एक प्रमुख व महत्त्वपूर्ण स्थान है।

उसने कहा, English educated Indians will be Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country.

हालाँकि Macaulay Minute का विरोध सुप्रीम काऊंसिल के दूसरे सदस्य H.T. Princep ने किया परन्तु 7 मार्च 1835 को तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियन बेंटिक ने मैकाले मिनट्स को स्वीकार कर भारत की शिक्षा नीति में एक आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की।

एक ओर जहाँ मैकाले ने स्थानीय भाषाओं की घोर उपेक्षा की वहीं दूसरी ओर भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व को लेकर बोलने वाले भी लोग थे। अतः 1854 के Charles Wood Dispatch जो गवर्नर जनरल डलहौजी को भेजा गया था में कहा गया- In any general system of education, the English language should be taught where there is a demand for it, but such instruction should always be combined with careful attention to the study of the vernacular language of the district”.

एक हद तक चार्ल्स वुड के इस प्रतिवेदन को वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार कहा जा सकता है। इसके पहले तक भारतीय

शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त थी, समाज पोषित थी परन्तु 1854 के बाद अंग्रेजों ने शिक्षण संस्थानों को सरकारी अनुदान देने की परम्परा शुरू की तथा धीरे-धीरे कुछ विद्यालय पूर्णतः सरकारी सहायता से चलने लगे। इस संपूर्ण व्यवस्था का उद्देश्य राज्य संचालन व्यवस्था के लिये उपयोगी भारतीय लिपिक पैदा करना था। इसके कुछ प्रमुख सुझाव थे -

- 1- प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खड़ा करना।
- 2- बंबई, मद्रास, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में लंदन विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय खड़ा करना।
- 3- प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक सरकारी विद्यालय शुरू करना।
- 4- संबद्धित निजी विद्यालयों को सरकारी अनुदान देना।
- 5- भारतीय लोगों को उनकी भाषा में शिक्षण व प्रशिक्षण की योजना करना।

**अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की शिक्षा व्यवस्था में तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ बनीं -**

- 1- शहरी क्षेत्रों में उच्च वर्गीय भारतीयों को प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना।
- 2- शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की दो स्तरीय व्यवस्था-प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में तथा उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी भाषा में।
- 3- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में शिक्षा।

**1858 के पश्चात् देश की सत्ता द्वारा शिक्षा क्षेत्र में अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया -**

- 1- Indian education Commission or Hunter Commission in 1882.
- 2- Indian University Commission, 1902
- 3- The Calcutta University Commission, 1917-19
- 4- The Hartog Committee, 1928-29
- 5- Abbot-Wood Committee, 1936-37
- 6- Zakir Hussain/Wardha Committee on Basic Education 1938.
- 7- The Sergeant Report, 1944
- 8- The University education Commission/Radhakrishan Commission, 1948-49
- 9- B.G. Kher Committee on Primary Education, 1951
- 10- The Secondary Education Commission, 1952-53
- 11- Official language Commission, 1956

**भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 भाषायी समूहों को मातृभाषा में शिक्षा एवं अपनी शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार देता है। साथ ही संविधान 6-14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है।**

- 12- The University Grants Commission/Kunzuru Committee Report, 1959
- 13- The Education Commission/Kothari Commission, 1964-66
- 14- Dr. Trigun Sen/Higher Education Committee report, 1967
- 15- The Study Group report on teaching of English, 1967-71
- 16- National Policy on education, 1986
- 17- Acharya Ramamurti Commission, 1990
- 18- National education Policy, 2020

**1948-66 के बीच के आयोगों के प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं -**

- 1- 1948 के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में विश्वविद्यालय स्तर पर 05 वर्ष के पश्चात् शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी से हटा कर भारतीय भाषाओं को करने का सुझाव आया।
- 2- 1948 के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा राज्य की (क्षेत्रीय) भाषा में करने का प्रस्ताव किया।
- 3- 1949 के राधाकृष्णन् आयोग ने माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को तीन भाषा-स्थानीय भाषा, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी को पढ़ाने का सुझाव दिया।
- 4- 1952 के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में 1948 के सुझावों को स्वीकार करने के साथ ही उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को दो अतिरिक्त भाषाएँ, उदाहरणतः हिन्दी एवं अंग्रेज़ी को पढ़ाने का सुझाव दिया।
- 5- UGC द्वारा 1955 में गठित कुंजरू समिति ने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा को लाने पर धीरे चलने का सुझाव देते हुए विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ने पर जोर दिया।
- 6- Central Advisory Board of Education 1957 की समिति

ने 1961 में सम्पन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने का सुझाव दिया, जिसके अनुसार विद्यार्थियों को तीन भाषाओं को पढ़ाने को कहा गया-

(क) स्थानीय भाषा, (ख) गैर हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी तथा हिन्दी भाषा क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषा, (ग) अंग्रेज़ी अथवा अन्य कोई यूरोपीय भाषा।

- 7- 1964-66 के कोठारी आयोग ने त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन कर एक संशोधित प्रस्ताव इस संदर्भ में दिया जो आज लगभग पूरे देश में लागू है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 भाषायी समूहों को मातृभाषा में शिक्षा एवं अपनी शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार देता है। साथ ही संविधान 6-14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है।

**1968 की शिक्षा नीति-**

तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतिम दिनों में शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार 1968 की शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। आयोग के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे -

- 1) 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा।
- 2) शिक्षकों के स्तर, उनके शिक्षण व अनुकरण पर बल।
- 3) स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित कर उन्हें विश्वविद्यालयों स्तर पर शिक्षा के माध्यम के योग्य बनाना।
- 4) त्रिभाषा सूत्र को ठीक प्रकार से लागू कराना।
- 5) भारत की समग्र संस्कृति के रूप में हिन्दी को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करना।
- 6) संस्कृत भाषा का विकास करना।
- 7) अंतरराष्ट्रीय भाषाओं विशेष रूप से अंग्रेज़ी के अध्ययन को महत्व देना।
- 8) सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना।

**एक हद तक चार्ल्स वुड के इस प्रतिवेदन को वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार कहा जा सकता है। इसके पहले तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त थी, समाज पोषित थी परन्तु 1854 के बाद अंग्रेजों ने शिक्षण संस्थानों को सरकारी अनुदान देने की परंपरा शुरू की तथा धीरे-धीरे कुछ विद्यालय पूर्णतः सरकारी सहायता से चलने लगे।**


- 9) संपूर्ण देश में शिक्षा के एक समान व्यवस्थागत ढाँचे की स्वीकार्यता बनाने का प्रयास करना। हालाँकि इस नीति के लक्ष्य बड़े उच्च थे परन्तु इसके क्रियान्वयन के पहलुओं, उपायों को उचित तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था।
- 1986 की शिक्षा नीति -**
- 1986 में संसद द्वारा स्वीकृत इस शिक्षा नीति की दो बार समीक्षा की गई- (1) मई 1990 में आचार्य रमामूर्ति आयोग द्वारा, (2) एन. जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में 1992 में। इसकी प्रमुख बातें निम्नवत् थीं -
- शिक्षा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन देना।
  - सब को समानता के लिए प्रयास करना।
  - संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 की समान शिक्षा व्यवस्था।
  - महिला समानता को शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहन।
  - अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को शुरू करना।
  - वनवासी बंधुओं की भाषा में शिक्षण सामग्री एवं पाठ्यचर्या सामग्री का निर्माण करना।
  - अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।
  - प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को शुरू करना।
  - आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना।
  - विश्वविद्यालयों में शोध को प्रोत्साहन देना।
  - मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
  - All India council of technical education की स्थापना कर उसे भारत में तकनीकी एवं मैनेजमेंट शिक्षा के लिए दायित्व देना।
  - शिक्षकों के शिक्षण, प्रशिक्षण पर जोर देते हुए प्रत्येक जिले में District Institute of Education and Training (DIET) की स्थापना करना।
- जबकि यह शिक्षा नीति भी अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई क्योंकि इस नीति में जनसहभागिता का अभाव था। साथ ही बदलते अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय परिदृश्य, चुनौतियों, परिस्थितियों एवं संघर्षों के कारण UNESCO द्वारा 1997 में Jacques Dellars के नेतृत्व में गठित समिति ने सभी देशों की शिक्षा नीति हेतु दिशा निर्देशक बिन्दु बनाए। भारत में भी समय की माँग के अनुरूप बदली परिस्थितियों में सही अर्थों में भारत की मूल भावना को प्रतिबिंबित करने वाली शिक्षा नीति की आवश्यकता सदैव महसूस की जा रही थी।
- 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनने पर इस ओर ध्यान दिया गया। सभी ग्रामों की पंचायतों एवं लाखों शिक्षाविदों के सुझाव के आधार पर श्री के. कस्तूरीरंगन जी के नेतृत्व में गठित आयोग ने 2020 में सरकार को नई शिक्षा नीति का प्रारूप सौंपा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा 27 जुलाई को स्वीकार कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। समयबद्ध क्रियान्वयन योजना एवं सक्रिय जनसहभाग के बल पर विश्वास है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 निश्चित ही सफल होगी।

## भारत में शिक्षा में संवैधानिक समानता अत्याधिक आवश्यक है

शिक्षा की उत्कृष्ट गुणवत्ता के स्वरूप को समान रूप से सभी नागरिकों के लिए लागू करने में भारतीय संविधान की धारा 30 सबसे अधिक बाधक है। इस धारा ने समाज को अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक में विभाजित कर दिया है। इस धारा के अनुसार भाषा व मजहब (रिलीजन) की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने एवं उन्हें संचालित करने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य इन संस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। इस धारा के रहते शिक्षा में गुणवत्ता एवं समानता अर्थहीन हो जाती है। परिणामतः अल्पसंख्यक समाज कभी भी राष्ट्र की मूलधारा में समाहित नहीं हो सकेगा। एक विडम्बना और है कि इस धारा की व्याख्या इस ढंग से की गई है कि बहुसंख्यक समाज को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार नहीं है जो अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। इसके फलस्वरूप बहुसंख्यक समाज में विघटन प्रारम्भ हो गया है। बंगाल में रामकृष्ण मिशन ने तथा बिहार में आर्य समाज ने अपने को उच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक के रूप में घोषित करवा लिया है। इस धारा के रहते हुए भारत में सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित करना कभी सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रबुद्धजनों का यह राष्ट्रीय दायित्व बनता है कि वे राष्ट्रीय परिचर्चा के माध्यम से जनजागृति करें व संविधान की धारा 30 को हटवाकर ही दम लें।

शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ स्वच्छन्दता नहीं है। शिक्षा के नियमन की व्यवस्था करना तो परमावश्यक है किन्तु नियमन के नाम पर हो रही क्षुद्र राजनीति एवं व्यक्तिगत अथवा दलीय स्वार्थ से शिक्षा को मुक्ति दिलाना राष्ट्रीय हित में अपरिहार्य है।

- श्रद्धेय हो.वे.शेषाद्रि



धरोहर



श्री सुदर्शन  
सुप्रसिद्ध कहानीकार

माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भजन भगवद् से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुन्दर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे “सुलतान” कह कर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख-देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गाँव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। “मैं सुलतान के बिना नहीं रह सकूँगा”, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, “ऐसे चलता है जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो।” जब तक संध्या समय सुलतान पर चढ़कर आठ-दस मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता।

खड़गसिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर काँपते थे। होते-होते सुलतान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, “खड़गसिंह, क्या हाल है?”

खड़गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया,  
“आपकी दया है”।

“कहो, इधर कैसे आ गए?”

“सुलतान की चाह खींच लाई।”

“विचित्र जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे।”

“मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है।”

“उसकी चाल तुम्हारी मन मोह लेगी।”

“कहते हैं देखने में भी बहुत सुन्दर है।”

“क्या कहना। जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छाप अंकित हो जाती है।”

“बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ।”

बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परन्तु ऐसा बाँका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात् उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की-सी अधीरता से बोला, “परन्तु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या?”

दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़गसिंह के हृदय पर साँप लोट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते-जाते उसने कहा, “बाबा जी, मैं यह घोड़ा उसके पास न रहने दूँगा।”

बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़गसिंह का भय लगा रहता, परन्तु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक की बाबा भारती कुछ असावधान सा हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुलतान की पीठ पर सवार होकर घूमने निकले।

इस समय उनकी आँखों में चमक थी,

मुख पर प्रसन्नता । कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे । सहसा एक ओर से आवाज आई, 'ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना ।'

आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, "क्यों तुम्हें क्या कष्ट है?"

अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, "बाबा मैं, दुखियारा हूँ। मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से तीन मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा।"

"वहाँ तुम्हारा कौन है?"

दत्त दुर्गा वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ।"

बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका-सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात् कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, "जरा ठहर जाओ।"

खड़गसिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, "बाबाजी यह घोड़ा अब न दूँगा।"

"परन्तु एक बात सुनते जाओ" खड़ग सिंह ठहर गया।

बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, "यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परन्तु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा।"

"बाबा जी आज्ञा कीजिए। मैं आपका दास हूँ। केवल घोड़ा न दूँगा।"

"अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना।"

खड़ग सिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। परन्तु बाबा भारती

ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रायोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परन्तु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आँखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा,

"बाबाजी इसमें आपको क्या डर है?"

सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, "लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन-दुखियों पर विश्वास न करेंगे।" यह कहते उन्होंने सुलतान की ओर इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए। परन्तु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूँज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊँचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, 'इसके बिना मैं रह न सकूँगा'। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन, भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परन्तु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह खयाल था कि कहीं लोग दीन-दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य, मनुष्य नहीं देवता है।

रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर पहुँचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़गसिंह सुलतान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे-धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुँचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परन्तु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके के भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुलतान को उसके स्थान पर बाँध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आँखों में नेकी के आँसू थे। N.P. रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरम्भ होते ही बाबा भारती ने अपनी कूटिया से बाहर निकल ठंढे जल से स्नान किया। उसके पश्चात्, इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। परन्तु फाटक पर पहुँचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन-मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार-बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार-बार उसके मुँह पर थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, "अब कोई दीन-दुखियों से मुँह न मोड़ेगा।"

## राष्ट्रीय गौरव



श्री मिलिन्द पराण्डे, महामंत्री  
विश्व हिन्दू परिषद्, रामकृष्णपुरम्  
सामाजिक कार्यकर्ता,  
चिंतक व विचारक

संपर्क

मो. 8879193630

दीर्घकाल के बाद इस विषय को सर्वोच्च न्यायालय में लिया गया। फरवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि सभी पक्ष आपसी वार्ता कर विवाद का समाधान निकालें। मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की। 1. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इब्राहिम कल्लिफुल्ला, 2. मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीराम पंचू, 3. आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्रीरविशंकर जी; 13 मार्च 2019 से 1 अगस्त 2019 तक सात चक्र की वार्ता हुई। 2 अगस्त को मा. सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अगस्त से नियमित सुनवाई के आदेश दिए। इस सुनवाई में श्री पराशरन जी तथा श्री विद्यनाथन जी सहित अन्य अधिवक्ताओं की हिन्दू पक्ष को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्व. श्री अशोक जी सिंघल सहित अनगिनत संत महात्मा तथा अनेक कार्यकर्ताओं की इच्छा पूर्णता की ओर जाती दिखी।

### सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक 40 दिन प्रतिदिन सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने 9 नवम्बर 2019 को अपने ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की। मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोर्गई के निर्णय के कुछ बिंदु -

- 1) निर्मोही अखाड़ा श्रीराम विग्रह के सेवायत नहीं, श्रीराम लला विराजमान की ओर दायर वाद समय सीमा के अंदर आता है। भगवान श्रीराम को अपने अभिन्न मित्र के माध्यम से दावा दायर करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए श्रीराम लला विराजमान का मुकदमा स्वीकार्य है।
- 2) सभी से यहीं संकेत देते हैं कि हिन्दुओं की आस्था तथा विश्वास सदैव बना रहा है कि गर्भगृह ही भगवान् राम का जन्म स्थान है।

- 3) तथ्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि भूमि के नीचे प्राप्त हुआ मंदिर का अवशेष 12 वीं शताब्दी का है।
- 4) उत्खनन से प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भूमि के नीचे जो प्राप्त हुआ है वह लगभग 2200 वर्षों से भी प्राचीन है।
- 5) श्रीराम जन्म भूमि पर मंदिर का निर्माण ट्रस्ट गठन कर किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से श्री रामजन्म भूमि हिन्दू समाज को प्राप्त हुई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही केन्द्र सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन फरवरी 2020 में किया गया। जिसके अध्यक्ष पू. महंत श्री नृत्यगोपाल दास जी, कोषाध्यक्ष पू. श्री गोविन्द देव जी तथा महामंत्री श्री चंपत राय जी हैं। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से श्रीराम जन्मभूमि की 3.3 एकड़ की भूमि न्यास को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी व साथ ही भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ भूमि भी न्यास को सौंपी।

### सामाजिक समरसता का अनुपम केन्द्र - श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन तथा कार्यक्रम का मुहूर्त भाद्रपद कृष्ण 2, युगाब्द 5122 दि. 5 अगस्त 2020 को निश्चित हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण का संदेश स्वयं के जीवन से दिया है। भगवान् श्रीराम द्वारा अहल्या उद्धार, शबरी और निषादराज से प्रेम और मित्रता, सामाजिक समरसरता के अनुपम उदाहरण हैं। उनके मंदिर के भूमिपूजन में प्रयुक्त होने वाले देश भर के हजारों पवित्र नदियों का जल व पावन तीर्थों की रज, सम्पूर्ण भारत को, एकाकार कर राष्ट्रीय एकात्मता का दर्शन कराते हैं।

### कार्यक्रम के निमित्त कार्य

हजारों पवित्र तीर्थ क्षेत्रों की पावन मिट्टी

**“सदियों की आस पूरी होने का आनन्द है। लेकिन सबसे बड़ा आनन्द है, भारत को आत्म निर्भर बनने के लिए जिस उत्साह और आत्मविश्वास की आवश्यकता थी, जिस अपने आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण-साकार अधिष्ठान बनने का शुभारम्भ आज हो रहा है।”**

एवं पवित्र नदियों का जल, आनन्द व हर्षोल्लास के वातावरण में श्रीराम जन्मभूमि पूजन हेतु देशभर से भेजा गया। बात चाहे काश्मीर स्थित शारदा पीठ की हो या मानसरोवर के पवित्र जल की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उद्गम स्थल नागपुर के प्रथम शाखा के स्थान की हो या संत रविदास जी के काशी स्थित जन्मस्थली की, सीतामढ़ी के महर्षि वाल्मीकि आश्रम की हो या विदर्भ के गोंदिया जिलान्तर्गत गोंड समाज के पवित्र तीर्थ कचारगढ़ की, झारखंड के रामरेखा धाम की हो या मध्य प्रदेश के टंट्या भील की पुण्य भूमि की, श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर पंजाब की या डॉ. भीमराव अम्बेदकर की जन्मभूमि महू की, हुबली के लिंगायत समाज के प्रसिद्ध मूर सावेर मठ की पवित्र मिट्टी हो, दिल्ली के दिगम्बरलाल जैन मंदिर की हो या उस वाल्मीकि मंदिर की जहाँ महात्मा गांधी 72 दिन रहे थे। श्रीराम मंदिर निर्माण के शुभारम्भ का अवसर यह सम्पूर्ण देश के लिए यह एकात्मता का अनुपम उदाहरण रहा।

भाद्रपद कृष्ण 2 विक्रमी संवत् 2077 बुधवार को पवित्र अभिजीत मुहूर्त में दिनांक 5 अगस्त 2020 को पूज्य संत महंत श्री नृत्यगोपाल दास जी महाराज, अध्यक्ष (श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास) श्री मोहन जी भागवत, सरसंघचालक (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) भारत के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेन्द्र भाई मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्रीमती आनन्दीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल समेत 36 सम्प्रदायों के 140 पूज्य संतों के साथ अन्य जगह के विद्वान पुरोहितों के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक भूमि पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

इस पावन अवसर बोलते हुए परमपूज्य सरसंघचालक जी ने कहा कि “सदियों की आस पूरी होने का आनन्द है। लेकिन सबसे बड़ा आनन्द है, भारत को आत्म निर्भर बनने के लिए जिस उत्साह और आत्मविश्वास की आवश्यकता थी, जिस अपने आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण-साकार अधिष्ठान बनने का शुभारम्भ आज हो रहा है।”

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा “राम मंदिर के लिए कई-कई सदियों तक, कई-कई पीढ़ियों ने अखंड, अवरिक्त, एकनिष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है।”

5 अगस्त (भाद्रपद कृष्ण द्वितीया) को पूज्य संतों के, विश्व हिन्दू परिषद् के आवाहन पर देशभर में ही नहीं, अपितु तो सम्पूर्ण विश्व के सभी रामभक्तों ने अपने-अपने घरों, प्रतिष्ठानों, मठ-मंदिरों, आश्रमों इत्यादि स्थानों पर ही यथासम्भव सामूहिक रूप से अपने-अपने आराध्य देव का भजन, पूजन कीर्तन स्मरण किया, पूष समर्पित किया एवं आरती किया तथा प्रसाद बाँटा। घरों, मुहल्लों, ग्रामों, बाजारों, मठ-मंदिरों, गुरुद्वारों, आश्रमों इत्यादि में यथासम्भव साजसज्जा कर दीप जलाए गये। मंदिर निर्माण के लिए यथाशक्ति दान का संकल्प लिया गया। प्रचार के सभी साधनों का उपयोग करते हुए समाज के अधिकाधिक लोगों तक अयोध्या के इस कार्यक्रम को समाज को लाइव दिखाने की यथायोग्य व्यवस्था हुई। ऐसा अनुमान है कि लाइव कार्यक्रम को 16 करोड़ से अधिक लोगों ने दूरदर्शन व अन्य विभिन्न निजी चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखा। सभी योजनाओं व कार्यक्रमों में कोरोना से रक्षा के सभी साधन अपनाये गये तथा इस सम्बन्ध में आए सरकारी व प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन हुआ।

सम्पूर्ण विश्व के अनेक देशों में हर्षोल्लास से यह कार्यक्रम मनाया गया। थाईलैंड में काव्य सम्मेलन, तथा दीपोत्सव में सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को बैंकाक में मनाया। अमेरिका के वॉशिंगटन तथा न्यूयार्क के प्रसिद्ध टाइम्स्क्वायर में श्रीराम जन्मभूमि के चित्र सहित भव्य प्रदर्शन व दीपोत्सव हुआ। नेपाल में 300 से अधिक गांवों में घर-घर व मंदिरों में दीपोत्सव मनाया गया।

अगले ढाई से तीन वर्षों में भगवान श्रीराम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, यदि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास धनसंग्रह का आवाहन अगले निकट भविष्य में करता है तो विहिप पूर्ण शक्ति के साथ उसमें लगेगा। 1989 में श्रीराम शिला पूजन के समय में जिन गांवों में जाना हुआ, तथा जितने लोगों से सम्पर्क हुआ, उससे अधिक गांवों व रामभक्तों तक पहुँचने का संकल्प बन रहा है।

राष्ट्रीय स्वाभिमान, एकात्मता, आस्था तथा भक्ति के पुरोधा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तथा श्रीराम जन्मभूमि के मंदिर के इस आन्दोलन के निमित्त सम्पूर्ण हिन्दू समाज को जागृत, सजग और आत्मविश्वास से ओतप्रोत कर दिया।

**सम्पूर्ण विश्व के अनेक देशों में हर्षोल्लास से यह कार्यक्रम मनाया गया। थाईलैंड में काव्य सम्मेलन, तथा दीपोत्सव में सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को बैंकाक में मनाया। अमेरिका के वॉशिंगटन तथा न्यूयार्क के प्रसिद्ध टाइम्स्क्वायर में श्रीराम जन्मभूमि के चित्र सहित भव्य प्रदर्शन व दीपोत्सव हुआ।**

## Jh jke t leHke vkhkyu%, d nf"V

### विहंगावलोकन



#### श्री मनोज वर्मा

क्षेत्रीय संगठन मंत्री,  
पश्चिमी उत्तर प्रदेश,  
विश्व हिन्दू परिषद्  
सामाजिक कार्यकर्ता

#### संपर्क

मो. 9990988809

दिनांक 9 नवम्बर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। श्रीराम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 1528 से ही संघर्ष होते रहे, 76 बार युद्धों के बाद भी गर्भ गृह को कभी भी मस्जिद के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई व रामलला की पूजा कभी भी बंद नहीं हुई। 1984 से विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा व्यापक जन आन्दोलन चलाए जाने के कारण ही सत्य की विजय हुई। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य का शुभारम्भ दिनांक 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन राव भागवत के द्वारा सैकड़ों पूज्य संतों की उपस्थिति में भूमि पूजन कर किया गया। श्रीराम जन्मभूमि का शिलान्यास दिनांक 9 नवम्बर 1989 में ही हो चुका है।

#### आन्दोलन की स्मरणीय तिथियाँ हैं -

- 1528 में बाबर के सेनापति मीरबाकी द्वारा मंदिर को ध्वस्त कर उसके अवशेषों पर ढाँचा खड़ा किया गया। 1526 से 1530 तक चार बार हमले किए गए। अनेक हिन्दू राजाओं और संतों ने मुकाबला किया इसमें राजा मेहताब सिंह, पंडित देवीदीन पांडे, राजा रणविजय सिंह और महारानी जयकुमारी प्रमुख थीं।
- 1530 से 1556: हुमायूँ के समय 10 बार, 1556 से 1605 अकबर के काल में 20 युद्ध, 1658 से 1707 औरंगजेब काल में 30 बार युद्ध हुए। दशमेश गुरु गोविन्द सिंह, बाबा वैष्णव दास, कुंवर गोपाल सिंह ठाकुर, जगदम्बा सिंह ने इसका डटकर मुकाबला किया।
- 1798 से लेकर 1814 ई. तक अवध के

नवाब सहादत अली ने 5 बार आक्रमण किया, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह ने मुकाबला कर युद्ध किया।

- 1814 से 1937 तक नसीरुद्दीन हैदर, 1847 से 1857 के मध्य नवाब वाजिद अलीशाह ने आक्रमण किया।
- 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिन्दू मुस्लिम एकता के आधार पर मुसलमानों ने श्रीराम जन्मभूमि का स्थान हिन्दुओं को सौंप दिया परन्तु समझौता के प्रमुख अमीर अली और बाबा रामचरण दास को अंग्रेजों ने फांसी दे दी।
- 1912 से 1934 तक अंग्रेजों के विरुद्ध जनता ने साधु समाज के नेतृत्व में श्रीराम जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को ढाँचे के अंदर व हिन्दुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा की अनुमति दी। परन्तु ग्रंथगृह में नमाज़ नहीं पढ़ी गई।
- 23 दिसम्बर 1949 को भगवान राम का विग्रह विवादित ढाँचे के मध्य हिस्से में प्रकट हुआ। मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपचाप रात को रख दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने विग्रह को हटाने का आदेश दिया परन्तु तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के.के. नागर ने हिन्दू भावनाओं को भड़काने के डर से आदेश पूर्ण करने में असमर्थता प्रकट की और विवादित मानकर ताला लगवा दिया।
- 1950 में सिविल कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि रामलला की पूजा की अनुमति दी जाए। केवल पुजारी को पूजा करने की अनुमति विवादित ढाँचे के अन्दर दी गई। अन्य किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं



मिली।

- 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड न्यायालय में गया और विवादित ढांचे से विग्रह को हटाने तथा ढांचे पर पूजा का अधिकार देने की माँग की।
- 7 और 8 अप्रैल 1984 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन हुआ। सभी संतों ने एकमत से श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प लिया व जन-जागरण हेतु श्रीरामजानकी रथ यात्रा देश में घूमने का निर्णय हुआ।
- 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में सरयू के तट पर लाखों संतों और रामभक्तों ने संकल्प लिया और श्रीरामजानकी रथ यात्रा आगे बढ़ गई।
- 31 अक्टूबर 1985 उड़पी, कर्नाटक में द्वितीय धर्मसंसद में भावी आन्दोलन की रणनीति बनी।
- 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद न्यायालय द्वारा गर्भगृह का ताला खोलने का आदेश हुआ और हिन्दुओं को रामलला के दर्शन और पूजा का अधिकार मिल गया।
- 1 फरवरी 1989 में प्रयागराज कुम्भ में तृतीय धर्मसंसद। गाँव-गाँव जाकर श्रीरामशिला पूजन का कार्यक्रम करने और 9 नवम्बर 1989 को पूज्य संतों और लाखों रामभक्तों की उपस्थिति में मंदिर के सिंहद्वार पर शिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। श्री कामेश्वर पासवान जो बिहार एक पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा सम्पन्न हुआ। सम्पूर्ण देश में अयोध्या की ओर मुख कर पुष्पांजली दी गई।
- 9 फरवरी 1990 को मंदिर की सर्वाधिकार समिति ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के अनुरोध को स्वीकार कर वार्ता की सहमति दी। 4 माह का समय निश्चित हुआ। परन्तु वार्ता विफल रही।
- 1 सितम्बर 1990 को अरणी मंथन के द्वारा उत्पन्न अग्नि से प्रज्वलित ज्योति को श्रीराम ज्योति के रूप में देशभर में जनजागरण हेतु, पूजन पश्चात् मंदिरों में स्थापित कर नियमित संकीर्तन का प्रारम्भ हुआ।
- 30 अक्टूबर 1990 को संतों के आवाहन पर सभी प्रतिबंधों को तोड़कर कारसेवा के लिए कारसेवक अयोध्या में पहुँचे तथा ढांचे पर ध्वजा लगाकर सेवा का संकल्प पूर्ण किया।
- 2 नवम्बर 1990 को निहत्थे कारसेवकों को गोलियों से भूना गया, लाठियाँ बरसाई गईं, सैकड़ों कारसेवकों का बलिदान हुआ। पूरे देश में सत्याग्रह आरम्भ हुआ। देशभर में लाखों कारसेवकों को जेल में डाल दिया गया।
- 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर लाखों हिन्दुओं की उपस्थिति संतों की सिंह गर्जना में हुआ। 6 दिसम्बर 1992 गीता जयंती पर पुनः कारसेवा की घोषणा की गई।
- 6 दिसम्बर 1992 को हिन्दुओं के आक्रोश से ढाँचा ध्वस्त हुआ।
- 30 दिसम्बर 2010 उ.प्र. के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने अपने निर्णय में रामलला को ग्रभगृह में मान्यता दी। रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में भूमि को बाँटने का आदेश।
- सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगी।
- 8 मार्च 2019 को मध्यस्थता से हल करने का प्रयास। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति को मध्यस्थता हेतु तीनों पक्षकारों से वार्ता करने का पहल। वार्ता विफल।
- 2 अगस्त 2019 को मध्यस्थता करने में विफल होने की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को दे दी गई।
- 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक प्रतिदिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई, तत् पश्चात् निर्णय सुरक्षित कर दिया गया।
- 9 नवम्बर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पीठ द्वारा रामजन्म भूमि से सम्बन्धित निर्णय को घोषित किया गया कि सम्पूर्ण भूमि रामलला विराजमान की है। अतः सम्पूर्ण भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया गया जो अयोध्या जिला में ही हो।
- 28 वर्ष बाद भगवान रामलला विराजमान टेंट से निकलकर अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं। सभी भक्तों को दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है।
- 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य भी तेजगति से आरम्भ हो गया है। हम शीघ्र ही भव्य मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे। भारतीय जन के स्वाभिमान का यह आन्दोलन सम्पूर्ण विश्व में सबसे बड़े जनान्दोलन के रूप में इतिहास में स्वर्णाक्षर में अंकित हो गया है।

## जीवन-व्यवहार



**वासुदेव प्रजापति**  
सह सचिव,  
विद्या भारती संस्कृति  
शिक्षा संस्थान, कुरुक्षेत्र  
सदस्य संपादक मंडल,  
विद्या भारती प्रदीपिका

**संपर्क**

मो. 9414136314

सम्पूर्ण विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। यह संकट अद्भुत और विकट है तथा अदृश्य है। शत्रु हो या संकट हो जब सामने होता है तो संघर्ष करना सरल होता है परन्तु जब अदृश्य हो तो संघर्ष करने में कठिनाई आती है। इसलिए हमारी पीढ़ी के लिए व भावी पीढ़ी के लिए यह एक भिन्न प्रकार का अनुभव है।

इसी प्रकार यह कोरोनाकाल अनिश्चितता का काल है। व्यक्ति तय कुछ करता है किन्तु उसे पूरा नहीं कर पाता है। प्रतिदिन नई-नई नियमावलियाँ आती हैं, नई व्यवस्थाएँ खड़ी होती हैं और पुरानी व्यवस्थाएँ बन्द हो जाती हैं। इसलिए सब प्रकार से चिंतन कर बनाई गई योजना के क्रियान्वयन में भी अनेक समस्याएँ टपक पड़ती हैं। अतः समाज में आज एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है।

### कोरोनाकाल की विवशताएँ

इस संकट काल में तालाबन्दी (लॉकडाउन) के कारण घर से बाहर निकलना बन्द हो गया, अत्यावश्यक कार्य से बाहर जाना भी पड़ा। इस अवधि में अनेक दुःखद घटनाएँ हुईं। अपने निकट के रिश्तेदार की मृत्यु का समाचार पाकर भी हम उनकी अन्त्येष्टि संस्कार में नहीं जा पाए। ऐसा दुःखद अवसर कदाचित ही किसी के जीवन में आया होगा। यह कटु अनुभव जीवन भर हमारी स्मृति में अमिट रहेगा।

इस संकट में हमें अपनी परम्परा से हटकर व्यवहार करने को बाध्य होना पड़ा है। हमारे सामाजिक जीवन में मिल-जुल कर रहना, चौपालों में स्थानीय से लेकर देश-दुनिया की चचाएँ करना अत्यंत सहज कर्म है। किन्तु कोरोना काल में सामाजिक दूरी रखने के नियम के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया। सामाजिक दूरी हमारे यहाँ व्यवहारिक नहीं है, इसलिए नई शब्दावली में यह भौतिक दूरी कही जाने लगी और दो गज की दूरी रखने का नियम बना।

भारत में यह दूरी स्वीकार्य नहीं किन्तु आज हमें न चाहते हुए भी दो गज की दूरी का पालन करना पड़ रहा है।

विषय केवल कठिनाईयों का नहीं है, उससे भी अधिक चिन्ता का है। हमारे सभी श्रद्धा के केन्द्र बन्द हो गये। प्रतिदिन मंदिर जाकर अपने इष्ट देव का दर्शन करना बन्द हो गया। हम इस अवधि में उत्साह पूर्वक अपने पर्व को सामूहिक रूप से नहीं मना पाये, तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाये। अर्थात् इस काल में हमारी परम्परायें खंडित हो गईं किन्तु हम कुछ नहीं कर पाये, बस मूक दर्शक बन कर घर में बैठे रहने को विवश हैं।

### भारतीय जीवनशैली रक्षक बनी

हम इस भीषण महामारी से अब तक बचे हुए हैं, कोरोना के चपेट में नहीं आए हैं। हमारे ही बंधु जो अपनी लापरवाही के कारण चपेट में आए थे, वे भी अब स्वस्थ होकर कोरोना से डर गए हैं। कुछ लोग काल के ग्रास भी बने हैं किन्तु उनकी संख्या अन्य देशों की तुलना में कम है अर्थात् हमारे देश में मृत्यु दर कम है और स्वस्थ होने वालों की संख्या व दर अधिक है। भारत में ऐसा क्यों है? इस बिन्दु पर हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत के व्यक्ति की जो जीवनशैली है, वह पूर्णरूप से वैज्ञानिक है तथा उसका आधार आध्यात्मिक है। इसी जीवनशैली ने हमें बचाया है। इस समय यह जीवनशैली ही हमारी रक्षक बनी है।

### अपनी जीवनशैली की विशेषताएँ

यह जीवन शैली हमारी रक्षक कैसे बनी? इसका उत्तर खोजने पर ध्यान में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनशैली के अनुसार व्यवहार करता है। जैसी जीवनशैली वैसा व्यवहार। हमारी जीवनशैली की ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं, जिनके कारण हम बचे हुए हैं। कोरोना के सन्दर्भ में इसकी कुछ विशेषताएँ अधोलिखित हैं :-

## 1. जीवन में शुद्धता एवं शुचिता -

जीवन में शुचिता यह हमारे व्यवहार का प्रमुख सूत्र है। जब हम बाहर से घर में आते हैं तब सबसे पहले अपने जूते दरवाजे के बाहर उतारते हैं। हाथ-पैर व मुँह धोते हैं, वस्त्र बदलते हैं। उसके बाद ही किसी चीज को छूते हैं। हम केवल जुम्मे के जुम्मे नहीं नहाते अथवा केवल पेपर नेपकिन से काम नहीं चलाते अपितु प्रतिदिन नहाते हैं। सदैव शौच के बाद मंजन आदि, प्रातः कुछ खाने से पूर्व ही कर लेते हैं। बिना हाथ धोए कभी खाना-पीना नहीं करते। स्नान करने के बाद प्रतिदिन पूजा-पाठ करते हैं। इन सभी क्रिया-कलापों के कारण हमारी अन्तर-बाह्य शुचिता सदैव बनी रहती है। इस शुचिता ने ही हमें कोरोना जैसे विषाणु से बचाया है। आधुनिक जीवनशैली में यह सब न होने के कारण, कोरोना अधिक प्रभावी हुआ।

### ताजा एवं सात्विक भोजन

आज महानगरों में आधुनिक जीवनशैली अपनाते वालों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय घरों प्रतिदिन ताजा व सात्विक भोजन बनता है। 'यातयाम्' अर्थात् बना हुआ भोजन एक रात्रि पुराना है, वह बासी है और बासी भोजन करना वर्जित है। भोजन के सम्बन्ध में हमारे यहाँ दो-तीन मान्यताएँ और भी हैं, "जैसा खाए अन्न वैसा बने मन" तथा 'मातृहस्तेन भोजनं'। भोजन बनाने वाले की मनस्थिति का प्रभाव भोजन करने वाले पर पड़ता है। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के हाथ बना भोजन नहीं करना, होटलों का भोजन नहीं करना, बाजारू बासी भोजन यथा पिज्जा-बर्गर आदि नहीं खाना चाहिए। इन सभी निषेधों का पालन करने वाला तथा नित्य ताजा-शुद्ध व सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति कोरोना ही नहीं बल्कि अनेक विषाणुओं से बचा रहता है।

### हमारी रसोई में घरेलू उपचार के साधन

हमारे यहाँ आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति आरम्भ से ही चली आ रही है। एलोपैथी तो मात्र दो सौ वर्ष पूर्व अंग्रेजी काल से चली आ रही है। दोनों पद्धतियों में मूलभूत अन्तर है। जहाँ एलोपैथी केवल रोग को मिटाती है, वहीं आयुर्वेद व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाते हुए उसकी आयु में वृद्धि करता है। आयुर्वेद भारतीय जीवन में रचा-बसा है। हमारी रसोई आयुर्वेद का प्राथमिक औषधालय है। भारतीय रसोई में जितने भी मसाले हैं जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, राई, मेथी, अजवायन, कालीमिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, जायफल-जावित्री आदि। सब के सब औषधीय गुणों से भरपूर हैं। घर में बनने वाले भोजन में हमारी माताएँ-बहनें प्रतिदिन इनका उपयोग करती हैं। इन मसालों के प्रतिदिन उपयोग से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति (इम्युनिटी) बनी रहती है, फलतः हम विषाणुओं से बचे रहते हैं।

यहाँ मुझे एक रोचक वार्तालाप का स्मरण हो गया है, लॉकडाउन में दो कोरोना वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान की खोज में टकरा

गये। दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे। बताओ मित्र! कैसी गुजर रही है?, पहला बोला क्या बताऊँ?, बहुत बुरा हाल है। क्यों ऐसा क्या हुआ? पूछो मत! मैं जिस घर में गया, उस घर के सब लोग दिन में तीन बार काढ़ा पीते हैं। हमारा तो काढ़े से छत्तीस का वैर है। अतः मेरा वहाँ रहना मुश्किल हो गया। उस घर को छोड़कर मैं दूसरे घर में गया। वहाँ के लोग तो पहले वाले से भी आगे निकल वे तो दिनभर गर्म पानी ही पीते हैं, इसलिए वहाँ से भी भाग आया हूँ और किसी सुरक्षित घर के तलाश में हूँ। मित्र तुम बताओ, तुम्हारे क्या टाट-बाट है? अरे कहाँ का टाट-बाट? मैं भी तुम्हारी तरह से भटक रहा हूँ। क्यों, तुम्हें क्या हुआ?, मेरी आप-बीती भी तुम्हारी जैसी ही है। मैं जिस घर में गया, उस घर के लोग तो गिलोय और तुलसी का रस पीते रहते हैं। तुम्हीं बताओ ऐसे घर में कैसे निभाव होता। इसलिए मैं भी दूसरे घर में गया तो वहाँ आबाल-वृद्ध सभी नहाने के बाद अपनी-अपनी नाक में सरसों का तैल लगाते हैं और हल्दी मिला दूध पीते हैं। इसलिए वहाँ भी रहना सम्भव नहीं था। अब तुम्हीं कोई मार्ग सुझावो अन्यथा यहाँ तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तब पहले ने गहरी निश्वास छोड़ते हुए कहा "यदि हमें जीवित रहना है तो जल्दी से जल्दी इस देश को छोड़कर ऐसे देश में चले जाना चाहिए, जहाँ की रसोई में इन मसालों का उपयोग नहीं होता।" अर्थात् कोरोना भी हमारे घरेलू उपचारों की महिमा को जान गया है। इसलिए कोरोना हमारे देश में अधिक हानि नहीं कर पाया। जिन आधुनिक जीवनशैली वालों की इन उपचारों में श्रद्धा नहीं थी, वे अवश्य ही कोरोना की पकड़ में आये हैं।

### हमारा 'सूतक' विचार

हमारी जीवनशैली का एक और सूत्र है, सूतक की मान्यता। यह मान्यता अन्य देशों में दिखाई नहीं देती। किसी भी घर में जन्म या मृत्यु होने पर सूतक लगता है। जिस घर में यह सूतक लगता है, उस घर से सामान्य व्यवहार बन्द कर दिया जाता है। सूतक काल की निश्चित अवधि में वहाँ आना-जाना नहीं, खाना-पीना नहीं, किसी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जाता है। मृत्यु होने पर दाह संस्कार में जो शामिल होते हैं, वे दाह संस्कार के बाद वहीं श्मशान में स्नान करते हैं और अपने घर आने पर दुबारा स्नान कर फिर घर में प्रवेश करते हैं। निश्चित दिनों के पश्चात सूतक की समाप्ति होने पर, यज्ञादि या पूजा पाठ से शुद्धि हो जाने के बाद ही सब लोग उनसे सामान्य व्यवहार शुरू करते हैं।

घर में जब किसी को चेचक जैसी छूत से फैलने वाली बीमारी हो जाती है तब आज जिसे आइसोलेशन करना कहते हैं। यह व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत पहले से ही है। रोगी को अलग सुलाना, उसके कपड़े बर्तन आदि अलग रखना, उसके कक्ष में बाहर के व्यक्ति को नहीं देना। यदि जाना आवश्यक है तो कक्ष के बाहर गोमूत्र से भरे मिट्टी

के पात्र में अपने पैर का अँगूठा डुबा कर अर्थात् सेनेटाइज कर अन्दर जाना होता था।

भारतीय जीवनशैली को मानने वाले घरों में जब घर की महिलाएँ राजस्वला होती हैं तब उन्हें घर में अलग कमरे में रखना, उनका स्पर्श नहीं करना, उनसे भोजन न बनवाना जैसे निषेधों का पालन किया जाता है। ये निषेध शरीर स्वास्थ्य के साथ-साथ कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। यह व्यवहार आज की शैली में भी पूर्णतः वैज्ञानिक है।

इन सभी व्यवस्थाओं को पालन करने हेतु आज कोरोना काल में जो-जो करणीय व्यवहार अपेक्षित हैं, वे सभी हमारी प्राचीन व्यवस्थाओं में समाहित है। जैसे हाथ को सेनेटाइज करना, मुखपट्टी (मास्क) लगाना, दो गज की दूरी रखना, ये भी हमारे लिए कोई नई व्यवस्थाएँ नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत पहले से ही जैन पंथ में साधु-साध्वी तो हर समय मुखपट्टी लगाए रखते हैं। हमारे लिए ये व्यवहार सहज होने के कारण हम इन्हें सरलता से कर पाये और इसलिए हम बचे हुए हैं।

#### परस्पर सहयोग व सेवाभाव

हमारी जीवनशैली का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है सेवाभाव। हम एक ही परमात्मा की संतानें हैं। हम सबमें वह परमात्मतत्त्व विद्यमान है, इसलिए हमारे मध्य एकात्मता का सम्बन्ध है। हम सब की भूख-प्यास व सुख-दुख की अनुभूति एक जैसी है। हमारा जीवन परस्पर पूरकता से चलता है। इसलिए परस्पर सहयोग व सेवा से सब सुखी जीवन जीते हैं, कहीं भी संघर्ष नहीं अपितु समन्वय है।

इस सेवा का प्रकटीकरण कोरोना जैसे संकटकाल में भी दृष्टिगोचर हुआ। डॉक्टर, नर्स, चिकित्साकर्मी, पुलिस व होमगार्ड के जवानों ने स्वयं की चिन्ता न कर अपने घरों से दूर रहकर दिन-रात सेवा इसी एकात्मता व आत्मीयता के कारण ही कर सके।

समाज के सामान्य जन भी इसमें पीछे नहीं रहे। राजस्थान के कुचामन सिटी का एक समाचार दैनिक भास्कर में छपा कोरोना काल में चार युवक दिल्ली व चेन्नई से अपने घर आए थे। लॉकडाउन के नियमानुसार उन्हें हुडील गाँव में कोरेनटाइन केन्द्र में चौदह दिन तक रखा गया। यह केन्द्र एक विद्यालय में था। अपने गाँव हुडील के इस विद्यालय में गिरवर सिंह पढ़ा था। चौदह दिने बिताने थे, प्रारम्भिक दिन बड़े कठिनाई से बीते, काम करने वालों को निकम्मा बैठे रहना अच्छा नहीं लगा। उसने विद्यालय की शिक्षिकाओं व सहयोगी कर्मचारियों से विद्यालय के कोई सेवा के कार्य बताने का आग्रह किया। उन्होंने विद्यालय के रंगरोगन का कार्य सुझाया। गिरवर सिंह ने तीनों साथियों को विद्यालय के पुताई के कार्य को करने के लिए तैयार कर लिया और चारों मिलकर इस विद्यालय के सभी कमरों व बरामदों के रंगाई का काम शुरू कर दिया। इस कार्य में समय व दिन कैसे बीत गए पता

हीं नहीं चला। उन्होंने गाँव के सहयोग से विद्यालय को चमका दिया। नासिक से लौटे जीवराज सिंह ने पेंट करते हुए बताया कि आज बचपन के स्कूल का कर्ज चुकाने का अवसर मिला है। हमारा स्कूल सज संवर गया और हम भी कर्ज मुक्त हो गए।

झारखंड में भी इसी काल में किए गए सेवा कार्य का समाचार प्राप्त हुआ। विद्या विकास समिति झारखंड ने अपने प्रांत में सभी शिशु व विद्या मंदिरों के सहयोग से तथा अपने समिति के विद्यालयों के द्वारा संचालित एकल शिक्षा केन्द्र के माध्यम से एक लाख तीस हजार परिवारों में होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम-३० का निःशुल्क वितरण किया। इस सेवा कार्य लगभग आठ लाख पचास हजार लोग लाभान्वित हुए।

अन्य प्रांतों में विद्या भारती के विद्या मंदिरों ने भी अनेक सेवाकार्य किये। कहीं भूखों को भोजन करवाने हेतु राम-रसोई चलाई। कहीं मास्क वितरित किये गए तो कहीं सेनेटाइजर बाँटे गए। अनेक स्थानों पर भोजन के लिए कच्ची खाद्य सामग्री के पैकेट बाँटे गये। कई स्थानों पर पशु आहार हेतु पशु चारा का वितरण भी हुआ। राजस्थान के जयपुर प्रांत में गरीब परिवारों के लिए सोलर लाईट का वितरण किया गया। देश भर में सेवा कार्यों का संकलन किया जाए तो यह बहुत बड़ी संख्या बनेगी। इन सबके मूल में वही आत्मीयता का भाव ही प्रमुख है। विद्या मंदिरों में हमें गीत के माध्यम से प्रेरणा मिलती है -

“ देश हमें देता है सबकुछ हम तो कुछ देना सीखें।”

#### पुनः भारतीय जीवन व्यवहार दृष्टिगोचर हुआ

कोरोना काल में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हुए भारत ने सम्पूर्ण विश्व को एक दिशा दी है। विश्व के अनेक देशों ने भारतीय जीवनशैली के सूत्रों को स्वीकारा है। उनमें प्रमुख है भारत की अभिवादन शैली ‘नमस्कार।’ दूर खड़े-खड़े नमस्कार करना प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित एवं आत्मीयभाव को व्यक्त करने वाला है। इस शैली का खुलकर प्रयोग होने लगा है। नमस्कार के पीछे एक स्वाभाविक अर्थ है

“ चार मिले चौसठ खिले, बीस रहे कर जोड़।

प्रेमी सज्जन दोनों मिले, खिल गए सात करोड़।”

जब दो सज्जन अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करते हैं तो सर्व प्रथम उनकी चार आँखें मिलती है। आँखों के मिलते ही दोनों मुस्कुराते हैं, तब चौसठ दाँत खिलते हैं। नमस्कार मुद्रा में बीस अंगुलियाँ जुड़ी रहती हैं। यदि दोनों में आत्मीयता नहीं होगी तो ये क्रियाएँ भी नहीं होंगी। अब अंतिम सात करोड़ के राज को ऐसा समझ सकते हैं। माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम होते हैं। अतः जब दो सज्जन मिलते हैं तो रोम-रोम पुलकित (खिल) हो जाता है।

भारत की नमस्कार मुद्रा दो मनो को जोड़ती है। यह दो आत्माओं


के मिलन का द्योतक है। इतना गहरा भाव भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति से ही सम्भव है। यह नमस्कार मुद्रा नाते रिश्तेदारों से ऊपर उठकर सम्पूर्ण विश्व के लोगों तक पहुँच गई है। पुनः वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष करती है। व्यक्तिगत स्तर भले ही हम कितना ही आधुनिक क्यों न बनें परन्तु वैश्विक स्तर पर पहुँचने के लिए तो हमें भारतीयता को ही अपनाना होगा। एकमात्र भारतीय विचार ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की

चाह रखता है और विश्व बंधुत्व को चरितार्थ करता है। अतः कोरोना के अभिशाप को वरदान में बदलने के लिए हम फिर से भारतीय बनें अर्थात् भारतीयता को अपनाएँ। भारतीयता अपनाने से ही हम विश्व कल्याण की ओर ईश्वरीय प्रदत्त आध्यात्मिक शक्ति के बल से अपनी भूमिका को सार्थक कर सकेंगे।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः

## fo | k Hkj rh ds deB dk; ZrkZJh xakj le dk vufo

श्री गंगाराम ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि सर्वप्रथम मैं डॉ. वाई. वी. सिंह जी के साथ लखनऊ आया। उस समय मेरी आयु लगभग 17 वर्ष थी। डॉ. वाई. वी. सिंह जी एवं श्रद्धेय लज्जाराम तोमर प्रथम संगठनमंत्री, विद्या भारती के मध्य हुई बातचीत में श्रद्धेय लज्जाराम तोमर ने अपने यहाँ कार्य करने के लिये कहा। मुझे सरस्वती विद्या मन्दिर, निराला नगर लखनऊ में रखा गया परन्तु कुछ दिनों पश्चात् अपने यहाँ बुला लिया। उसके बाद सन् 1978 में शिशु संगम दिल्ली के अवसर पर मुझे अपने साथ दिल्ली ले गये।



24 जून 1980 को दिल्ली में 16/7 आर्यसमाज मार्ग, देवनगर, करोल बाग नयी दिल्ली में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सन् 1983 तक दिल्ली में रह कर कार्य किया। उसके उपरान्त श्रद्धेय तोमर जी का केन्द्र मध्यक्षेत्र के जयविलास परिसर, ग्वालियर (म०प्र) में तय हुआ। उनके ही निर्देशन में विद्या भारती का कार्यालय ग्वालियर में स्थानान्तरित हुआ। उस समय कार्यालय विस्तार अधिक नहीं हुआ था। अकेले मैं ही सात वर्षों तक काम में लगा रहा। सन् 1987 में विद्या भारती का कार्यालय ग्वालियर से लखनऊ स्थानान्तरित हो गया।

सन् 1988 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के नाम से कार्यालय सरस्वती कुंज निरालानगर में लखनऊ में पंजीकृत हुआ। सन् 1987 में ही मेरी नौकरी बैंक में लग गयी थी परन्तु वहाँ नहीं जाने का मन बना और विद्या भारती का कार्य करता रहा। यहीं विद्या भारती लखनऊ स्थित कार्यालय में कार्य करते हुए जून 2020 में सेवानिवृत्त हो गया। मैं 1977 से लेकर सेवानिवृत्ति तक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक कार्यकर्ता की भावना से प्रसन्न मन से अहर्निश कार्य किया। वरिष्ठ अधिकारियों के समरस व्यवहार से प्रभावित होकर समर्पण भाव से काम किया। शुरुआत में कुछ अधिक वेतन नहीं था फिर भी शिक्षा क्षेत्र के संस्कारित संस्थान में कार्य करते हुए कभी भान नहीं हुआ कि इतने कम पैसे में परिवार कैसे चलेगा। मुझे परिसर में आवास मिला, मैं सदैव से ही विद्या भारती परिवार को अपना परिवार माना व मुझे वरिष्ठ अधिकारी भी स्नेह व सम्मान दिए। कार्य के दौरान समाज जीवन के अनेक सम्माननीय अधिकारियों का सानिध्य मिला, इससे आनंद और उत्साह में वृद्धि हुई। मुझे वर्तमान में भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों का प्यार और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा। मैं संतुष्ट हूँ। पुनः सेवा विस्तार मिला, इस हेतु संस्थान के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ व श्रद्धा भाव से उन्हें नमन करता हूँ।

लम्बे कार्यकाल में जिन महानुभावों की सेवा अवसर मिला उनमें से कई उल्लेखनीय आदरणीय महानुभावों के नाम इस प्रकार हैं-परम पूज्य बाला साहब देवरस जी, श्रद्धेय श्री राजेन्द्र सिंह जी उपाख्य रज्जू भैया जी, श्रद्धेय के. सी. सुदर्शन जी, श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी, श्रद्धेय कृष्णचन्द्र गांधी जी, श्रद्धेय लज्जाराम तोमर, सम्माननीय ब्रह्मदेव शर्मा जी (भाई जी)। वर्तमान में सभी का स्नेह मुझे मिल रहा है। सभी के प्रति मैं आदर सम्मान व्यक्त करता हूँ।

गंगाराम

विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान

## जन्मशती वर्ष

# जन्मशती वर्ष, द्रष्टा के रूप में विद्या भारती के जीवन का अर्थ

श्री मोरेश्वर नीलकण्ठ पिंगले का जन्म 30 अक्टूबर 1919 को जबलपुर (म.प्र.) में हुआ। वे बचपन से ही मेधावी होने के साथ-साथ चंचल व विनोदी स्वभाव के कारण अपने सहपाठियों में प्रिय थे। नागपुर के मौरिस कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद संघ के प्रचारक बने। 1930 से संघ की शाखा में वे जाने लगे थे। सर्वप्रथम उन्हें मध्यभारत प्रांत के खंडवा जिले में सह विभाग प्रचारक का दायित्व मिला। वे कालान्तर में मध्य भारत के प्रांत प्रचारक, उसके पश्चात् महाराष्ट्र के सह प्रांत प्रचारक, पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक, अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख तथा सह सरकार्यवाह के बाद संघ केन्द्रीय कार्यसमिति के भी सदस्य रहे।

अपने विनोदी स्वभाव के कारण पिंगले जी संघ के कार्यकर्ताओं से जब भी मिलते हास्य से भरपूर प्रसंग सुनाते। उनसे मिलकर कार्यकर्ताओं के दिल में उमंग व उत्साह का संचार होता था। संघ के कार्यक्रमों उनके बौद्धिक हास्य प्रसंगों से मिश्रित होने के कारण कार्यकर्ताओं के लिए कभी बोझिल नहीं लगे। वे एक कुशल योजनाकार थे। संघ नेतृत्व के द्वारा सौंपे गए प्रत्येक कार्य को गरिमा प्रदान करते हुए अपने चिंतन व कल्पनाशील कार्ययोजना के द्वारा उसे ऊँचाई तक पहुँचाया।

श्री मोरोपंत जी को समय-समय पर दिए गए विविध प्रवृत्ति के कार्यों के कारण उन्हें वर्तमान में भी गम्भीरता से याद किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 300वीं पुण्यतिथि पर रायगढ़ में भव्य कार्यक्रम, पूज्य डॉ. हेडगेवार जी की स्मृति स्थल का निर्माण तथा उनके पैतृक गाँव कुन्दकुर्ती (आन्ध्र प्रदेश) में उनके कुल देवता के मंदिर की प्रतिष्ठा व स्थापना, बाबा साहेब आठे स्मारक समिति के अन्तर्गत विस्मृत इतिहास की खोज, वैदिक गणित तथा संस्कृत के प्रचार-प्रसार आदि अनेक कार्य उल्लेखनीय हैं। आपात् काल में भूमिगत रह इन्दिरा गाँधी के तानाशाही, सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

सन् 1981 में मीनाक्षीपुरम् कोण्ड के बाद संघ ने हिन्दू जागरण का कार्य के लिए अनेक स्तरों पर जो सामाजिक समरसता के लिए योजनाएँ बनाई उसके मुख्य कल्पक और योजनाकार श्री मोरोपंत जी पिंगले ही थे। इस कार्य निमित्त 'संस्कृति रक्षा निधि' का संग्रह व देश के विभिन्न अलग-अलग स्थानों से पवित्र नदियों के जल के साथ एकात्मता यात्रा का सफल आयोजन के कुशल प्रबंधन एवं सफल नीतिज्ञ थे।

विश्व हिन्दू परिषद् के मार्गदर्शक होने के नाते उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलन के माध्यम से हिन्दू समाज को समरस करने व जागरण का नवीन मंत्र दिया। श्रीराम जानकी रथ यात्रा, राम के जन्म स्थान का ताला खुलना, श्रीराम शिलापूजन, शिलान्यास, श्रीराम ज्योतियात्रा, श्रीराम पादुका यात्रा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से देश में जनजागरण हुआ। 6 दिसम्बर 1992 को विवादित स्थल से कलक रूपी

ढाँचे को हटाकर उस स्थान का पवित्रीकरण हुआ। ये सब उनके कुशल रणनीति और सफल क्रियान्वन के कारण ही सम्भव हो पाया।

गोवंश रक्षा के क्षेत्र में उनकी सोच बिल्कुल अनूठी थी। गाय की रक्षा किसान के घर में ही हो सकती है। गोशाला में ज्यादा गाय होने से सही देखभाल नहीं हो सकती।


वे गोबर, गोमूत्र को भी दूध जैसे ही उपयोगी मानते थे। यदि किसान को इनका सही मूल्य मिलने लगे तो गोवंश की सेवा सभी लोग फायदे हेतु करने लग जाएँ। उनकी ही प्रेरणान से अनेक प्रांतों में गोमूत्र से साबून, तेल, मंजन, सफाई हेतु फिनायल व कृषि कार्य हेतु कीटनाशक आदि का उत्पादन कर, किसान व गाय के दूध, गोबर, गोमूत्र आदि से उत्पाद बनाने वाले उत्पादक दोनों ही आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे हैं। अब तो गोमूत्र और गोबर से गैस प्लांट में लगातार 24 घंटे के लिए विद्युत का उत्पादन छोटे स्तर पर होने से बल्ब से घर, आंगन प्रकाशित होने लगा है।

श्रद्धेय मोरोपंत जी का मानना था कि भूतकाल और भविष्य के बीच की योजक कड़ी वर्तमान काल है। अतः इस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हर स्थान पर स्थानीय एवं क्षेत्रीय समस्याओं को समझ कर कई संस्थाएँ तथा प्रकल्प स्थापित किए। आर्थिक रूप से सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सहकारी बैंक, पत्रकारिता के क्षेत्र में सप्ताहिक विवेक, छोटे तथा मझले उद्योगों के विकास के लिए लघु उद्योग भारती, नाना पालकर स्मृति समिति, देवबांध (ठाणे) सेवा प्रकल्प, कलवा कुष्ठ रोग उन्मूलन प्रकल्प, स्वाध्याय मंडल (किला पारडी) आदि के पुनरुद्धार हेतु अनेक प्रकार की सहायता करवाई। वे वैदिक गणित के विषय को भारत के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु अटल बिहारी वाजपेयी को सुझाव भी दिए।

इनके जीवन में हताशा और निराशा का कोई स्थान नहीं था। वे सदा हँसते और मुस्कुराते रहते थे। अपने कार्यों से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देने वाले पिंगले जी का देहावसान 21 सितम्बर 2003 को नागपुर में हुआ।

उनके जन्मशती वर्ष में यह परम सौभाग्य है कि श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य व इतिहास लेखन तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की योजना साकार होने लगी है।

- श्री कौशलेश कुमार उपाध्याय  
मो. - 9910715755



## NATIONAL EDUCATION POLICY – 2020: STRATEGY FOR IMPLEMENTATION

### NEP 2020



#### **Shri D. Ramakrishna Rao**

President, Vidya Bharati  
Akhil Bhartiya Sikhsha Sansthan  
Education Administrator,  
Thinker & Writer  
Rtd. Principal & Director  
Vijana Vihara Residential School  
Gudilova A.P.

#### **Contact**

Mob. 8008015950

New national education policy – 2020 is launched by Government of India after much consultation, discussions, conducting seminars, holding workshops with all stake holders and general public for almost 5 years. Now it is available in the public domain. We should understand that a policy document is a statement of intent of the government and provides guidelines. It is to be implemented as a procedure and protocol by following all the regulations and directions pointed out in the policy document.

There are structural changes to revolutionize the Indian education system along with path breaking and transformatory initiatives which were hither to not found in the earlier NEPs. It appears to be providing direction for holistic, integrated, comprehensive and all-inclusive high quality education without neglecting 21st century skills, value system and man making life skills activity. It is acclaimed as that this NEP-20 is for the 21st century and to bring much needed reform that Indian education system has been waiting for the last 34 years.

Transforming curricular and pedagogical structure of school education i.e. 5 + 3 + 3 + 4 which includes 3 years in Anganwadi / Balvatika / pre-school and 12 years in school in 4 stages viz. foundation stage (5 years), preparatory stage (3 years), middle stage (3 years) and secondary stage (4 years). Here new concept is “**Early Childhood Care and Education (ECCE)**” is being streamlined assuring continued health care, self-help skills bringing all Anganwadis, Balvatikas and other pre-primary classes under main stream education. There are other specialties like attaining **Sustainable Development Goals**

(SDGs) of retaining all children in schools until completion of secondary education with a thrust on vocational education. Improving the quality and achievement of learning outcomes i.e. **Foundational Literacy and Numeracy (FLN)**, focus on 21st century skills in teaching, learning and assessment, resource sharing through school complexes, overcoming the language barrier in learning, fixing common standards for public and private school education and improving teacher education along with empowerment and provision for continuous professional development are some of the new features in the NEP-20 policy document. Every policy and plan have got to succeed when its implementation is taken care with utmost precaution and strategy involving all the stakeholders.

#### **I. Policy document is to be understood by all stake holders:**

Effective implementation is possible when all the stake holders comprehend minute details and specialties of the policy document. For this top down approach is to be followed. The academia, intelligentsia, education-leaders, media and policy implementers are to be well informed about all important aspects of NEP-20 and how it is different from earlier policies. It is more futuristic and prepares our people to face global competition and achieve all 17 sustainable development goals (SDGs).

#### **II. Success depends on teacher on the ground level and in the schools:**

Teachers performance is the most crucial input in the field of education. Whatever policies may be laid down, in the ultimate analysis they have to be interpreted

*"Teachers performance is the most crucial input in the field of education. Whatever policies may be laid down, in the ultimate analysis they have to be interpreted and implemented by teacher. We should never forget that about 20 lakhs anganwadis, 20 lakhs balvatika / pre- primary teachers, 80 lakhs primary teachers, 20 lakhs secondary teachers and about 30 lakhs higher education teachers put together 1.5 crores of teachers is a big implementation force."*

---

and implemented by teacher. We should never forget that about 20 lakhs anganwadis, 20 lakhs balvatika / pre- primary teachers, 80 lakhs primary teachers, 20 lakhs secondary teachers and about 30 lakhs higher education teachers put together 1.5 crores of teachers is a big implementation force. These teachers should understand the policy in detail and their special role. Educating, empowering, upgrading, up-skilling and updating them is a big challenge even to the Government. Simultaneously here bottom-up approach is to be followed.

### III. Primary classes and content generation:

As the thrust is on multi linguism and power of language, high quality text books are to be prepared in local language, for which a lot of effort is to be put in advance at primary stage classes. For example, there are many languages which are only spoken without script. There needs a special effort to design text books to meet local or regional requirements.

### IV. Sisuvatika (ECCE) content:

Early Childhood Care and Education (ECCE) is completely new concept for the society. But Sisuvatika of Vidya Bharathi is a unique successful experiment towards sarvangina and samagra vikas of a child. Government is to be provided with all these inputs including central and state level ministries not ignoring other related education organizations and bodies viz. NCERT, SCERTs, Department of school education. Before somebody occupies this new seat let us have our presence felt at that level which is very much essential. Detailed sisuvatika plan with all the activities is to be made available and our teachers should also get trained and ready to hold workshops if necessary.

### V. Knowledge is continuous, integrated and comprehensive – Content generation:

There will be no hard separation among curricular, co-curricular or extra- curricular activities and arts, humanities, science subjects, between academic or non-academic streams. Our graded activities shall be providing guidelines at school level. We should have to get ready with quality content at all levels, before the space is occupied by anti-national forces which were hither to controlling the whole educational organizations setup and system. Now that content generation with a time bound approach is a challenge for which academic and intelligentsia has to come forward with their ideas and experiences.

### VI. Experiential and integrated learning:

At school level, experiential learning shall be adopted, which includes hands-on learning, arts & sports integrated learning along with standard pedagogy. Class room transaction will shift towards competency-based education. CBSE has released two guideline books on experiential learning and arts integration with all subjects. Basing on these we should have to work out in details during this year and get ready for submission of content whenever it is required.

### VII. Vocationalisation of secondary education – Skilling while Schooling:

This is quite reformatory and essential measure to meet all future challenges and requirements. From standard VI to XII – vocations and skills to be added are to be listed after studying the local and field level requirements and needs are to be considered. We shall have to send a detailed plan with syllabus and activities. Village artisans, local experts, village professionals, National Skill Development Corporation (NSDC) and skill development agencies

---

*"From standard VI to XII – vocations and skills to be added are to be listed after studying the local and field level requirements and needs are to be considered. We shall have to send a detailed plan with syllabus and activities. Village artisans, local experts, village professionals, National Skill Development Corporation (NSDC) and skill development agencies can play a vital role in this regard."*



*"It should also reflect the progress and uniqueness of the learner in the cognitive, socio-emotional and psychomotor domain. Earlier there was continuous and comprehensive evaluation system, which our Vidya Bharathi has suggested long back to the government, reflecting different aspects of life skills and man making activities along with a sound value system."*

can play a vital role in this regard.

#### **VIII. Adding local content in the syllabus:**

20 to 30 percent of local syllabus can be finding a place when actual text books are prepared. We should have to gear up our mechanism to select local essential syllabus content and provide inputs whenever and wherever it is essential. This will help SCERT in preparing textbooks in time and hasten the process of implementation.

#### **IX. Curricular integration of regular subjects with life skills, value system and man making mechanism:**

Along with prescribed competencies and decided learning outcomes, we should have to inculcate scientific temper, evidence based thinking, creativity and innovation, sense of aesthetics and art, oral and written communication, health and nutrition, physical fitness, wellness and sports, collaboration and team work, problem solving and logical thinking, digital literacy, coding and computational thinking, ethical and moral reasoning etc. for which teachers are to be trained and up-skilled and ready with necessary inputs and information. Workout sessions are to be held for curriculum integration with desirable skills acquisition.

#### **X. Holistic progress card:**

NCERT and SCERTs should come out with an assessment and testing plan for basic learning objectives and application of knowledge in real life situation. The progress card of all students should redesigned to make it more holistic, 360 degree multi-dimensional report representing self-assessment, peer assessment and teacher assessment. It should also reflect the progress and uniqueness of the learner in the cognitive, socio-emotional

and psychomotor domain. Earlier there was continuous and comprehensive evaluation system, which our Vidya Bharathi has suggested long back to the government, reflecting different aspects of life skills and man making activities along with a sound value system.

#### **XI. Going with global trends:**

We should go with latest global trends and emerging areas based on technology. All our teachers are to know the art of using technology as a tool for better and easy learning – of-course technology should be with human face, ethics and morals. Artificial Intelligence (A.I.), Internet of Things (IOT), Quantum computing, Block chain technology, data science, cyber security, applied arts, augmented and virtual realities (AR/VR) are new emerging areas based on latest technology. Of course, now we should acquaint with A.I. to speed up the process of learning and to save time. A.I. is an attempt to let computer perform services for which humans need intelligence and it is useful for economy, healthcare, agriculture, environment, education and industry etc.

#### **XII. Transforming teacher education:**

A complete revamp of teacher education, a key sector on which the entire education edifice depends and which was not cared for and most neglected one during all the years after independence is inevitable and the present policy aims to achieve it. Detailed suggestions, guidelines and an action plan with curricular content is to be prepared and sent, as we have made many experiments in teacher education (acharya prasikshan) and developed expertise in the same.

#### **XIII. Helping to develop School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAACF):**

School quality improvement programme and Manak parishad are our successful initiatives across the country with our rich experience in school education. Basing on our expertise we should assist SCERT in developing SQAACF after consulting all stake holders since there is a time line for implementation of NEP-20.

#### **XIV. Sitting in small groups to comprehend and execute:**

We should continuously sit and hold workshops to prepare notes, list out activities and suggestions etc. both for our comprehension and to hasten the process of implementation

*"School complexes ensure the availability and sharing of all resources, infrastructure, experienced teachers, special teachers and counsellors, by all the schools in that cluster. There is a mention of Balbhavans which are nothing but Bala Samskara Kendras which we have already been running for pre-primary children through art, play and culture related activities. "*

at government level. Now that our experience in the field of education counts and we should take an active part as this policy if properly implemented in true spirit can affect generations together.

**XV. Effort towards institutional empowerment – clearing hurdles:**

Democracy to be successful requires establishment of powerful institutions. India inherited the administrative legacy from the British. Therefore, most of our institutions including bureaucracy is designed to fulfill the requirements of colonial rule and are not strong enough to strengthen a true democracy and Bharateeya values. In spite of facing hurdles from some quarters we have to think of institutional empowerment for better implementation strategy and desired results.

**XVI. School complexes and clusters:**

School complexes ensure the availability and sharing of all resources, infrastructure, experienced teachers, special teachers and counsellors, by all the schools in that cluster. There is a mention of Balbhavans which are nothing but Bala Samskara Kendras which we have already been running for pre-primary children through art, play and culture related activities. There is a guidance that schools are to be developed as samajik chetana kendras to promote useful

service activities as our social responsibility. This is in tune with our concept of school a centre for social change, for which we planned number of activities and with our expertise we can help the government. Pairing of schools is suggested to be carried on – one government school and one private school for sahoday (collaborative development). All these are known to us and are in vogue. Hence, we should be getting ready to prepare syllabus and activity schedule for the same.

**XVII. Helping adult education and life long learning:**

An adult education curricular frame work will be developed by a new constituent body of NCERT. This is prepared with clearly defined outcomes and objectives viz. foundational literacy & numeracy, critical life skills, vocational skills, basic education and continuing education, for which we can think in advance to send our suggestions and detailed guidelines. As we have been doing schools can be used beyond school hours for adult education with an idea of community engagement and enrichment activities.

**XVIII. Close monitoring and involvement in implementation at all levels:**

Department of school education will be responsible for overall monitoring and policy making for continual improvement.


All educational operations and other provisions of schooling system are to be handled by the Directorate of School Education.

Academic matters, curriculum, syllabus and textbooks shall be prepared by SCERT, with close consultation and collaboration with NCERT.

Vidya Bharathi teams should always be in touch with all these agencies to get things move on. Repeated interaction and acquaintance shall yield results.

**PROMOTE UNITY THROUGH LOVE IS OUR DHARMA**

We can now define Dharma. Dharma is the immutable, unchangeable, law permeating the whole universe, sustaining all its parts of the smallest and the largest magnitude in relationship with each other, discoverable, with the aid of buddhi, the higher superrational, integrative, unitive intelligence which is the real maitri, love or Compassion, to know this Dharma, to see the mode of its working, to make it easier for fellow men to understand it and live according to it is one of the greatest blessing.



-Maharshi Arvind

## PARENTAL ENGAGEMENT IN LEARNING AND SCHOOL EDUCATION

### PARENTING



***Shri Nar Singh Sehrawat***

Ex. Value Audit Tax Officer  
(DANICS)

Ex- Metropolitan Magistrate, Delhi  
Educationist, Social Worker

**Contact**

Mob. 9811211107

In the Indian culture, the parents are considered as the pratham gurus or the first teachers of the children. This pre-eminent position allows them to play an important and defining role in shaping the future of the children and influencing their learning process. The great Hindu mythological epic, Mahabharata, tells us as how Abhimanyu, the son of Arjun and Subhadra, learned the art of entering into the Chakravyuh, a complex wheel like military formation, while he was still in womb. This peculiar instance highlights the importance as to how the learning of a child could be influenced from the womb days by his or her mother and father. Event after the birth, due to their constant interaction and living with the children, almost for every child his or her parents are the perfect role models and they tried to emulate them wittingly or unwittingly. Thus, there is a great need that parents must act and behave in a most orderly, decent and appropriate manner so that children could also be shaped in becoming good samaritan and citizen.

Before the beginning of formal education, young child learns with his family, exploring the nature, playing together with family and other collective activities. Under the valuable guidelines of parents, young children get prepared for formal school education. According to a well-known Portland Professor the parents can nourish their children just by paying attention to them and by spending time with them.

It is an established fact that different children have different and unique learning abilities, requirements and skills. Some children learn by observing visual images

while others through physical activities and on the other hand some are auditory learners who learn what they hear. Parents can recognize their learning abilities just by paying attention to them and hence, parents are encouraged to help their wards in school studies but only to a limited extent. Parents are supposed to prepare children in such a way so that he can take his own decisions and can take responsibilities of his success and failure. Motivation of learning will improve child's intrinsic interest and will help in shaping his/her ability and capability to understand and perform in life. However, few psychiatrists warn that excess and continuous involvement may obstruct overall development of the child and thus there a need to maintain a balance in their interactions and always give space to the children so that they can also be at their own.

Parents must encourage their ward always to learn something new. He may choose any of the topics of his choice and deliberate. Parents-support helps the child to cope up with the pressure of school. A healthy bonding of child with school and home atmosphere improves the outcomes of learning. The study all over the world has proved that parental engagement has a positive impact on grades, higher education, (lesser) drop-outs. Beyond education, rather beyond realization of its importance, this support helps the children in development of social skills, improving behavior and adaptation in life.

Formal education is one of many ways that children learn and develop. The learning trajectory begins well before children enter school, and once children are attending

school, they continue to learn at home, and in the community. Parents play a critical role in providing learning opportunities at home and in linking what children learn at school with what happens elsewhere. By participating in and facilitating diverse learning experiences and activities outside the school, parents become an important factor in children's overall learning and education.

While research supports the notion that parental engagement may positively impact student academic attainment, there is an important distinction between involving parents in schooling and engaging parents in learning; it is the latter that has shown to have the greatest positive impact. While involving parents in school activities may have an important community and social function, the key to facilitating positive change in a child's academic attainment is the engagement of parents in learning outcomes in the home.

The extent to which parents are engaged and the likelihood of that engagement being sustained over time is dependent upon how they perceive themselves as actors in their children's education. Parental role construction therefore plays a decisive part in the likelihood of a parent becoming engaged in education. Whether parents decide to take part in their children's education autonomously, or whether they become engaged as a result of invitations (actual or perceived) from schools, can in turn influence the nature and quality of their engagement.

Parental role construction is important not just because it affects parents' decisions about how and whether to become engaged, but also because role construction is intimately linked to academic achievement. Parental aspirations and expectations for their children's education have a strong relationship to academic outcomes. In turn, a parent's ability to efficacy and belief in their ability to help their children is pivotal to whether and how they become involved with their children's schooling. The lowest likelihood of engagement occurs when parental role construction is weak – that is, when parents do not believe they should be involved in their child's education and have at the same time a low sense of efficacy.

There is also evidence that parenting style which is supportive of the child and encourages conversation and exchange between the parent and child is more conducive to emotional wellbeing during the schooling years. A supportive parenting style allows for the setting of limits and rules while making transparent the

reasons behind decisions, thereby acknowledging the autonomy and self-responsibility of the child. Conversely, a style which is emotionally distant yet which requires children to obtain high levels of academic achievement can lead to low levels of self-esteem in children, which can have a flow through negative impact on academic achievement.

Parental engagement initiatives, whether implemented at a home, school or community level, require a clear focus on student learning, development and wellbeing. They also require leadership and adequate resources at the school level. Engagement strategies are more likely to be successful when teachers know how to communicate effectively with parents, where dedicated school staff work with parents, and where there is strong support from the principal for this work. While dedicated resources are often needed, the level of resourcing for each school is likely to vary with community need and with the engagement strategies chosen. Effective approaches differ across age groups and need to adjust to the learning trajectories of individual children. Parental involvement on school grounds appears to be suitable for children at primary school to enhance social and emotional adjustment, while it may have little impact on high school students. Parental engagement, on the other hand, appears to have benefits across all age groups

Finally, successful parental engagement is continuous. Children are born to learn, and parental engagement needs to start from infancy and be maintained throughout childhood and well into teenage years and early adulthood. Though the nature of parental participation may change, the level of 13 commitment from parents needs to remain the same. For parents to understand and appreciate their continuing role, parents, schools and indeed the general community need to build a mutual understanding of positive parental engagement and progress strategies to create and sustain this. Through this mutual understanding and commitment, children's wellbeing will be enhanced, and they will have a much greater chance of living a life that they value, where their full capacities and aspirations are fulfilled. For the benefits of parental engagement to be realized, it is critical that efforts are guided by the best available evidence. This report synthesizes key messages from current research in practical terms that can be used by parents, teachers, schools and government to guide parental engagement strategies. Translating this best evidence in policy, practices and programmes is the greater challenge, and will require resourcing and commitment by all parties.

## COVID 19 – CHALLENGES TO LEADERSHIP

### CURRENT ISSUE



**Dr. UMAMAHESWARA RAO  
CHAMARTHY,  
IAS (Retd.),**

Executive Director Central  
affairs, Special Secretary to Chief  
Minister, Govt. AP  
Vice Chairman  
Centre (CDS-APARD)  
Member Telangana pay Revision  
Commission  
President,  
Dakshin madhya zone  
Vidya Bharti

#### Contact

Mob. 9848012428

The country and the world are passing through an unprecedented situation because of the Corona virus, now commonly known as COVID-19. The world has not faced this type of situation in the last 100 years. Both the world wars were confined to certain geopolitical formations. The Spanish flupandemic of 1918 which started soon after the end of World War I infected one third of all humans and claimed an estimated 50 to 100 million lives.

Laura Spinney in his book “Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and how it changed the world” has narrated the changes that took place, in the world as a result of that pandemic. The book was published in 2018. The author points out how important events were shaped by the Spanish flu. These events include helping end the hostilities of the World War I, strengthening the independence movement in India and apartheid in South Africa, and implementing universal healthcare. The 1918 Spanish flu was one of the greatest catastrophes to affect the world, claiming more lives than any other flu pandemic. Could another global flu pandemic occur? The author raised this question and now we have the pandemic towards the end of 2019 and by the first quarter of 2020 the world started reeling under its impact.

At the moment, India is recording the largest number of cases per day in the world. However, the recovery rate with about 78% and mortality of about 1.67% give us confidence that we will pass this pandemic. It has seriously dented the economy, severely stressed the medical infrastructure. Schools are not running and online classes have

started but the access to online education is not yet accessible to all and at a satisfactory level.

The above situation poses severe challenges to leadership in our school system. One question that occurs to one’s mind is how to lead through uncertainty and strengthen the organization for the long term. The second question is to understand the ethical leadership. I propose to share some thoughts on these two issues in the following paragraphs.

#### 1. Leading through uncertainty

We are passing through an unprecedented uncertainty. Even before the COVID-19 crisis, rapid technological change, global economic interdependence, political realignments, a high-pitched noise level by the so-called liberals in different garbs had conspired to make the future increasingly uncertain and murky. Uncertainty was so encompassing that researchers started analyzing the problems and started categorizing the magnitude of the problem in acronyms such as VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) and TUNA (Turbulent, Uncertain, Novel and Ambiguous)

To understand the above and apply to leadership positions, let us look at what are the qualities of leaders as detailed by John C. Maxwell. There are twenty-one qualities of leaders.

The latest situation on COVID-19 in India and the world are as follows (As on 11/09/2020)

	Total cases	Recovered	Deaths
India	4.66 million	3.62 million	77,472
World wide	28.5 million	19.3 million	916,000

*We need to visualize that future and prepare our organizations future ready. In a changing environment, what is constant is change. Our karyakarthis need to develop this sensitivity to the future and work to meet the emerging challenges. This vision of the future need to be effectively communicated to all the stake holders in the organization.*

To manage problems of this nature, a shift in strategic thinking is necessary. Till the other day all effort was focused on how to make our schools effective learning centres for integrated development of children (Sarvargeenavikas). Now we need to think how to make the schools effective whether online or offline. Earlier we were probably meeting the parents occasionally. Today with online education we can meet the parents almost daily. This gives us an opportunity to encourage the parents to take a greater role in the teaching, learning process. Leadership at different levels need to take this into account in organizing our activities.

Character	Charisma	Commitment
Communication	Competence	Courage
Discernment (Put an end to unsolved mysteries)	Focus	Generosity
Initiation	Listening	Passion
Positive attitude	Problem solving	Relationships
Responsibility	Security	Self-discipline
Servanthood (To get ahead, put others first)	Teachability (To keep leading, keep learning)	Vision (You can seize only what you can see)

We have a leadership at different levels in Vidya Bharathi. A substantial (at least 60%) number of them are volunteers. It is to be understood that someone voluntarily working in leadership positions is not absolved of the qualities of a leader. In addition to the qualities

listed above 'sacrifice' has to be added as another quality required in an organization with a huge volunteer force.

The above qualities are listed not to educate our co-workers in Vidya Bharathi but only to recollect, rejuvenate and rededicate ourselves to the cause. **In the present crisis, the most important thing to my mind is how to keep our Acharyas and others working in the organization motivated.** Our organizations' strength is 'Samparka' with the parents and well-wishers in the society. We can convert the crisis into an opportunity to contact the parents on phone or through virtual meetings at different levels which many are already doing. We can contact more people on phone and through virtual meeting platforms than when we physically travel and contact them. The present crisis is pushing us to use technology. **The use of this technology is creating a new culture of communication.** It is necessary that all of us develop an etiquette suited to this new culture of communication. For example: Our acharyas need greater competence and a new skill to teach online since the parents along with children would be listening to what is being taught. The acharyas would be assessed by the parents. This can put pressure on a teacher who is not fully equipped for on line teaching. We have to think of new ways of addressing this challenge. The leadership role is evident.

COVID-19 may go away may be in six months to one year. But one long term impact of this would be increased use of digital platforms on a permanent basis. We can formulate an approach where we can have a digital component and virtual conferences on a permanent basis at least for some activities to derive greater leverage of technology and synergy between activities. We need to visualize that future and prepare our organizations future ready. In a changing environment, what is constant is change. Our karyakarthis need to develop this sensitivity to the future and work to meet the emerging challenges. This vision of the future need to be effectively communicated to all the stake holders in the

*The present crisis is pushing us to use technology. The use of this technology is creating a new culture of communication. It is necessary that all of us develop an etiquette suited to this new culture of communication. For example: Our acharyas need greater competence and a new skill to teach online since the parents along with children would be listening to what is being taught.*

*Ethics or morality can be described as “Science of Conduct”. In the notion of Western society ethics is generally a guidance for individual action- merely right or wrong. In the Indian context ethics goes beyond this and encompasses several layers. Ethics, of course, is poor equivalent of ‘Dharma’. For us in the Indian context ethics starts with individual, moves on to family, community, society, nation, world and beyond and encompasses all the living and non-living creatures, nature etc.,*

Organizations consider ethics as important but it is not part of the culture. Emphasis is on accountability, comply with rules and regulations, codes of conduct etc., but ethics takes a back seat.

**Ethical management** (low compliance / high integrity)

Here the ethical framework is strong with one or two members. They champion the ethical agenda. But they target the rules, compliance requirement legal framework etc.,

**Ethical Leadership** (high compliance / high integrity)

This is found in organizations that have strong personal commitment and the necessary infrastructure, compliance systems etc., Ethics is embedded into organizational culture. Leaders are proactive and

**Management / Leadership matrix**

		INTEGRITY	
		LOW	HIGH
COMPLIANCE OF RULES, LAW ETC.	LOW	<b>Ethics minima</b>	<b>Ethical management</b>
	HIGH	<b>Ethics management</b>	<b>Ethical leadership</b>

organization.

**2. Ethical leadership**

There is always a thin line between management and leadership. Leadership generally goes beyond management which is generally governed by a regulatory framework. Leadership subsumes management but management does not subsume leadership.

Ethics or morality can be described as “Science of Conduct”. In the notion of Western society ethics is generally a guidance for individual action- merely right or wrong. In the Indian context ethics goes beyond this and encompasses several layers. Ethics, of course, is poor equivalent of ‘Dharma’. For us in the Indian context ethics starts with individual, moves on to family, community, society, nation, world and beyond and encompasses all the living and non-living creatures, nature etc.,

When we are passing through the present crisis, we need not leadership alone but ethical leadership. This is a combination of management and leadership which is necessary to meet the multilayered complexity of the crisis on hand. We can understand the concept of ethical leadership through a matrix.

Above matrix is explained below.

**Ethics minima:** (low compliance / low integrity)

This occurs in organizations that do not see ethics as particularly important. Leadership is minimal and is strictly reactive and only minimum legal standards are maintained.

**Ethics management** (high compliance / low integrity)

seek to develop all individuals to be accountable, transparent and work with a moral flourish.

All the organizations do not exactly fit into the above four types. But the goal should be to aim to the fourth type viz. Ethical leadership. To reach this stage, the leadership should have most of the qualities detailed in the initial paragraphs. If we critically analyze ourselves, we find that our karyakarthis at different levels exhibit good number the qualities of leadership.

A crisis can create opportunities for fraud, mischief etc., We hear a lot of incidents where Govt. hospitals do not react properly to Covid cases while private hospitals are fleecing the patients. We should be able to sensitize in our area of activity on this so that we do not lose our moral compass and the society comes out of the present crisis with minimum damage. This is just an example. The crisis provides any number of opportunities to show the ethical leadership. Vidyabhaathi and its associated organisations can together make an impact on the society however small it is .

Lokahs samasthah sukhino bhavanthu.....

*We should be able to sensitize in our area of activity on this so that we do not lose our moral compass and the society comes out of the present crisis with minimum damage. This is just an example. The crisis provides any number of opportunities to show the ethical leadership. Vidyabhaathi and its associated organisations can together make an impact on the society however small it is .*

## China Communist or Expansionist

### CHINA



**Shri Rajendra Kumar Shastri**  
Additional Session's Judge (Retd.)  
Ex. CBI Judge  
Thinker, Writer

#### Contact

Mob. 9910384740

Mahatma Gandhi once said "My ambition is nothing less than to see international affairs placed on a moral basis through India's efforts". It was not a new idea cropped up in Gandhi Ji's mind. Our ancestors followed principles of "vasudhaiv-kutumbhakam" i.e. people of entire planet as a family. They wished peace and happiness for all living beings.

Our successive Govts. after independence followed same pursuit India never bullied any tiny neighbor country, rather treated each of them with generosity. Our foreign policy always remained guided by kindness, fair play and mutual respect. Our policy makers preferred morality over self interest. Gandhi Ji compelled Indian Govt. to pay crores of rupees to Pakistan to establish itself after partition despite widespread hunger and depravity in our own country. Everyone knew that persons in power in Pakistan were responsible for division of country and genocide of Hindu's fleeing Pakistan.

India liberated Bangladesh from cruelty caused to it by Pak rulers and saved lives of innocent Bangla people and dignity of their ladies from brutal Pak army. India sent its 'Peace Keeping Force' to Sri Lanka to save a neighboring country from civil war between two major ethnicities and sacrificed more than two thousands of its soldiers, without any self interest of our own.

After formation of United Nations Organization (UNO), China was selected as a permanent member of its Security Council. A civil war had broken out in China in 1945, which lasted till 1949. Nationalist party led by Cheng Kai Shek was in power. At the same time, Chinese communist party started

revolution, as war of liberation, under its chairman Mao-Zedong and succeeded in getting majority of public support. China was represented in UN by Republic of China (Taiwan) under leadership of Cheng Kai Shek and not by People's Republic of China, having Mao as its chairperson. Communists claimed membership of UN and of Security Council. USA along with its allies did not want PRC controlled by communists to represent China in UN, rather favored ROC. Jawahar Lal Nehru, Prime Minister of India not only advocated PRC rather approached leaders of Great Britain, USA and Burma and requested for membership of communist PRC. He (Nehru) sent cable to Egyptian Prime Minister asking the latter to back PRC in UN Security Council. Historians say that USA even wanted to give India permanent membership of Security Council, but our leaders were in favor of PRC.

On 11.12.2001 China officially became one forty third member of World Trade Organization (WTO). India played key role and supported membership of China. Developing @ 9% P.A, China became second largest economy of world in GDP terms. Within short span, it became first destination for inward FDI, among developing countries. Now China is first largest merchandise exporter. Our leaders not only facilitated China in its progress and economic development, they helped it in fulfilling its illegal and immoral design. China offered India a grand post colonial alliance, if India does not help Tibetans, allured in this way, our leaders raised no objection rather allowed shipment of food stuffs to Chinese army stuck in Tibet War, through India. Moreover, Prime Minister Nehru by writing letters through Indian envoy suggested Chinese premier, as



how to annex Tibet with China and what time will be more suitable to attack Tibetan army.

What china repaid India is evident to world now. Zhou Enlai pretended friendship with Nehru. He signed a five point accord of friendship and co-existence, popularly known as “Panchsheel” by befooling our leaders but stabbed in back by attacking us militarily in 1962. They claimed our territory, and snatched entire Aksai Chin from us.

China baited Pakistan and used it against India. They signed an agreement called “Sino Pakistan Agreement” in 1963 where Pak recognized Chinese sovereignty over hundreds of square kilometers of land in North Kashmir and Ladakh. In 2006, Chinese ambassador to India claimed that entire Arunachal Pradesh is Chinese territory. Now they lay their claim over whole Ladakh region also.

Macmohan line is demarcation line between Tibet and North East region of India. It was proposed by Foreign secretary of British India Sir Henry Macmohan in 1914 at Shimla convention, signed between British and Tibetan representatives. China refused to recognize that demarcation saying that Tibet was not a sovereign state and had no power to conclude such agreement. It claims 65,000 kilometers of Indian territory, south of Macmohan line as part of Tibet Autonomous Region known as South Tibet.

Although there is no substance in the plea of China, what right China has over this land. It is not long ago that China attacked Tibet and forcibly annexed it. Tibet always remained a separate and independent nation. It was never part of China. It is still different culturally, socially and politically from mainland China. Even if there was any claim or confusion, same was between India and Tibet. Being an invader, what authority China had on Tibetan or Indian territory.

When China attacked Tibet and killed its army which was sparsely armed, Dalai Lama who was a political and spiritual head of country fled India, fearing for his life. Thousands of other Tibetans followed him and took shelter in India. Tibetan Govt. in exile works from Dharmshala (HP), perhaps to appease China some political leaders in India heard saying that Tibet was integral part of China. Neither this fact is true nor it was an official statement by Indian govt.

In May 2020, China intruded in our territory comprising Eastern Ladakh. It has stationed about 60,000 soldiers alongwith heavy armoury. Although Indian forces are effectively countering

China but they are not ready to go back. India lost at least 20 Jawans in skirmishes in Pengong TSO with Chinese army.

Media and even Govt. officials in India are committing mistake by referring standoff between two armies as a boundary dispute between India and China. India does not share any boundary with China. It is Tibet, which is situated on over Eastern border. Tibet is a separate country, having its own Govt. in exile. We should resist referring it as Chinese territory.

As mentioned earlier, Chiang Kai Shek was ruling entire China including present Taiwan. After Communist revolution, he was forced to confine in Taiwan, known as Republic of China. The latter may have claim over remaining territory, now called as “mainland China” but not vice-versa. Now Chinese leaders started claiming their right over Taiwan also, which is not logical.

Hong Kong remained under suzerainty of Great Britain for almost one and half centuries. Under an agreement with China, Britain handed it over to China on July 1, 1997. According to said agreement, Hong Kong will remain special administrative region of China till 2047, as one country, two systems. People of Hong Kong started their struggle for independence from China. When Hong Kong went under control of Great Britain, China was not a single administrative country as is today. Separate regions were administered by different rulers. Neither China nor England had any authority over fate of Hong Kong. Agreement between England & China regarding Hong Kong has no meaning and hence void. People of Hong Kong have every right to decide their own fate.

Though China claims itself to be a communist country, it has an oppressive system of administration, unheard of anywhere. It seldom spares its own people, if come in its way. Mass killing of thousands of innocent students at Tiananmin Square, is still fresh in public mind. Same behavior is being repeated in Hong Kong.

India is not the only victim of China. Pakistan is completely under its control and has virtually become its colony. China has forced Pakistan to surrender thousands of kilometers of land, which is strategically very important. By giving heavy credits and that to serve its own purpose, China baits small countries to trap. Sri Lanka, Maldives and now Nepal are its prey. China left no option for these countries but to submit to its terms. China started using these countries to circumscribe and isolate India, as we refused to surrender before it. Our forefathers opted to remain truly independent. We did not align either with USA or USSR during period of Cold War between said two superpowers rather initiated

“Non aligned movement”, which was joined by several other countries also. That era has gone now.

It is true that China is a great economic power. It has one of largest army and navy bigger than any other country in world including USA. It will be very difficult to counter such a power on our own. There is no permanent friend or foe in politics, may it be local or international. It is national interest which is paramount

for a country. Circumstances at present compel us to take side. It is always wise to take note of circumstances. USA is only superpower of day, which can contain China. Even USA requires India to serve its economic interest against China.

China is hostile towards many of countries in world. It's high time that all such countries join hands to stop expansionist China, otherwise it will be too late.

### ATAL TUNNEL

Atal Tunnel (also known as Rohtang Tunnel) is a highway tunnel built under the Rohtang Pass in the eastern Pir Panjal range of the Himalayas on the Leh-Manali Highway in Himachal Pradesh, India. At a length of 9.02 km, it is the longest tunnel above 10,000 feet (3,048 m) in the world and is named after former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee.

The tunnel reduces the travel time and overall distance between Manali and Keylong on the way to Leh. The route, which previously went through Gramphu, was 116 km (72.1 mi) long and took 5 to 6 hours in good conditions. The traveller now reaches the South Portal of the tunnel from Manali, a distance of 24.4 km (15.2 mi) in about 50 minutes, goes through the 9.02 km (5.6 mi) long tunnel in about 15 minutes, and reaches Keylong which is 37 km (23.0 mi) away in about 60 minutes. The new route via the tunnel brings down the total distance travelled to 71 km (44.1 mi) which can be covered in about 2 hours and 5 minutes, a reduction of around 3 to 4 hours when compared to the earlier route. Moreover, the tunnel bypasses most of the sites that were prone to road blockades, avalanches, and traffic snarls.

The tunnel is at an elevation of 3,100 metres (10,171 ft) whereas the Rohtang Pass is at an elevation of 3,978 metres (13,051 ft). It was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 3 October 2020. The cost of the entire project is Rs. 3,200 crore (US\$438 million). Atal Tunnel Approach Inauguration 26 May 2002 - Atal Bihari Vajpayee, PM of India and Lt. Gen. Prakash Suri, Director General Border Roads (DGBR). The commissioning of the access road construction for the Atal Tunnel by Atal Bihari Vajpayee on 26 May 2002.

Lt. Gen. Prakash Suri, PVSM, was put in charge of construction. The approach road to the tunnel entrance was inaugurated by Atal Bihari Vajpayee.

However the project did not move beyond the tree-felling stage by May 2003. By December 2004, the cost estimate had grown to Rs. 900 crore. In May 2007, the government of Dr. Manmohan Singh awarded the contract to SMEC (Snowy Mountains Engineering Corporation) International Private Limited, an Australian company, and the completion date was revised to 2014. However, there was no progress for the next three years, until May 2010. Prime Minister Narendra Modi renamed the tunnel as the Atal Tunnel, in honour of Shree Atal Bihari Vajpayee, on 25 December 2019, Vajpayee's birthday.

The Rohtang Tunnel has been planned to ensure an all-seasons, all-weather road route to strategically important areas of Ladakh and the remote Lahaul-Spiti valley. However, the tunnel will provide this connectivity only up to Darcha, north of Keylong in the Lahaul region of Himachal Pradesh. Connectivity to Ladakh will require more tunnels: either at Shikun La, or at the passes located on the present Leh-Manali road. Prime Minister Narendra Modi renamed the tunnel as the Atal Tunnel, in honour of Shree Atal Bihari Vajpayee, on 25 December 2019, Vajpayee's birthday.

The Rohtang Tunnel has been planned to ensure an all-seasons, all-weather road route to strategically important areas of Ladakh and the remote Lahaul-Spiti valley. However, the tunnel will provide this connectivity only up to Darcha, north of Keylong in the Lahaul region of Himachal Pradesh. Connectivity to Ladakh will require more tunnels: either at Shikun La, or at the passes located on the present Leh-Manali road.

# ECO-BRICK – COMBATING PLASTIC WASTE

An initiative by ParyavaranSanrakshanGatividhi

## ECOLOGY



**Ms. Niyati Sharma**

Delhi High Court Advocate.  
Represents on media channels  
as a Political Analyst / Lawyer.  
Writes on social political issues  
for various newspapers.  
Dedicated for the development of  
underprivileged women and  
environment.  
Media pramukh of RSS as  
Wing of Paryavaran Sanrakshan

**Contact**

Mob. 8587027428

In the Bhagavad Gita, both the living entity as well as the material nature are explained as “Prakriti”, or the energy of the Lord. The difference is that one of the two, the jiva-prakriti, is conscious whereas the other one, jada-prakriti is unconscious. Therefore, the jiva-prakriti is called the Superior Energy of the Lord because the jiva, or living entity, has consciousness which is similar to the Lord’s.



Unfortunately, we human being have exhausted all the liberties bestowed by the Lord and are continuously heading to destroy the nature. Its high time after this COVID -19 crisis that we become apathetic towards environment, instead of just talking and simply walking away.

Plastic and polythene are real danger for the future generation because of its non-recyclable nature. Plastic molecules have been found in vegetables, plants and in drinking water. It enters our blood and doesn’t come out ever. To our shock One polythene bag takes more than 1000 years to decompose. Plastic is therefore consumed by animals which results in their death. A vet told about an operation on a calf in whose stomach he found 45 kg plastic. Plastic pollution is not just seen on land but have also extended to water bodies. A wale died with 100 kg plastic in its stomach. It is due to polythene consumption thousands of animals



die every month.

**The question is how does this happens?**

Polythene that we throw on ground or in dustbins enters groundwater and reaches oceans through rivers and other water bodies. Plastic molecules like the cut piece of milk packet have been found in mineral water and plants. These molecules affect our hormones and is cancerous.

When we encounter such human generated problems we need to have a solution for the same. It is rightly said “change starts from home itself”. And the solution is ECO BRICK AT OUR HOMES. We need to segregate our waste and stop throwing polythene outside.

**ECO BRICK – MEANING AND CONCEPT**

An Eco Brick is a plastic bottle which is packed with used plastic to set density. These bricks are used for various items including furniture, garden walls, tree boundaries, tables and other structures. Eco –Bricks are produced mainly to combat the





growing plastic waste problem. Every household can create their own eco-brick. Even throwing an eco-brick in garbage is useful as the polythene and plastic waste covering about 100 sqft area can be stuffed in a 1 litre bottle. Eco brick campaign in Dehradun aims to make an eco-brick park. Paryavaran Sanrakshan Gatividhi has launched the world largest ECO BRICK Campaign on October 2nd, 2020 where each household is encouraged to create eco brick to reduce their plastic waste pollution. We have less knowledge about how to reuse plastic and ECO BRICK is one of the steps taken to reuse the plastic waste. Management of plastic waste often starts at household and individual level.

When in Indian culture we recite, “सर्वे भवन्तु सुखिनः” it becomes our responsibility to protect our surrounding. As each responsibility is different but not less than the other. Combating plastic waste is the need of the hour. And we all have to become the environment warriors to obliterate this devil from the environment.

### DO YOU KNOW?

- Every year 18 billion pounds of plastic seeps into ocean from coasts
- Scientists have found plastic bags at the bottom of the Mariana Trench 36000 feet below sea level.
- Eco-Bricks save the Earth from being infertile.
- Eco-Bricks are low energy solution to plastic.
- Eco-Bricks can be used to create furniture, wall boundaries, tree boundaries, table and other structures.
- Throwing eco-brick in garbage is also useful.

## PLASTIC WASTE & RECYCLE

### Environmental impact

Plastic is a popular and highly versatile material, and we use a lot of it. Optimising the lifespan of plastics by re-using and recycling items as many times as possible, for example, by recycling used plastic bottles into new ones, we can therefore reduce our need to create new plastic.

### This means we can:

- conserve non-renewable fossil fuels (oil)
- reduce the consumption of energy used in the production of new plastic
- reduce the amount of solid waste going to landfill
- reduce emission of gases like carbon dioxide into the atmosphere.

### How is it recycled?

#### Plastics are:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| • Sorted by polymer type | • Melted                  |
| • Shredded               | • Pelletised              |
| • Washed                 | • Made into new products. |

### It is a two-stage process:

- Sorting is mainly done automatically with a manual sort to ensure all contaminants have been removed



- Once sorted and cleaned, plastic can either be shredded into flakes or melt processed to form pellets before finally being moulded into new products.

### Made from recycled

There is a wide range of products made from recycled plastic including:

- refuse sacks and carrier bags
- underground drainage systems for homes and national infrastructure
- flower pots, seed trays, watering cans and water butts
- wheel arch liners and bumpers on cars
- damp proof membranes, guttering and window profiles used in construction
- reusable crates and pallets
- wheel bins and food caddies
- composters and wormeries
- drinks bottles and food trays
- polyester fabric for clothing.

## Understanding Hindutva with 'Right' perspective!!



**J Nandakumar**

National Convener Prajna Pravah  
**Book Author**



**Review by**

**Shri Prashant Barthwal**

Assist. Prof. Shri Aurobindo collage

**Contact**

Mob. 9868888449

The book, *Hindutva for the changing times*, authored by J. Nandakumar, National Convener of Prajna Pravah, a Rashtriya Swayamsevak Sangh's affiliated organization, strongly resist those thoughts that intentionally put Hindutva under the communal frame. This book is not just the result of in-depth research, but it also reflects the empirical observations of the Author with different issues discussed therein. Hindutva, as he stated, refers to the [real] voice of all Indic ideas along with the nationalist actions, reflecting the world's ancient civilization, i.e. Indian tradition. Hindutva also refers to the [sacred] cultural voice and reflects its political ramification on a broad scale, which has, undoubtedly, a great relevance that can not be ignored, unless purposively. He also criticized the historians who present Hindutva as a blend of communal tactics and myths, where it abducts individuals' rights and liberty. Contrary to historians unsubstantiated statements, Nandkumar aptly remarks that how a [particular] group of historians have deliberately rejected Hindutva, merely because of their ideological devotions and commitment to 'breaking India'.

Meanwhile, for having an understanding of 'idea of India', it became imperative to understand the Hindutva, not merely with religiosity, but a way of enlightening the thought which is worth of acceptance amongst all. Hinduism, as pointed out by many philosophers and theorists, against all negative propaganda by left intellectuals, is not an appropriate connotation to represent the actual worth of prized principle of Santana Dharma. Meanwhile, contrary to the left-liberal prejudices and materialist visions, Hindutva is spiritualistic and inclusive by nature.

Hinduism is therefore not a definite dogmatic creed, but a vast, complex, but subtly unified mast of spiritual thought and realization. Its tradition of the Godward endeavour of the human spirit has been continuously enlarging through the ages.

The theoretical significance of Hindutva, which is not merely a religion; it is an idea; it is a living tradition where many distinguish thoughts and beliefs, are contained within it. Contextually, India as a civilization always rise, and it cannot be circumscribed with any sort of limitations of Western conceptualized political discourse. Hindutva cannot be reduced to any Euro-centric ideals and approach, for instance, political, economic, socio-cultural, and historiography. Contrary to the Western discourse, Hindu Dharma, in the principles of Hindutva, seeks freedom of thought and expression, where Hinduism allows absolute freedom to the rational mind of man. The tenets of Hindutva never demand any undue restraint upon the release of human reason and political will of an individual.

Further, it does not impose its ideas on anyone to accept its empiricism and universality. Hindutva, as reported by many historians, has significant hold of accommodating and assimilating the dissent views, incompatible ideas and distinguish belief systems without distorting its metaphysical foundations. Meanwhile, while discussing the accepting nature of dissent views in Hinduism, he elaborately discussed the true democratic spirit in the practising the principles of Hinduism where Sri Aurobindo said, "...dharma is the basis of democracy which Asia must recognize, for in this lies the distinction between the soul of Asia and the soul of Europe".

*"The notion of Rashtra, while discussing its significant elements Nandkumar includes the principle core of Dharma as mentioned in Vedas, contrary to the Western notion of natio or nation culture, has no symbiotic relationship with the Euro-centric connotation religion. Further, the concept of Rashtra, in the Indian context, has not emerged from any sort of political agitation and revolution, it does not depend on any political entity or material entity."*

Meanwhile, political theorists have argued that multiculturalism which India has possessed is undoubtedly based on the dogmas of Western-oriented discourses. But, on the contrary, this book has elaborately discussed and proved this argument nonetheless as an "illusion" that rules over the entire nation since long. It has been argued that India, beyond all such doubt, possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political superiority. Further, it was assumed by many Indologists also, that this unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners, and sect. The notion of Rashtra, while discussing its significant elements Nandkumar includes the principle core of Dharma as mentioned in Vedas, contrary to the Western notion of natio or nation culture, has no symbiotic relationship with the Euro-centric connotation religion. Further, the concept of Rashtra, in the Indian context, has not emerged from any sort of political agitation and revolution, it does not depend on any political entity or material entity. Meanwhile, the Hindu attitude to the Vedas is one of trust tempered by criticism, faith because the beliefs and forms which helped our fathers are likely to be of use to us also; criticism because, however valuable the testimony of past ages may be, it cannot deprive the present generation of its right to inquire and sit the evidence.

This book, further, highlights the distinct forms of colonization that still exist in the Indian minds. Nandkumar has argued and further highlight the significant outline of what Koenraad Elst has already discussed in his *The Argumentative Hindu*, that it is a fact as well as a matter of wonder that sixty-five years after India attained her Independence, it still makes perfect sense to discuss decolonization. Meanwhile, the omnipresence of

the English language is the most visible factor of a permanently colonized condition, others are the total reliance on Western models in the institutions and in the human sciences. He urged that while countering this European hegemony over Indian minds, can we not call this pathetic condition as Anglo-mania were a significant cause of self-denigrating intellectualism of the educated classes in India? The criticism of Western-centric paradigms in education is only to unleash the grey side of the unquestionably maintained status quo over the Indian knowledge traditions where the Indian knowledge traditions have, undoubtedly, rich, vivid, and an ancient tradition in the elucidation and interpretation of texts.

The book is not just about to converse the Indian way to decolonize the mind somewhat it also combats against the Left's propaganda where Nandkumar has deliberately made a separation of the false narrative of Kerala's developmental model, issues of Bengal's lost glory, and how Gandhi and Savarkar confront with Leftist propaganda, to which he countered with reality perhaps with reasons and logistics. Meanwhile, in Indian thought, the significant realm of Indian philosophy, i.e. Bhartiya Darshan was profoundly re-advent of how Abhinavagupta, the less-discussed and undervalued ancient Indian philosopher, explores the philosophical elements of Bhartiya Darshan where philosopher like him strongly believes that the concepts of Bhakti, arts and aesthetics, and Jnāna which are very relevant to understand the theoretical underpinnings of India's philosophical traditions. Thus, Abhinavagupta brought all the underlying philosophies, and distinct steams of knowledge in Hindutva.

Widely reported by left historians who deliberately categorized Ambedkar entirely against the principles of Hinduism. Nandkumar, while knowing the fact that Ambedkar who was the champion of social justice and perhaps the messiah of Mahars or Dalits in India's social hierarchical order. And, for this mechanism of the deliverance of the social justice, Nandkumar asserts the untouched and undiscussed part of his Ambedkar's life, i.e. as a journalist where he introduced several journals and published newspapers like *Mooknayak* and *Bahiskrit Bharat* in 1920 and 1927 respectively. He also highlights the significant part of Ambedkar's self-practice of journalism where Ambedkar's critical account, undoubtedly, of India's journalism is still relevant even today where he argued that- "journalism was never a profession in India. But now it has become a business. Its morality remains no more than soap-making. Now it does not recognize itself as a responsible advisor to the public.... Giving preference to sensation

*"He also raised Ambedkar's critical views on the role of Islam and Christianity where Ambedkar, himself, firmly believes that conversion to Islam and Christianity indeed led as a factor that strongly contributes to the 'denationalization of Dalits'; thus, he vehemently ignored to be the part of Islam and Christianity."*

over the news, illogical comments over logical opinion, exciting the feelings of irresponsible people over touching the heart of the responsible people, etc., are common today". He also raised Ambedkar's critical views on the role of Islam and Christianity where Ambedkar, himself, firmly believes that conversion to Islam and Christianity indeed led as a factor that strongly contributes to the 'denationalization of Dalits'; thus, he vehemently ignored to be the part of Islam and Christianity.

Lastly, Hindutva for the changing times elaborately discussed some issues which suffice to bring emerging trends in Indian Politics. Even in the post-Independence India, which follows the same trend line what the alien rulers used to do- conquer the Indian Dharma, its culture and sacred principles of performing rituals and traditions. Nandkumar highlight the significance of India's cultural practices in the form Sabrimala, Jalikattu, Ram Mandir, and others which was targeted by the, what Nandkumar has aptly remark them as 'Sinister'. He raised his strong objection against Court's role in this religious matter where, as mentioned, the legal expert Arghya Sengupta wrote- "...courts of law are not moral guardians of society". He also put his critical account against the

secular litigants and pseudo democrats for whom the dissent is fundamental rights but surprisingly became the serious crime when someone else uses it against them. This act was performed by the left goons in many parts of Kerala and Bengal while lynching the Sangh Swayamsevak's and students. This situation is sufficed to prove Kerala's developmental model as a massive failure who is not able to tolerate the dissent acts and this attacks on Swayamsevak's are also an attack against the people of Kerala, against the sanctity of the intellectual tradition of the state itself. Conclusively, there is end number of allegations that (politico-religious) tolerance has increased its gear in the society after Modi's second political term being as a Pradhan Sewak, i.e. PM where they repeatedly cried that the Narendra Modi has brought the severe threat to the secular fabric and democratic culture of India. Still, they are not aware of the citizen's disposition who are supporting the Prime Minister and his initiatives both at the national and global level and above all Hinduism has nothing to do with religion and all those whose actual faith is still prevalent on its principle will follow the path of Dharma, against the adharmic practice of malign the sanctity of Indian culture and civilization, which has the sacredness of Indianness, i.e. Bhartiyata in it.

*"He also put his critical account against the secular litigants and pseudo democrats for whom the dissent is fundamental rights but surprisingly became the serious crime when someone else uses it against them. This act was performed by the left goons in many parts of Kerala and Bengal while lynching the Sangh Swayamsevak's and students."*

Swami Vivekanad was undoubtedly a mighty Hindu and rejoiced over his Hindu heritage. No one worshipped Hinduism with more passionate adoration, no one grasped it with a more penetrating peceptiveness and no more one propagated it with a more brillianat presentation. Everything in Hinduism, its rituals, its yogas, were accepted by him with glowing apprecciation. What is distinctive in Hinduism, its origin independent of a historical founder, its doctrine of Karma, its theory of incarnations and even its idol-worship, received from him authentic and warm glorification. He literly did the miracle of Kaya-Kalpa to Hinduism and rejuvenated it with added splendours. But Swami Vevekanada was nothing if not Veveka embodied. He was not blind to the encrustation of ages, the unwieldy mass of weaking customs and superstitions and more than all its social inadequacies. He had an explanation and historically speaking, a valid explanation. He maintainted in that there is an abiding core of Hinduism as enunciated in the primordial Vedas and more particularly the lofty Upnishads and Gita and there are transient and fluctuating codes of laws promulgated by the Smitritis in age after age. The latter have no unshakable and lasting authority. They serve their local and contemporary purpose and are superseded in the next epoch according to design. Thus Hinduism does not provide for a continuous process of change in its second order ordinance, while the fountain-head inspiration of the first order remains immutable and eternal.

## विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की साधारण सभा बैठक 03 अक्टूबर से 05 अक्टूबर 2020 को दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मन्दिर, नेहरूनगर, गाजियाबाद में अध्यक्ष श्री दुसी रामकृष्ण राव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम दिवंगत कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों, कोरोना काल में सेवाकार्य करते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने वाले कोरोना योद्धाओं तथा मातृभूमि की रक्षार्थ अपने जीवन का बलिदान देने वाले हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

महामंत्री श्रीराम आरावकर जी ने गत सत्र का वार्षिक कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सत्र 2019-20 में विद्या भारती से संबद्ध समितियों के कार्य की प्रगति तथा आधारभूत व अन्य विषयों से सम्बन्धित वर्षभर की गतिविधियों तथा उनके माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख किया।

महामंत्री द्वारा 15 से 17 मार्च 2019 तक कुरुक्षेत्र में सम्पन्न गत साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही का वाचन किया गया, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

तत्पश्चात अखिल भारतीय मंत्री श्री अवनीश भटनागर ने बैठक की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा 'वर्ष भर में दो बार हम लोग अखिल भारतीय बैठकों में भाग लेते हैं, जिसमें गत वर्ष के कार्य की समीक्षा तथा आगामी कार्य योजना पर विचार-विमर्श करते हैं। कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट काल में अनेक चुनौतियाँ हमारे समक्ष प्रकट हुई हैं, जिनमें प्रत्यक्षरूप से वैचारिक विमर्श नहीं हो पाना, समाज के सभी वर्गों व संस्थानों में आर्थिक संकट खड़ा होना एवं विद्यार्थीवर्ग का शैक्षिक गतिविधियों से प्रत्यक्षरूप से कट जाना प्रमुख है। इसके साथ ही कुछ अच्छी बातें भी ध्यान में आई हैं। कोरोना-काल के अन्तर्गत जो संकट उत्पन्न हुआ उसमें पूर्व छात्रों, अभिभावकों, समिति सदस्यों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से अनेक सेवाकार्य किए गए। समविचारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त हुआ। ऑनलाइन टीचिंग से लगभग 70 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को शिक्षण का लाभ प्राप्त हुआ। स्मार्टफोन न होने पर भी समस्या का समाधान किया गया। हमारे विद्यालय तथा संचालन समितियाँ भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई हैं। पूर्व छात्रों की पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई है तथा उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ है। हमें कार्य-विस्तार हेतु, पूर्णकालिकों की संख्या में वृद्धि करना, कार्यकर्ता की गुणवत्ता व सम्पर्क बढ़ाना आवश्यक है।' उन्होंने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी व समाज में इसके विषय में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विचार-विमर्श कर सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया।

द्वितीय सत्र दो समूहों में सम्पन्न हुआ। पहले समूह में संगठन मंत्रियों तथा अन्य दायित्ववान प्रचारकों ने भाग लिया तथा दूसरे समूह में शेष सभी कार्यकर्ता थे।

द्वितीय समूह में अ.भा. मंत्री श्री अवनीश जी ने कार्यकर्ताओं की संख्या वृद्धि तथा गुणवत्ता विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि विद्याभारती का कार्य चार प्रकार के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सम्पन्न होता है। 1. संगठन मंत्री 2. गृहस्थ कार्यकर्ता (जो अपना निजी व्यवसाय अथवा अन्य कार्य करते हुए विद्याभारती के कार्य हेतु समय देते हैं) 3. पूर्णकालिक कार्यकर्ता (जो नीचे स्तर पर कार्य को ले जाते और क्रियान्वयन कराते हैं) 4. अवकाश प्राप्त/सेवानिवृत्त कार्यकर्ता (जो विशेष विषय/प्रकल्प पर कार्य करते हैं)। इनमें से तीसरे और चौथे प्रकार के कार्यकर्ता विद्याभारती के विचार को नीचे क्रियान्वयन तक ले जाते हैं। कार्यकर्ता का निर्धारण दो श्रेणियों के कार्यों हेतु किया जाता है-1. सीधे शिक्षण से जुड़े कार्यकर्ता। 2. वैचारिक चिन्तन को समाज में पहुँचाने वाले कार्यकर्ता। विद्याभारती के विचार को धरातल तक पहुँचाने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़नी चाहिये। कार्यकर्ताओं के गुणवत्ता विकास की योजना बनानी चाहिये।

अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री डी. रामकृष्ण राव ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी चार पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं- 20 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 वर्ष से अधिक आयु के कार्यकर्ता। पहले समूह (20-30) को कार्य से जोड़ना, दूसरे समूह (30-45) को विकसित करना, तीसरे समूह (45-60) को कार्य करना और चौथे समूह (60 +) को अपने अनुभव के आधार पर नीचे के तीनों समूहों का मार्गदर्शन करना। 35 वर्ष में यदि कार्यकर्ता का चयन हो जाए, तो वह लम्बे समय तक कार्य करता है।

तृतीय सत्र में अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष श्री जैनपाल जैन ने विद्या भारती का सत्र 2018-19 तथा सत्र 2019-20 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। दोनों वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके पश्चात संस्थान के सत्र 2020-21 के अर्थ संकल्प पर विस्तृत चर्चा आरम्भ की गई तथा अर्थ संकल्प को पारित किया गया।

चतुर्थ एवं पंचम सत्रों में विद्याभारती के चार आयामों की चर्चा हुई। इस सत्र में अ.भा. संगठन मंत्री मा. जे.एम. काशीपति जी मार्गदर्शन करते हुए चार आयामों के कार्य की दिशा और कार्य वृद्धि हेतु कार्यकर्ताओं से अपने विचार रखने को कहा। कार्यकर्ताओं ने अनेक सुझाव दिए।

संस्कृति बोध परियोजना की जानकारी संस्थान के सचिव श्री



अवनीश भटनागर ने दी।

अखिल भारतीय संयोजक पूर्व छात्र परिषद् डॉ. पंकज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व छात्र पोर्टल पर पंजीयन दो लाख तक हो चुका है। दिनांक 28, 29 दिसम्बर, 2019 को आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन, हैदराबाद की विस्तृत जानकारी सदन के समक्ष रखी गयी तथा सह सरकार्यावाह मा. दत्ता जी होसबले द्वारा सम्मेलन के वीडियो का विमाचन भी किया गया। पूर्व छात्र पोर्टल पर विद्यालय 11,233 व पूर्वछात्र 200,883 हैं।

अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय जे.एम. काशीपति जी ने कहा कि पूर्व छात्रों की पंजीयन की संख्या को और बढ़ाना चाहिये तथा समाज की विभिन्न गतिविधियों से पूर्वछात्रों को जोड़ना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु पूर्वछात्रों को जोड़ कर परिणामकारी कार्य खड़े करना चाहिये। पूर्वछात्रों के द्वारा समाज का नेतृत्व हो। गृहिणी पूर्व छात्राओं का समूह भी तैयार करना चाहिये।

अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉ. रमा मिश्रा ने क्रियाशोध के बारे में ने जानकारी दी। उत्तर क्षेत्र के महामंत्री श्री देशराज शर्मा ने बताया कि पंजाब प्रान्त में बच्चों को विद्यालय भेजने सम्बन्धी अभिभावकों के अभिमत जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। अभिभावकों से 12 प्रश्न पूछे गए। 106 विद्यालयों से 9000 मत प्राप्त हुए। मेरठ प्रांत के संगठन मंत्री श्री तपन कुमार ने बताया कि मेरठ प्रान्त में 80 विद्यालयों में 13366 अभिभावकों का तीन वर्गों (प्राथमिक, जूनियर, सीनियर) सर्वे किया गया।

अखिल भारतीय महामंत्री श्रीराम आरावकर जी द्वारा षष्ठ सत्र में निर्धारित विषयों विद्वत् परिषद् सदस्य, समविचारी संगठन, पुस्तक लेखक, शिशु शिक्षा सर्वेक्षण, कार्यकर्तायुक्त ग्राम/वार्ड तथा बोर्ड के परीक्षा परिणाम पर चर्चा की गई व प्रान्तानुसार जानकारी माँगने पर प्रान्तों प्रमुखों द्वारा जानकारी उलब्ध करवाई गई। नवीन सत्र हेतु अपने अधिकांश प्रान्तों में शिशुवाटिका सर्वेक्षण कराया गया। ग्रामों/वार्डों तथा कार्यकर्ताओं की सूची के सम्बन्ध में भी जानकारी ली गई। ऑनलाइन शिक्षण के साथ-साथ बस्ती/ग्राम/मोहल्ला पाठशाला तथा चौपाल आदि पर शिक्षण अधिकांश प्रान्तों में हुआ है।

अखिल भारतीय विषय संयोजकों की दो दिवसीय बैठक दिनांक 01 व 02 अक्टूबर, 2020 को गाजियाबाद में ही सम्पन्न हुई, जिसकी जानकारी मा. महामंत्री जी द्वारा दी गई। बैठक में 16 विषय संयोजकों ने गत सत्र में अपने विषय का प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की।

सप्तम सत्र में सी.बी.एस.ई. के संयुक्त निदेशक डा. प्रज्ञा सिंह ने अनुभवजन्य शिक्षण एवं कला एकीकरण (Experiential Learning & Art Integration) पर अपने विचार पावर-पॉइंट-प्रजेंटेशन के

माध्यम से प्रस्तुत किए।

अष्टम सत्र में दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मन्दिर के छात्रों व आचार्यों द्वारा अन्तर्विषयी अध्ययन के प्रयोग का नाट्यविधि द्वारा प्रदर्शन किया गया।

अखिल भारतीय सहसंगठन मंत्री मा. गोबिन्द महन्त ने नवम सत्र में गुणात्मक विकास एवं अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा में जानकारी देते हुए बताया कि विद्याभारती द्वारा विगत कुछ महीनों से ई-पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। जिससे अनेक आचार्य एवं विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस पाठशाला में मोबाइल के माध्यम से जुड़ा जा सकता है। इसके लिये गूगल प्लेस्टोर (Google Playstore) से गूगल कक्षाकक्ष (Google Classroom) डाउनलोड कर सकते हैं।

अ.भा. संगठन मंत्री मा. जे.एम.काशीपति जी ने आग्रह किया कि सभी कार्यकर्ताओं को 'घर ही विद्यालय' पुस्तक पढ़ना चाहिये। शिशुवाटिका की 12 व्यवस्थाएँ, क्रिया-कलाप (जीवन के घनिष्ठतम अनुभव) के अनुरूप माताओं का प्रशिक्षण होना चाहिये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फाउण्डेशन भाग का इस सन्दर्भ में अध्ययन करें। इस कार्य के लिये प्रत्येक प्रान्त से 2-3 कार्यकर्ता लगने चाहिये। शिशुवाटिका के साथ कक्षा 1 व 2 को भी जोड़ना है।

अखिल भारतीय मंत्री माननीय डॉ. शिवकुमार शर्मा ने अन्य देशों में विद्याभारती के कार्य की स्थिति की जानकारी दी, उन्होंने बताया कि 13 सितम्बर 2020 को विद्या भारती फाउण्डेशन यू.एस.ए. की ऑनलाइन बैठक सम्पन्न हुई। विदेश में निवासरत विद्याभारती के 623 पूर्वछात्र पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अमेरिका में 257 पूर्वछात्र सम्पर्क में हैं। वहाँ के लोगों ने सम्पर्क प्रारम्भ किया गया है, संगठनात्मक संरचना निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के अन्तर्गत चार करोड़ रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई है।

अटल टिकरिंग प्रयोगशाला से सम्बंधित जानकारी देते हुए श्री शिव कुमार शर्मा ने बताया कि 'विद्याभारती के 1452 विद्यालयों में ATL संचालित है। गतवर्ष 386 नई प्रयोगशालाएँ बनी हैं। जनवरी 2020 में 149 प्रयोगशालाएँ को अनुमति प्राप्त हुई है। ATL के छात्रों द्वारा 17 प्रयोग पेटेण्ट के लिये भेजे गये हैं। जिनमें से 03 प्रयोग फाइनल सूची में पहुंचे हैं।'

अखिल भारतीय प्रचार टोली के सहसंयोजक श्री रवि कुमार ने प्रचार विभाग की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा बेवसाइट मार्च 2019 में बनी। अभी इस पर 200 लेख उपलब्ध हैं। बेवसाइट पर तीन लेख प्रतिदिन अपलोड किये जाते हैं। सितम्बर 2020 तक इस बेवसाइट को 8500 लोगों ने देखा। Content को स्वयं भी पढ़ना तथा अपने विचार वालों को भी भेजना चाहिये। लेख भी भेजे जा सकते हैं।

मा. जैनपाल जैन ने कौशल विकास के अन्तर्गत बताया कि जन

शिक्षण संस्थान, कौशल विकास मंत्रालय की एक योजना है। जिसमें किसी भी रजिस्टर्ड समिति को कौशल विकास की गतिविधियों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। दक्ष भारती ने 'विश्वकर्मा एप' बनाया है। इसमें प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध है। कौशल विकास के सन्दर्भ में Skill Mapping की जानी चाहिए।

समापन सत्र में अखिल भारतीय मंत्री श्री ब्रह्माजी राव ने गाजियाबाद में 03 से 05 अक्टूबर 2020 तक आयोजित साधारण सभा की तीन दिन के बैठक की कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साधारण सभा संक्षिप्त व सादगीपूर्ण रही। इसमें सभा स्थल पर प्रत्यक्षरूप से 83 कार्यकर्ता तथा 135 कार्यकर्ता अप्रत्यक्षरूप (ऑनलाइन) में उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सह सरकार्यवाह मा. दत्ताजी होसबोले जी अपने समापन उद्बोधन में कहा कि आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है, यह इस कोरोना काल में दृष्टिगत हुआ है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा कार्य करने का हम सभी का स्वभाव है। यह अनेक वर्षों की साधना का परिणाम है। इस लॉकडाउन की अवधि में सामान्य स्थिति से भी अधिक कार्य किये गये। पूरे देश में उल्लेखनीय सेवाकार्य किये गये। लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति होने पर भी आगे अपने कार्य पद्धति में, लोक व्यवहार में एवं लोगों के सोचने के तरीकों में परिवर्तन आयेगे। हमें उसके अनुरूप कार्य योजना पर विचार करना होगा।

संकटकाल के अन्तर्गत समाज में सेवाभाव बढ़ा है, समाज का सेवा का यह भाव स्थायी बना रहे, इस हेतु से हमें प्रयास करना चाहिए। विपत्ति काल में डर अधिक होना या डर बिल्कुल नहीं होना, यह दोनों ही ठीक नहीं हैं।

शिक्षण में आगे भी ऑनलाइन का समायोजन बनाए रखना चाहिए। देशभक्ति का भाव जगा है, लोगों ने रक्तदान भी किया है, समाज जीवन में स्वच्छता आई है, साथ बैठने की आदत, पर्यावरण सुरक्षा,

स्वदेशी अपनाना, सामाजिक समरसता आदि आवश्यक बातें व्यवहार में आई हैं। ये सब आगे भी बनी रहनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कुटुम्ब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन जैसे विषय हमारे आचरण में परिलक्षित होना चाहिये।

श्रीराम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मन्दिर का निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से होगा। इस हेतु से हिन्दु समाज से धन के सहयोग का आवाहन भी होगा। इसलिये हम देश में अधिकाधिक गाँवों में सम्पर्क की योजना करें। लगभग चार लाख से अधिक गाँवों में सम्पर्क करना है। अतः हम भी इसकी योजना बनाएँ और सभी हितधारकों से बात करें। विद्याभारती संगठन भी इस पुनीत कार्य में सहभागी व सहयोगी बने।

Narratives Set करने पर चर्चा हुई है। इस दृष्टि से भारतीय विद्वानों ने क्या कहा है?, इसे आगे बढ़ाना चाहिये। विमर्श को भारतीय दृष्टि से कैसे बदलना, इस पर ध्यान देना। Art Integration का भी भारतीय चिन्तन को ध्यान में रखकर हो, इस विषय पर चर्चा करें।

अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय दुसी. रामकृष्ण राव ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि आपदा आने पर आपद्धर्म का पालन करना पड़ता है। संकल्पसिद्धि के कारण क्रियासिद्धि प्रकट होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में अनेक व्याख्यान हुए। सभी हित धारकों से वार्ताएँ की गईं। इसके कारण तटस्थ रहने वाले लोग समीप आए और निष्क्रिय से सक्रिय हुए तथा अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने पर स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे आधारभूत विषय समाज को दिशा देने वाले हैं। समाज भी तैयार है, हमें अपना मन तैयार करना है। हमें यह प्रयास करना होगा कि अभिभावक की मानसिक तैयारी बच्चे के गुणवत्ता विकास हेतु हो। कार्यकर्ताओं का प्रवास विद्यालय केन्द्रित हो। विद्यालयों की मजबूती की दृष्टि से हर माह में एक प्रवास होना चाहिये। पूर्वछात्रों को जोड़ने का कार्य भी सतत चलते रहना चाहिये। सभी कार्यों में हम प्रयोगशील बनें, ऐसी अपेक्षा है।

शान्ति मंत्र के साथ सभा का विसर्जन हुआ।

### विद्या भारती के उत्तरपूर्व क्षेत्र (बिहार-झारखंड) के नवीन क्षेत्रीय पदाधिकारियों का दायित्व

विद्या भारती के उत्तरपूर्व क्षेत्र (बिहार-झारखंड) के नवीन क्षेत्रीय पदाधिकारियों का चयन किया गया है। नए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. रंजीत कुमार वर्मा जी, कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय व राजभवन सलाहकार समिति के सदस्य हैं। क्षेत्रीय मंत्री श्री रामअवतार नरसरिया जी बने हैं। वे झारखंड प्रांत के प्रांतीय मंत्री भी हैं। श्री दिलीप कुमार झा जी के सेवानिवृत्ति के बाद श्री मुकेश नंदन जी योग विषय के पूर्व अखिल भारतीय सह संयोजक व वर्तमान में विद्या विकास समिति झारखंड के सचिव हैं, इनको क्षेत्रीय सचिव का दायित्व मिला है। क्षेत्रीय सहसचिव का दायित्व श्री गोपेश घोष जी को मिला है। लोक शिक्षा समिति बिहार के सह सचिव श्री अजय कुमार तिवारी को झारखंड प्रांत के सह सचिव का दायित्व मिला है। भारती शिक्षा समिति के सह सचिव श्री प्रकाशचन्द्र जायसवाल जी सचिव बने हैं।



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की अखिल भारतीय साधारण सभा-बैठक, गाजियाबाद में उद्बोधन देते हुए मा. दत्तात्रेय होसबोले जी



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की साधारण सभा बैठक-गाजियाबाद में प्रगति प्रतिवेदन रखते महामंत्री श्री श्रीराम आरावकर जी



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की साधारण सभा बैठक-गाजियाबाद में मंचासीन अधिकारी-वृन्द

# fo | k Hkj rh vf[ky Hkj rh, f' k'kk l LFku ykn Mmu ds v'rxZ fd, x, l febr; k ds ek; e l sl ok dk k ds fp=ku



fglhwf' k'kk l febr gfj; k kk ds i vZnk=ka }kj k l ok



vkn'kzfo | k efnj Mxjij jkt LFku }kj k l ok dk Z



l jLorh fo | k efnj uk'ri g] fcgj }kj k l ok dk Z



vkn'kzfo | k efnj l k yEi dk forj. k dh l ok



l jLorh f' k'kk ifj"kn-egkdkky i x dh l ok



l jLorh fo | k efnj jkt xhj }kj k [kk l kexh forj. k



l jLorh fo | k efnj n'ek ns?lj ds }kj k nok dk forj. k



l jLorh mPrj ek fo | ky; e-iz }kj k [kk l kexh forj. k

izlk'kd , oa eqzd % श्रीराम आरावकर के द्वारा विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान (स्वामी) के लिए जेनिसिस प्रिंटर, सी 74, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 (प्रेस) से मुद्रित एवं प्रज्ञा सदन, जी. एल. टी. सरस्वती बाल मंदिर परिसर, नेहरू नगर, नई दिल्ली-110065 (प्रकाशन स्थल) से प्रकाशित।  
l Ei knd—डॉ. ललित बिहारी गोस्वामी